VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

आर्थिक सर्वेक्षण का सारांश 2017-18

खंड-I एवं II

www.visionias.in +91 8468022022
DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD

खंड : I **2**

अध्याय 01 : अर्थव्यवस्था की स्थिति: विश्लेषणात्मक सिंहावलोकन और नीतिगत संभावनाएं 2

अध्याय 02 : वस्तु एवं सेवा कर (GST) के परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक नूतन प्रबोधक एवं संक्षिप्त विवेचन 9

अध्याय 03 : निवेश और बचत में गिरावट तथा स्थिति में सुधारः भारत के संबंध में विभिन्न देशों का अनुभव 12

अध्याय 04 : राजकोषीय संघवाद और जवाबदेही में समन्वय : क्या इसमें निम्न संतुलन अवरोध है? 14

अध्याय 05 : क्या विकास में "विलंबित अभिसृति" एक बाधा बन जाती है? क्या भारत उससे बच सकता है? 18

अध्याय 06 : जलवायु, जलवायु परिवर्तन और कृषि 21

अध्याय 07 : कन्या नहीं पुत्र चाहिए : क्या विकास ही इस समस्या का समाधान है? 25

अध्याय 08 : भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का रूपांतरण 28

अध्याय 09 : व्यवसाय करने को आसान बनाने का अगला मोर्चाः समय से न्याय 32

खण्ड : 2 ..... **35**

अध्याय 01 : 2017-18 में भारत के आर्थिक प्रदर्शन का सिंहावलोकन 35

अध्याय 02 : राजकोषीय घटनाक्रम की समीक्षा 39

अध्याय 03 : मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता 41

अध्याय 04 : कीमतें और मुद्रास्फीति 44

अध्याय 05 : धारणीय विकास, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन 47

अध्याय 06 : वैदेशिक (बाह्य) क्षेत्र 51

अध्याय 07 : कृषि और खाद्य प्रबंधन 55

अध्याय 08 : उद्योग और अवसंरचना 58

अध्याय 09 : सेवा क्षेत्रक 65

अध्याय 10 : सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास 68

VISION IAS

खंड : I

अध्याय 01 : अर्थव्यवस्था की स्थिति: विश्लेषणात्मक सिंहावलोकन और नीतिगत संभावनाएं

परिचय

इस अध्याय में विगत वर्ष के साथ-साथ पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान किए गए प्रमुख सुधारों के आलोक में भारतीय अर्थव्यवस्था का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय के अंतर्गत वैश्विक विकास की संभावनाओं और अंतर्निहित जोखिमों का विश्लेषण किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण के अंतर्गत, उन कारकों का विश्लेषण किया गया है जो अर्थव्यवस्था को वित्तीय वर्ष 2018-19 में आगे बढ़ा सकते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था की डीकप्लिंग अर्थात् अपयुग्मन

वर्ष 2016 के पूर्व तक, जब अन्य देशों की संवृद्धि दर में गिरावट हो रही थी, भारत की संवृद्धि दर में वृद्धि हो रही थी। लेकिन फिर यह स्थिति परिवर्तित हो गई। विश्व अर्थव्यवस्था में हाल के दिनों में सुधार आरंभ हुए हैं, लेकिन भारत की GDP संवृद्धि दर तथा अन्य संकेतकों जैसे औद्योगिक उत्पादन, ऋण और निवेश आदि में गिरावट आई है। इसे "डीकप्लिंग" के रूप में संदर्भित किया गया है।

डीकप्लिंग के कारण

- **भारत की संकुचित मौद्रिक स्थितियों** ने उपभोग और निवेश को कम करने में योगदान दिया है और जिसके कारण रूपए में मजबूती आयी है, जिससे निवल सेवाओं के निर्यात और विनिर्माण व्यापार संतुलन दोनों में अवरोध उत्पन्न हुआ है।
- **विमुद्रीकरण और GST:** विमुद्रीकरण से मांग में अस्थायी रूप से कमी आयी है और विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र में उत्पादन बाधित हुआ। **GST** ने आपूर्ति श्रृंखला को भी प्रभावित किया है।
- **दोहरे तुलन पत्र की समस्या (TBS)** के कारण निवेश में कमी आई है, जिसने आर्थिक गतिविधियों को बाधित किया हैं परिणामस्वरूप संवृद्धि दर में भी कमी हुई है।
- **2017 से बढ़ती तेल की कीमतें**
- कुछ विशेष खाद्य पदार्थों की कीमतों में तीव्र गिरावट, जिसने कृषि आय को प्रभावित किया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

अल्पावधिक

विगत वर्ष के दौरान, सरकार द्वारा कुछ बड़े सुधार किए गए थे। इन सुधारों के अंतर्गत **GST** को लागू करना, दोहरे तुलन-पत्रों (**TBS**) की चुनौती से निपटने के लिए की गई कार्रवाइयां, भारतीय दिवालियापन संहिता (**IBC**) के अंतर्गत समाधान तंत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के तुलन-पत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए पुन:पूंजीकरण पैकेज (GDP का लगभग **1.2%**) सम्मिलित हैं।

- **पहली छमाही में**, भारतीय अर्थव्यवस्था अस्थायी रूप से **"डीकप्लड"** अवस्था में थी (ऐसी स्थिति जबकि शेष विश्व में वृद्धि हो रही हो और इसमें गिरावट हो रही हो)। हालांकि, सशक्त समष्टिगत आर्थिक आधारभूत संकेतों सहित, भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख देशों के मध्य दूसरी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्था बनी रही।
- वर्ष की दूसरी छमाही में, भारतीय अर्थव्यवस्था में पुनः सुधार के मजबूत संकेत देखे गए। जैसे-जैसे आघातों के प्रभावों में कमी हुई है, आर्थिक संवृद्धि में सुधार हुआ है, सुधारात्मक कार्रवाई की गई जिसके कारण वैश्विक आर्थिक सुधार ने निर्यात को बढ़ावा दिया। इसके परिणामस्वरूप, भारत ने विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग में 30 अंकों का सुधार किया है और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) में भी वृद्धि हुई।

हालाँकि राजकोषीय घाटे, चालू खाता घाटे और मुद्रास्फीति के अधिक होने के कारण समष्टिगत आर्थिक स्थिरता से संबंधित चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं।

मध्यावधि

मध्यावधि के अंतर्गत, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कई सुधारों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है:

- **सहकारी संघवाद** को बढ़ावा देना। जैसा कि GST परिषद के गठन से स्पष्ट है, सहकारी संघवाद की भावना का उपयोग राज्य के समक्ष उपस्थित कठिन संरचनात्मक सुधारों के समाधान हेतु किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, साझा कृषि बाजार का निर्माण, अक्षम और विखंडित विद्युत बाजारों को एकीकृत करना, अंतरराज्यीय जल विवादों का समाधान, प्रत्यक्ष लाभ

VISION IAS

अंतरण (DBT) का कार्यान्वयन, सामाजिक लाभों को किसी भी राज्य में पोर्टेबल रूप से सुलभ बनाना और वायु प्रदूषण का समाधान करना।

- **"बाहर निकलने (exit)" को आसान बनाना:** विगत 50 वर्षों के दौरान भारत "सीमित प्रवेश के साथ समाजवाद से बाहर निकलने की संभावना के बिना पूंजीवाद" की ओर बढ़ा है। भारतीय दिवालियापन संहिता (IBC) और प्रस्तावित वित्तीय समाधान एवं जमा बीमा (FRDI) विधेयक क्रमश: भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र में इस समस्या का समाधान करेंगे।
- **सरकारी संसाधनों को युक्तिसंगत बनाना:** बैंक खाता, रसोई गैस, आवास, विद्युत् और शौचालय आदि उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण प्रगति हुयी है। हालांकि, इस बढ़ी हुई भौतिक उपलब्धता का अधिक से अधिक वास्तविक उपयोग में परिवर्तित करने की आवश्यकता है जैसे: खुले में शौच जाने के स्थान पर शौचालयों का उपयोग, बैंक खातों का वित्तीय समावेशन हेतु, रसौई गैस कनेक्शन का निरंतर गैस खरीद हेतु और ग्रामीण विद्युतीकरण का व्यापक घरेलू कनेक्शनों के विस्तार हेतु।
- भारत की **दो अंतर्निहित समष्टिगत आर्थिक सुभेद्यतायें हैं,** जिसके कारण राजकोषीय और चालू खाता, दोनों में विकृति उत्पन्न हो जाती है। **राजकोषीय सुभेद्यता** को कम करने हेतु **कर-GDP अनुपात** में वृद्धि करने और आकस्मिक देनदारियों का वास्तविक देनदारियों में रूपांतरण को रोकने की आवश्यकता है (विशिष्ट रूप से राज्य डिस्कॉम ऋणों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुन:पूंजीकरण के माध्यम से)।
    - निर्यात को बढ़ावा देकर **चालू खाते की सुभेद्यता** को कम किया जा सकता है। इसकी प्राप्ति विनिर्माण क्षेत्र के पुनरूद्धार और विनिर्माण क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर किया जा सकता है।

ब्याज एवं विनिमय दर की राजनीतिगतक अर्थव्यवस्था

समूह	प्राथमिकता	कारण
विनिर्माता, सेवाओं के निर्यातक और किसान	ब्याज की कम दरें कमजोर मुद्रा	वस्तुओं का आयात किए जाने के बावजूद चूंकि बाजार शेयर बढ़ते हैं, लाभ बढ़ता है। यह निर्यातकों (कपड़ा) और घरेलू बाजार के लिए उत्पादन करने वाली फर्मों के लिए लागू होता है लेकिन आयातों (स्टील, एल्युमीनियम) के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर रहा है। उच्च घरेलू मूल्य वर्द्धन वाले सॉफ्टवेयर निर्यातक कमजोर रुपए का समर्थन करेंगे।
अपवाद: आयात प्रधान विनिर्माता	अधिक प्राथमिकता नहीं	कमजोर रुपया निर्यात राजस्व को बढ़ाता है लेकिन आयात की लागत को भी बढ़ाता है।
घरेलू रूप से सकेंद्रित फर्में	कम ब्याज दरें	लाभ बढ़ता है बोझ कम होता है।
अवसंरचना कम्पनियां विशेषरूप से विद्युत और नवीकरणीय	मजबूत मुद्रा, कम ब्याज दर	मजबूत मुद्रा आगम को प्रभावित किए बिना, जो रुपए में अर्जित की जाती है, से लागत घटती है। लागत कम होती है क्योंकि फर्में डालर में लिए गए ऋण को वित्त पोषित करने के लिए विशेष रूप से पूंजीगत उपकरणों का आयात करती हैं ब्याज की कम दरें घरेलू ऋणों पर ऋण शोधन के बोझ को कम करती है।
परिवार	उच्च ब्याज दरें	बचत पर प्रतिफल बढ़ता है। पारिवारिक बचत पारिवारिक उधार से अधिक होती है।
इक्विटी निवेशक-घरेलू	कम ब्याज दरें	कॉरपोरेट लाभ बढ़ता है इसलिए प्रतिफल बढ़ते हैं।
इक्विटी निवेशक-विदेशी	कम ब्याज दर, मजबूत मुद्रा	संयोजन से डालर प्रतिफल बढ़ते हैं। तनाव: कम दरों से मुद्रा विशेष रूप से कमजोर पड़ती है।
बांड निवेशक-घरेलू	गिरती ब्याज दरें	पूंजीगत लाभ सृजित करता है। बैंक कम दरों को प्राथमिकता देते हैं; अन्य निवेशक (जैसे एलआईसी) उच्च दरों को प्राथमिकता देते हैं।
बांड निवेशक-विदेशी	उच्च लेकिन गिरती ब्याज दरें, मजबूत मुद्रा	संयोजन डालर प्रतिफल को अधिक करता है। तनाव: गिरती दरें कमजोर मुद्रा।
सरकार	कम ब्याज दरें	कम दरें ऋण शोधन का भार कम करती हैं। अतिरिक्त वृद्धि अथवा महंगाई से राजस्व बढ़ता है।
गैर-आर्थिक कारक	मजबूत मुद्रा	राष्ट्रीय आर्थिक सुदृढता के साथ मजबूत मुद्रा आती है।

- **भ्रष्टाचार पर कार्यवाही करने और इसकी लागत कम करने के मध्य संतुलन बनाए रखना:** भ्रष्टाचार और कमज़ोर प्रशासन पर कार्यवाही करने के महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक हैं, लेकिन इसके निवारक उपायों में लागत और चुनौतियां विद्यमान हैं, जो विकास और अनौपचारिक क्षेत्र को प्रभावित करती है (विमुद्रीकरण के कारण)। इस प्रकार नीति निर्माण के माध्यम से जहां तक संभव हो इन लागतों को कम किया जाना चाहिए।

- दंड के स्थान पर प्रोत्साहन देने और पुरस्कृत करने को अधिक बढ़ावा देना चाहिए, स्टॉक प्रॉब्लम की तुलना में फ्लो प्रॉब्लम (रेंट सीकिंग को प्रोत्साहित करने वाला नीतिगत वातावरण) पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।
- **बाजार और राज्य, निजी पूंजी और सार्वजनिक संस्थानों की भूमिका के मध्य स्पष्टता होनी चाहिए।** भारत में, राज्य और बाजार की भूमिकाओं को लेकर अस्पष्टता की स्थिति है। राज्य (केंद्र और राज्य) की क्षमताओं पर आरोपित सीमाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति को प्रभावित करती हैं। साथ ही, इसी समय, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) द्वारा संवृद्धित प्रौद्योगिकी और JAM (जनधन-आधार-मोबाइल) संरचना के माध्यम से, इस प्रकार की क्षमताओं में महत्वपूर्ण सुधार किया जा सकता हैं।
- **मेटा चुनौतियों का समाधान:** पिछले वर्ष की आर्थिक समीक्षा में **तीन मेटा चुनौतियों** की पहचान की गई थी: अकुशल पुनर्वितरण की समस्या को कम करना; आवश्यक जन सेवाओं, विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हुई सीमित प्रगति को तीव्र करना और संपत्ति के अधिकारों, निजी क्षेत्र और मूल्य प्रोत्साहनों के प्रति अस्पष्टता को कम करना। इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित नई समस्याओं यथा **शिक्षा, कृषि और रोजगार** की पहचान की गई है

निजी वस्तुओं और सेवाओं के लिए सरकारी प्रावधान

- ग्रामीण भारत के 74% परिवारों के पास शौचालय हैं। हालांकि, इनमें से केवल 91% परिवार वास्तविक रूप में इनका उपयोग करते हैं।
- 30 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले गए हैं। जिसमें से लगभग 22 करोड़ जन धन खातों को आधार से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त, जीरो बैलेंस रखने वाले खातों में भी तेज़ी से कमी हुई है।
- जनवरी 2018 तक, प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अंतर्गत 16.3 लाख आवासों का निर्माण किया जा चुका था और इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 3.2 लाख आवासों का निर्माण किया गया था।
- उज्जवला योजना के अंतर्गत 32 मिलियन से अधिक गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं और इनमें से 79% कनेक्शन रिफिल के लिए वापस आए हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आगे की राह

आगामी वर्षों के दौरान, सरकार को निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता हैं:

- TBS के 4 R's पर ध्यान केन्द्रित करना - **मान्यता, संकल्प, पुनर्पूंजीकरण और सुधार (Recognition, Resolution, Recapitalization and Reforms)।** यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि मुख्य ऋणग्रस्त मामलों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया को सफल बनाया जाना चाहिए।
- निर्यातकों के लिए अनिश्चितताओं को दूर करने हेतु **GST** कार्यान्वयन को स्थिर रूप देने की आवश्यकता है, जिससे निर्यातकों के लिये अनिश्चितता समाप्त की जा सके, सुगम अनुपालन की सुविधा प्रदान करना और कर आधार में वृद्धि करना।
- एयर इंडिया का निजीकरण करना, तथा
- यह सुनिश्चित करना होगा कि व्यष्टिगत आर्थिक स्थिरता के समक्ष उत्पन्न नए जोखिम दूर किये जाएं जैसे तेल की उच्च कीमतें तथा अधिक हो गयी अस्ति कीमतों में तीव्र एवं विघटनकारी सुधारों से बचाव।

वैश्विक परिदृश्य

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, **वैश्विक अर्थव्यवस्था समन्वितप्राय: (near-synchronous) सुधारों की ओर बढ़ रही है।** लगभग तीन-चौथाई देशों ने अपनी संवृद्धि दरों में सुधार का अनुभव किया।
- यह स्थिति पुनरूत्थान वस्तुओं और सेवाओं के विश्व व्यापार में सुधार, कमोडिटी की कीमतों में उछाल, समृद्ध क्षेत्रों में अनुकूल मौद्रिक नीतियों, उत्साही मांग की स्थितियों आदि से प्रेरित है।

VISION IAS

- हालांकि **भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक जोखिम भी बने हुए हैं**: कोरियाई प्रायद्वीप में युद्ध, मध्य-पूर्व में राजनीतिक उथल-पुथल, सऊदी अरब (और रूस) द्वारा उत्पादन में भारी कटौती (जिससे तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं), पूंजी नियंत्रणों के रूप में चीन की अप्रत्याशित ऋण वृद्धि, संवृद्धि में गिरावट और व्यापार तनाव आदि ।
- ब्याज दरों में संभावित वृद्धि के कारण परिसंपत्ति मूल्यांकन, बॉन्ड एवं इक्विटी मूल्य में सुधार की संभावना के कारण विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मैक्रोफाइनेंस के क्षेत्र में जोखिम विद्यमान हैं।

वर्ष 2017-18 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण

आर्थिक गतिविधियां

- विभिन्न संकेतकों जैसे समग्र **GVA**, विनिर्माण **GVA**, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP), सकल पूंजी निर्माण और निर्यात में तेज़ी से सुधार के संकेत मिल रहे हैं। इसी प्रकार, वास्तविक अखाद्य क्रेडिट संवृद्धि (real non-food credit growth) में पुन: वृद्धि हुई है। दुर्बल बैंक क्रेडिट को आंशिक रूप से प्रतिस्थापित करके कार्पोरेट क्षेत्रक को प्रवाहित किए जाने वाले गैर-बैंकिंग संसाधनों जैसे कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) से ऋण लेने और बांड बाजार उधारी में वृद्धि हुई है। ग्रामीण मांग में सुधार हो रहा है।
- निर्यात वृद्धि में पुन: तेजी और आयातों में कमी से ज्ञात होता है कि विमुद्रीकरण और **GST** के प्रभावों में कमी हो रही है। सेवा निर्यात और निजी विप्रेषण में भी पुन: तेज़ी आयी है।
- हालांकि, इन संकेतकों में सकारात्मक वृद्धि हो रही हैं, लेकिन इस वृद्धि का स्तर क्षमता से कम बना हुआ है। IIP में वृद्धि निम्न है, उद्योग की वास्तविक ऋण वृद्धि अभी भी नकारात्मक बनी हुई है और विश्व व्यापार में संवृद्धि एक दशक पहले के अपने स्तर के आधे से भी कम पर बनी हुई है। इसके अतिरिक्त, इक्विटी की कीमत निम्न स्तर तक गिर जाने के बावजूद निगमों की पूंजी की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि नहीं हुई है, जिससे ज्ञात होता है कि उनकी निवेश योजनाएं सामन्य स्तर पर बनी हुई हैं।

समष्टिगत-आर्थिक संकेतक

- हेडलाइन मुद्रास्फीति में हाल ही में वृद्धि हुई है। हाल ही में हुई मुद्रास्फीति में वृद्धि के मुख्य कारण बढ़ती वैश्विक तेल की कीमतों, फलों एवं सब्जियों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और **7**वें वेतन आयोग के अंतर्गत आवास किराया भत्ता रहे हैं।
- **2017-18** में चालू खाते घाटे में भी वृद्धि हुई है। इन घटनाओं के बावजूद, समग्र बाह्य स्थिति सुदृढ़ बनी हुई है। चालू खाता घाटा **GDP** के **3%** से भी काफी कम है, इस सीमा से अधिक चालू खाता घाटे के बढ़ने पर **सुभेद्यता** की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी बीच, विदेशी मुद्रा भंडार लगभग **432** बिलियन डॉलर के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है।

राजकोषीय घटनाक्रम

- राजकोषीय घाटे ने निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन किया है, जिसका मुख्य कारण गैर-कर राजस्व में कमी रही है, जो सरकारी एजेंसियों और उपक्रमों के कम लाभांश को प्रतिबिंबित करता है। बजट चक्र के एक महीने पहले आरंभ होने के कारण व्यय में भी वृद्धि हुई है, जिसने विभिन्न एजेंसियों को अग्रिम योजना बनाने और वित्तीय वर्ष में उनका शीघ्र कार्यान्वयन करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया है।

क्या सरकारी बाजार उधारी अंतर्निहित राजकोषीय घाटे को प्रतिबिंबित करती हैं?

10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों (g-secs) पर ब्याज दरों में निरंतर वृद्धि हो रही हैं, जो जुलाई 2017 के अंत के 6.4% से बढ़कर 1 जनवरी 2018 को 7.3% हो गई हैं। उस अवधि में, नीतिगत दरों संबंधी परिदृश्य भी विकृत हो गया था ,क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने दरों में कटौती करने के विपरीत अधिक कठोर कदम उठाये थे। लेकिन इस प्रयास से दीर्घावधि में दरों में लगभग 1% की वृद्धि होने की भी आशा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय दरों में भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसमें भी केवल मामूली वृद्धि हुई है। ऐसे में, सरकारी प्रतिभूतियों की दरों में अचानक वृद्धि का क्या कारण हो सकता है?

VISION IAS

इसका प्रमुख कारण वित्तीय बाजार संबंधी चिंताएं हो सकती हैं। इस रूप में कि सरकार द्वारा पूर्व में की गयी अपेक्षा की तुलना में अधिक सरकारी प्रतिभूतियां जारी की जाएंगी। निश्चित रूप से, यह चिंता का विषय है कि सरकार (केंद्रीय और राज्य) का राजकोषीय घाटा वास्तविक लक्ष्य से कहीं अधिक हो सकता है। लेकिन यदि राजकोषीय घाटा अधिक बढ़ जाता है, तो इसका स्वतः यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि बाजार उधारी अपेक्षित अनुमान से अधिक हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, बाजार उधारी आवश्यक रूप से अंतर्निहित राजकोषीय घाटे को प्रतिबिंबित नहीं करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में बाजार उधारी केवल राजकोषीय घाटे से ही नहीं बल्कि एक अलग भारतीय व्यवस्था द्वारा भी निर्धारित होती है, जैसे राष्ट्रीय लघु बचत निधि (NSSF)।

अनिवार्य रूप से, सरकार को विभिन्न बचत योजनाओं (अपने घाटे से प्रेरित उधार के अतिरिक्त) के रूप में लोगों से जमा राशि प्राप्त होती है, जिसे NSSF में जमा किया जाता है। वर्तमान में, ये योजनाएं जमा एवं निकासी के समय बाजार दरों से अधिक ब्याज दर, जोखिम रहित निवेश विकल्प और अनुकूल कर सुविधाएं प्रदान करती हैं। स्पष्ट है कि इस प्रकार की सुविधाएं अधिकांश नियमित बचत योजनाओं पर उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 2015-16 की आर्थिक समीक्षा में राष्ट्रीय लघु बचत निधि (NSSF) के अंतर्गत लघु बचतकर्ताओं को दी जाने वाली अंतर्निहित सब्सिडी के परिणामों का अनुमान लगाया गया था। लेकिन यहां पर ध्यान देने योग्य यह है कि राष्ट्रीय लघु बचत निधि (NSSF) में होने वाला निवेश प्रवाह स्वायत्त होता है, जिसका निर्धारण उसकी आकर्षक विशेषताओं के कारण होता है न कि राजकोषीय घाटे के आकर के आधार पर। इस विचार को निम्न प्रकार से दर्शाया गया है।

निवल बाजार उधारी = राजकोषीय घाटा - राष्ट्रीय लघु बचत निधि संबंधी निवल प्रवाह

किसी दिए गए राजकोषीय घाटे के अंतर्गत, यदि राष्ट्रीय लघु बचत निधि (NSSF) के निवल प्रवाह में वृद्धि होती है तो बाजार उधारी में कमी होनी चाहिए और यदि NSSF के निवल प्रवाह में कमी होती है तो बाजार उधारी में वृद्धि होनी चाहिए। बाजार उधारी और इसलिए संबंधित सरकारी प्रतिभूतियों की आपूर्ति इन स्वायत्त प्रवाहों के लिए अंतर्जात (endogenous) हैं। इसलिए, चाहे राजकोषीय घाटे में कमी आए या वह स्थिर बना रहे, फिर भी बाजार उधारी में वृद्धि होने की पूर्ण संभावनाएं बनी रहती हैं।

राज्य सरकारों के स्तर पर, इसके विपरीत स्थिति सही सिद्ध हुई है। राज्यों ने राष्ट्रीय लघु बचत निधि (NSSF) पर अपनी निर्भरता कम करने का विकल्प चुना है ताकि उनकी उधार लेने की लागत में कमी की हो सके। (वस्तुतः बाजार दरें, NSSF की दरों से काफी कम होती हैं)। लेकिन इसने बाजार से उधार लेने की प्रवृति में वृद्धि की है। वर्ष 2016-17 में, बाजार उधारी बढ़कर लगभग 83,000 करोड़ रूपए होने के बावजूद राज्य सरकारों का संयुक्त घाटा बढ़कर केवल 47,000 करोड़ रूपए ही रहा। ऐसा अनुमान है कि शेष राशि का उपयोग NSSF देनदारियों के भुगतान हेतु किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, राजकोषीय घाटे की तुलना में बाजार उधारियों में सकल घरेलू उत्पाद के 0.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

- **GST** के अपनी प्रारंभिक अवस्था में होने के बावजूद राजस्व संग्रह में तीव्र गति से वृद्धि हुई है।
- विमुद्रीकरण और **GST** सहित, काले धन पर अंकुश लगाने और कर औपचारिकीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से व्यक्तिगत आयकर संग्रह (प्रतिभूति लेन-देन कर को छोड़कर) में काफी वृद्धि हुई है। **2013-14** और **2015-16** के मध्य **GDP** के लगभग **2%** से बढ़कर **2017-18** में सकल घरेलू उत्पाद का **2.3%** तक पहुंच जाने की संभावना है, जो ऐतिहासिक रूप से काफी अधिक है। विमुद्रीकरण के पश्चात् करदाताओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इनकी संख्या विगत छह वर्षों के दौरान औसत **6.2** लाख से बढ़कर नवंबर 2016 के बाद **10.1** मिलियन हो गई हैं।

वर्ष 2018-19 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण

अगर मैक्रो-इकनॉमिक स्थिरता को नियंत्रण में रखा जाता है, तो जारी सुधारों में स्थिरता आएगी। यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था इसी प्रकार वृद्धि करती रही तो, संवृद्धि दर लगभग 8% की मध्यावधिक आर्थिक संभावना की ओर बढ़ सकती है।

VISION IAS

संवृद्धि के दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले मांग के घटक:

- **वैश्विक संवृद्धि** में तेजी के कारण निर्यात मांग को बढ़ावा मिलेगा।
- **निजी निवेश** में वृद्धि होने का अनुमान है, हालांकि निजी निवेश में वृद्धि समाधान और पुन:पूंजीकरण की प्रक्रिया पर आधारित होगी। यदि शीघ्रता से यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो तनावग्रस्त कम्पनियाँ मजबूत स्वामित्व के नियंत्रण आ जाएंगी, जिससे वे पुन: व्यय करने की स्थिति को प्राप्त कर सकेंगी।
- **उपभोग की मांग:** इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि 2018-19 में वास्तविक ब्याज दर में होने वाली संभावित कमी से उपभोग मांग को बढ़ावा मिलेगा। इसी समय, तेल की औसत कीमतों में वृद्धि से वास्तविक आय और व्यय में कमी आएगी। इसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कठोर मौद्रिक नीति के कार्यान्वन की आवश्यकता होगी। इसके कारण वास्तविक ब्याज दरों में वृद्धि होगी तथा यह स्थिति उपभोग में बाधा उत्पन्न कर सकती है।
- **निर्यात में वृद्धि से** संवृद्धि में भी वृद्धि हो सकती है।
- IBC **प्रक्रिया का कार्यान्वयन:** निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु **IBC** उपायों को समय से अपनाना और स्वीकृति प्रदान करना करना उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
- **तेल की लगातार उच्च कीमतें** (वर्तमान स्तर पर), एक मुख्य जोखिम बना हुआ हैं। यह मुद्रास्फीति, चालू खाते, राजकोषीय स्थिति और संवृद्धि को प्रभावित करेगा तथा समष्टि आर्थिक नीतियों को अपेक्षाकृत अधिक सख्त बनाने के लिए विवश करेंगी।

स्टॉक मार्केट की तेजी को समझना: क्या भारत अलग है?

विगत दो राजकोषीय वर्षों के दौरान, भारतीय स्टॉक मार्केट ने कई अन्य प्रमुख बाजारों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। इस वृद्धि का लाभ यह हुआ है कि भारतीय स्टॉक मार्केट की कीमत प्रतिप्राप्ति अनुपात (price-earnings ratios) अमेरिका के स्टॉक मार्केट की कीमत प्रतिप्राप्ति अनुपात से अभिसरित (convergence) हुआ है। तथापि इसी अवधि के दौरान भारतीय और अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं ने भिन्न-भिन्न मार्गों का अनुसरण करती रही हैं:

- भारत में आर्थिक संवृद्धि में गिरावट के साथ स्टॉक मार्केट में वृद्धि हुई है, जबकि अमेरिका में आर्थिक संवृद्धि में वृद्धि हुई है।
- भारत की वर्तमान कॉर्पोरेट आय/GDP अनुपात, वैश्विक वित्तीय संकट के समय से ही अस्थिर रही है, जबकि अमेरिका में यह उच्च स्तर पर रही है।
- वास्तविक ब्याज दरों में काफी विचलन हुआ है। अमेरिकी दरें नकारात्मक स्तर पर बनी हुई है, जबकि भारत में यह ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर पहुँच गई हैं।

तो फिर स्टॉक मार्केट का अभिसरण क्यों?

इसके लिए दो कारक उत्तरदायी हो सकते हैं:

- पहला, भारत में आय वृद्धि की संभावनाएं बहुत अधिक हैं।
- दूसरा विमुद्रीकरण। विगत कुछ वर्षों के दौरान ग़ैरकानूनी धन के विरूद्ध सरकार के अभियान - उदाहरण के लिए विमुद्रीकरण ने सोने, परिसंपत्ति आदि से प्राप्त होने वाले लाभों को कम किया हैं। इसके परिणामस्वरूप स्टॉक मार्केट के निवेश में वृद्धि हुई है।

आगे की राह

- भारत लगभग 8% संवृद्धि दर की अपनी मध्यावधिक आर्थिक संभावना को प्राप्त करने के लिए तैयार है। हालांकि, उच्च स्टॉक कीमतों के तीव्र संशोधनों के कारण निर्मित उभरते बाज़ारों की "सडेन स्टॉल (sudden stall)" स्थिति के विरूद्ध सुरक्षा करना आवश्यक है।
- आगामी वर्ष के लिए, राजकोषीय नीति का लक्ष्य **तर्कसंगत राजकोषीय समेकन** होना चाहिए अर्थात् संतुलित समेकन जो क्रमिक रूप से लेकिन स्थिरता के साथ राजकोषीय घाटे को कम करे।

VISION IAS

क्या निर्यात संबंधी प्रोत्साहन कारगर होते हैं: 2016 का परिधान पैकेज

परिधान क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु:

- भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने, रोजगार बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने की परिधान क्षेत्र में अपार क्षमता विद्यमान है।
- हाल के वर्षों में वैश्विक वस्त्र निर्यात में चीन का अंशदान घट रहा है। हालांकि, भारत ने अभी तक इस अवसर का लाभ नहीं उठाया जबकि वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों ने चीन द्वारा रिक्त किए गए इस स्थान का शीघ्र लाभ उठाया है।

निर्यात पैकेज: राज्यों द्वारा वसूले गए अप्रत्यक्ष करों को निष्क्रिय करने के लिए राज्य की वसूलियों (ROSL) पर छूट सहित परिधान क्षेत्र के लिए 6,000 करोड़ रूपए का पैकेज प्रदान करना।

यहाँ तीन मुख्य निष्कर्ष सामने आए हैं:

- इस पैकेज से मानव निर्मित रेशों (**MMF**) से निर्मित रेडीमेड कपड़ों (**RMG**) के निर्यात में वृद्धि हुई है और समय के साथ धीरे-धीरे इसका प्रभाव बढ़ रहा है।
- इस पैकेज का अन्य रेशों (सिल्क, कपास आदि) से निर्मित कपड़ों पर पर्याप्त रूप से सकारात्मक प्रभाव नहीं हुआ था।

एक **नीति का निहितार्थ** यह है कि GST परिषद को GST से बाहर रखे गए उत्पादों (पेट्रोलियम और विद्युत) से उत्पन्न सन्निहित करों (embedded taxes) और जो स्वयं GST से उत्पन्न (उदाहरण के लिए, निवेश कर ऋण जिन्हें "टैक्स इन्वर्शन" के कारण प्रतिबंधित किया जाता है) होने वाले सन्निहित करों की गहन समीक्षा करनी चाहिए। इस समीक्षा द्वारा शीघ्र ही इन सन्निहित निर्यात करों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, जिससे भारत के विनिर्माण निर्यातों को अत्यधिक प्रोत्साहन मिल सकेगा।

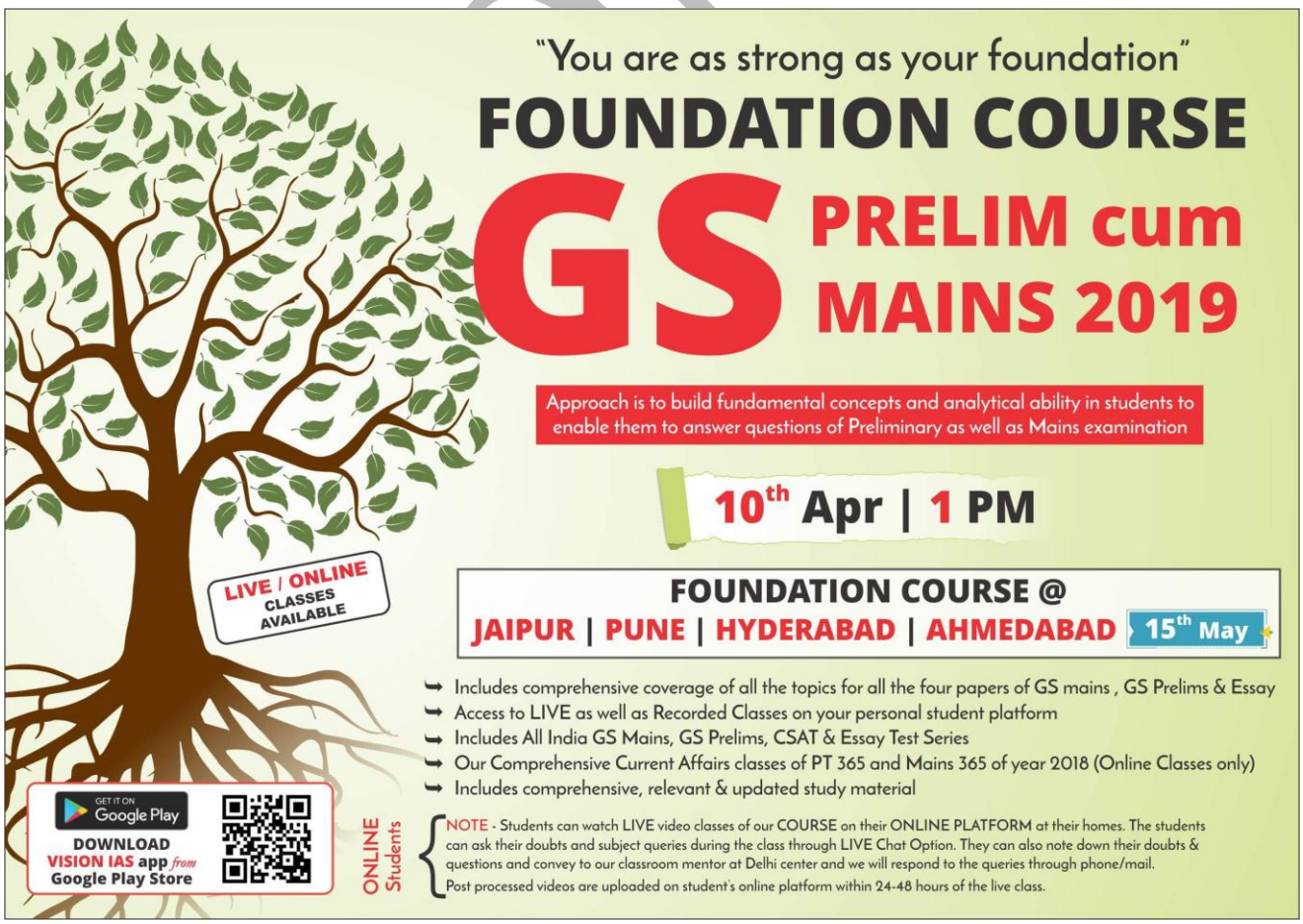

अध्याय 02 : वस्तु एवं सेवा कर (GST) के परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक नूतन प्रबोधक एवं संक्षिप्त विवेचन

विषय

यह अध्याय GST द्वारा प्रदत्त आंकड़ों जैसे- अप्रत्यक्ष करदाताओं, विभिन्न कंपनियों के कर आधार की संरचना एवं विश्लेषण, राज्यों के व्यापार के रुझान तथा अर्थव्यवस्था की अनौपचारिकता आदि के आधार पर विभिन्न दृष्टिकोणों से संक्षिप्त जानकारी प्रदान करता है। इस प्रकार, यह भारतीय अर्थव्यवस्था की समझ में एक मौलिक परिवर्तन लाने के साथ ही उसे व्यापकता प्रदान करता है।

कम्पोज़िशन स्कीम

इस योजना के तहत पंजीकृत करदाता (1.5 करोड़ रुपये से कम के कारोबार वाले) अपने कारोबार पर अल्प कर का (1%, 2% या 5%) भुगतान करते हैं।

इसके फलस्वरूप करदाताओं का प्रशासनिक बोझ कम हो जाता है, परंतु ऐसे व्यवसाइयों के लिए बड़ी फर्मों को विक्रय करना कठिन होता है क्योंकि वे इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र नहीं होते हैं।

परिचय

GST में एकीकृत भारतीय बाजार सृजित करने की क्षमता है। GST कर आधार को विस्तार प्रदान करने तथा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में भी सक्षम है। GST से प्राप्त आंकड़ों से भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में कुछ अधिक कठिन तथा बुनियादी तथ्यों को समझने में मदद मिल सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में कुछ रोचक निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

1. करदाता

- अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विशेषकर ऐसे छोटे उद्यमों के स्वैच्छिक पंजीकरण में अत्यधिक वृद्धि हुई है जो बड़े उद्यमों से खरीदते हैं तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना चाहते हैं। कम्पोज़िशन स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण हेतु पात्र करदाताओं में से 54.3%से भी अधिक करदाताओं ने रेगुलर फाइलर होने का विकल्प चुना।

2. कर आधार तथा इसका स्थानिक वितरण

- राज्यों के बीच GST आधार का संवितरण उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) से जुड़ा हुआ है। इसके कारण विनिर्माण के क्षेत्र में अग्रणी उन बड़े राज्यों की चिंता कम हो गयी है जिन्हे आशंका थी कि नयी कर व्यवस्था से उनके कर संग्रहण में कमी आएगी (क्योंकि GST एक उपभोग आधारित एवं अंतिम बिंदु पर लगने वाला कर है)।
- इस संबंध में शीर्षस्थ राज्य हैं - महाराष्ट्र (16%), तमिलनाडु (10%), कर्नाटक (9%), उत्तर प्रदेश (7%) तथा गुजरात (6%) हैं।
- यद्यपि GST के अंतर्गत विनिर्माण वाले राज्यों के कर आधार की हिस्सेदारी विनिर्माण के क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी से कम है। किंतु चूंकि ये राज्य सेवा क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं, अतः इन राज्यों के कर आधार GSDP में उनकी हिस्सेदारी के अनुरूप हैं। कुल मिलाकर GST के परिणामों में समग्र निष्पक्षता बनी हुई है।

3. फर्मों के पारस्परिक अंतरणों के वितरण का आकार:

- पंजीकृत छोटी फर्में (5 करोड़ रूपये से कम) B2C (बिज़नेस टू कंज़्यूमर) और B2B (बिज़नेस टू बिज़नेस) में समान रूप से संलग्न रहती हैं। इसके विपरीत मध्यम और बड़ी फर्में, B2C अंतरणों की तुलना में B2B अंतरणों में अधिक संलग्न रहती है।
- न केवल छोटी B2B फर्में, बल्कि छोटी B2C कंपनियों ने भी स्वेच्छा से GST के अंतर्गत पंजीकरण करने का निर्णय किया। अतः ये फर्में न केवल विक्रय करती हैं, बल्कि बड़े उद्यमों से खरीद भी करती हैं (उनकी खरीद का 68% मध्यम या बड़े पंजीकृत उद्यमों से होता है) तथा अपनी खरीदों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी सुनिश्चित करती हैं।

VISION IAS

4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार और आर्थिक समृद्धि:

- राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के आंकड़े (भारत के इतिहास में पहली बार) इस बात को सही सिद्ध करते हैं कि किसी राज्य का प्रतिव्यक्ति GSDP (जीवन स्तर) पर्याप्त सीमा तक GSDP में इसके निर्यात अंश से जुड़ा है (इस परिप्रेक्ष्य में, विशाल मात्रा में विप्रेषित धन प्राप्त करने वाला राज्य होने के कारण केरल अन्य राज्यों से भिन्न है)।
- आंतरिक व्यापार GDP का लगभग 60% है, जो कि पिछले वर्ष के सर्वेक्षण में किये गए अनुमान से अधिक होने के साथ-साथ अन्य बड़े देशों की तुलना में भी अपेक्षाकृत अधिक है। अंतर-राज्य व्यापार से संबंधित निम्नलिखित दो अवलोकन हैं:
  - जो राज्य सर्वाधिक निर्यात करते हैं वही राज्य सर्वाधिक आयात भी करते हैं।
  - जो राज्य सर्वाधिक व्यापार करते हैं, वे सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी भी हैं और व्यापार का सर्वाधिक अधिशेष भी अर्जित करते हैं।

अंतर्राज्यीय व्यापार के आंकड़े

- पाँच राज्य - महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा तेलंगाना- इसी क्रम में भारत का 70% निर्यात करते हैं।
- पाँच सबसे बड़े आयातक राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक एवं गुजरात हैं;
- सर्वाधिक आंतरिक व्यापार अधिशेष वाले राज्य गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा (उड़ीसा) व तमिलनाडु हैं।

5. व्यापार के सर्वश्रेष्ठ निष्पादक: भारतीय निर्यात समानतावादी अपवादात्मकता (eagalitarian exceptionalism):

- **वे फर्में सर्वश्रेष्ठ निर्यातक हैं जो** गैर अनुपातिक **रूप से निर्यातों के बड़े हिस्से में भागीदार हैं।** भारत का निर्यात असामान्य है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी फर्मों द्वारा निर्यात का संकेंद्रण अन्य देशों की तुलना में अत्यंत कम है:

	निर्यात में भागीदारी	
	अन्य प्रमुख देश	भारत
शीर्ष 1% कंपनियाँ	55-72	38
शीर्ष 5% कंपनियाँ	74-91	59
शीर्ष 25% कंपनियाँ	93-99	82

- संभावित कारण यह हो सकता है कि अन्य देशों के विपरीत, भारतीय आंकड़ों में सेवाओं का निर्यात सम्मिलित होता है, जहाँ शीर्ष कंपनियों में कंसंट्रेशन रेशियो (प्रदत्त फर्मों के संयुक्त मार्केट शेयर का सम्पूर्ण बाज़ार के आकार की तुलना में अनुपात) विनिर्माण की तुलना में अत्यधिक कम रहता है।
- यद्यपि, ऐसी "समानतावादी" भारतीय निर्यात अवसंरचना का निहितार्थ अस्पष्ट है, क्योंकि कुछ कंपनियों के पक्ष में संकेन्द्रण के लाभ (अन्य कंपनियों पर स्पिल ऑवर इफ़ेक्ट एवं गतिशीलता) के साथ ही साथ नुकसान (प्रतिस्पर्द्धा को बाधित करना) भी हो सकते हैं।

6. भारतीय अर्थव्यवस्था की अनौपचारिकता:

- औपचारिक क्षेत्र की कंपनियों के परिमाण से संबंधित प्रमुख निष्कर्ष: 87% फर्में पूर्णतः अनौपचारिक प्रकृति की हैं तथा कर एवं वास्तविक सामाजिक सुरक्षा दोनों से बाहर है। 12% फर्में वास्तविक कर के दायरे में शामिल हैं परंतु वास्तविक सामाजिक सुरक्षा में नहीं तथा 0.1% से कम फर्में वास्तविक सामाजिक सुरक्षा में शामिल हैं, किन्तु वास्तविक GST में नहीं।
- भारत में, औपचारिक रूप से गैर-कृषि क्षेत्र में पेरोल, मौजूदा अनुमानों से कही अधिक व्यापक है। इसके अनुमान सामाजिक सुरक्षा के आधार पर परिभाषित औपचारिकता के मामले में 31% तथा कर के आधार पर परिभाषित औपचारिकता के मामले में 53% तक है।

VISION IAS

सर्वेक्षण दो तरीकों से अनौपचारिकता (या औपचारिकता) का विश्लेषण करता है:

- फर्मों द्वारा प्रदान की गई सामाजिक सुरक्षा
- कर व्यवस्था के अंतर्गत

औपचारिक/अनौपचारिक क्षेत्रक की विभिन्न परिभाषाएँ विद्यमान हैं। इनमें से सर्वाधिक सामान्य परिभाषाएँ निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित हैं:

- कर्मचारी का औपचारिक अनुबंध है या नहीं
- कोई कर्मचारी नियमित/वेतनभोगी कर्मचारी है (स्व-रोजगार या अनियत कर्मी के विपरीत) या नहीं
- वह फर्म सरकार की किसी भी शाखा के साथ पंजीकृत है या नहीं;
- वह फर्म कर का भुगतान करती है या नहीं, और
- कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है या नहीं।

प्रदान की गई सामाजिक सुरक्षा

- **पेंशन तथा भविष्य निधि के रूप में -** यह सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों प्रदान किया जाता है एवं निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) यह योगदान करता है। ऐसी कंपनी जहाँ 15000 से कम वेतन वाले 20 से अधिक कर्मचारी करते हैं वहाँ रोजगार देने वाली कंपनियों के लिए EPFO का योगदान अनिवार्य है। अतिरिक्त योगदान स्वैच्छिक है।
- **चिकित्सा लाभ के संबंध में -** यह कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा प्रदान किया जाता है। ESIC का योगदान ऐसी कंपनियों के लिए अनिवार्य है जहाँ 21,000 रुपये से कम वेतन वाले 10 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं।

अध्याय 03 : निवेश और बचत में गिरावट तथा स्थिति में सुधारः भारत के संबंध में विभिन्न देशों का अनुभव

विषय

इस अध्याय में भारत के लिए नीतिगत सीख प्राप्त करने के लिए निवेश एवं बचत में गिरावट तथा स्थिति में सुधार के पैटर्न का अध्ययन किया गया है। यह 2000 के दशक के मध्य में भारत में निवेश व बचत दरों के अभूतपूर्व ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तरों पर पहुंचने के अद्वितीय प्रक्षेप पथ एवं उसके पश्चात् उनमें आई उतनी ही तीव्र, यद्यपि, धीरे-धीरे, गिरावट के संदर्भ में है। निवेश एवं बचत में क्रमिक रूप से गिरावट की प्रवृत्ति वर्तमान में भी जारी है।

परिचय

- इन प्रत्याशाओं में यह दृढ़ विश्वास निहित है कि घरेलू बचत और निवेश में शीघ्र ही तेजी आने वाली है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को 8-10% की संवृद्धि दर प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
- परंतु यह निश्चित नहीं है, क्योंकि न तो बचत और न ही निवेश अनुचित रूप से मंद है। निवेश (सकल स्थिर पूंजी निर्माण) दर और सकल घरेलू बचत स्तर तो 1990 के दशक में बने रहे स्तरों से कहीं अधिक उच्च हैं।
- 2000 के दशक में घरेलू बचत एवं निवेश दरों में असाधारण उछाल (9 प्रतिशतांक की अभूतपूर्व वृद्धि) के बाद निवेश और बचत की दरों में आई गिरावट (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में) ने इन्हें पुनः सामान्य स्तरों की ओर ही मोड़ दिया है।
- यद्यपि, निवेश और बचत दरों में ऐसे तीव्र परिवर्तन भारत के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं आए थे।
- हाल ही में भारत में आई बचत/निवेश में गिरावट के पीछे प्रमुख कारण निजी निवेश और परिवारिक/सरकारी बचत में आयी गिरावट थी।

निवेश और बचत में शिथिलता की पहचान

इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारण निम्नलिखित हैं:

- बचत घटनाक्रमों की तुलना में निवेश घटनाक्रमों की संख्या अधिक है, जबकि सामान्य घटनाक्रम (जहां निवेश और बचत दोनों में शिथिलता हो) की स्थिति अपेक्षाकृत असामान्य है।
- हालांकि, निवेश को पुनः बढ़ाने हेतु वैश्विक वित्तीय संकट के बाद प्रोत्साहन तथा अन्य नीतियों के माध्यम से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में ठोस प्रयासों के चलते हाल ही में निवेश घटनाक्रमों की संख्या में अपेक्षाकृत कमी आयी है।
- निवेश और बचत में आई कमी की अवधियो में समानता हो सकती है। किन्तु निवेश में मंदी के घटनाक्रम अधिक गहन रहे हैं तथा इसकी गहनता चरम अवस्था के लिए अधिक प्रवण है।
- भारत का हालिया निवेश/बचत मंदी का दौर अन्य मामलों (निवेश मंदी 2012 में आरंभ हुई और बचत मंदी 2010 में आरंभ हुई) की तुलना में लम्बा रहा है और अभी भी यह समाप्त नहीं हुआ है।

बचत बनाम निवेशः संवृद्धि पर प्रभाव

- निवेश या बचत बढ़ाने को प्राथमिकता देने के प्रश्न पर प्रायः कहा जाता है कि मानक समाधान यह है कि दोनों समस्याओं- बचत तथा निवेश में कमी से एक साथ निपटने की आवश्यकता है। यद्यपि हालांकि, यह मामला सापेक्ष महत्ता (relative importance) और तात्कालिकता (urgency) का है।
- अन्य अध्ययनों के साथ-साथ सर्वेक्षण यह भी बताता है कि विकास को बढ़ावा देने हेतु नीतियों को बचत के बजाय निवेश के प्रोत्साहन पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

निवेश में 'भारत जैसी' गिरावट से उबर पाना

भारत में निवेश संबंधी गिरावट निम्न अर्थों में असामान्य है:

- परिमाण के सन्दर्भ में यह अपेक्षाकृत मध्यम, लंबी समयावधि एवं इसका आरंभ जीडीपी की 36% की अपेक्षाकृत ऊंची दर से हुआ।
- यह तुलन पत्र (बैलेंस शीट) से संबंधित मंदी है। दूसरे शब्दों में, कई कंपनियों को अपने निवेश को कम करना पड़ा, क्योंकि उनके वित्तीय संसाधन दबावग्रस्त (stressed) थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अर्थव्यस्था की उच्च वृद्धि की अवधि में जो निवेश किए, उनसे अपेक्षित लाभ नहीं हुआ तथा वे पुराने ऋणों का भुगतान करने में भी असमर्थ हो गए।

VISION IAS

तुलन पत्र (बैलेंस शीट) से संबंधित मंदी के निहितार्थ

- तुलन पत्र संबंधी समस्याओं से निवेश में होने वाली गिरावट से उबरना कहीं अधिक कठिन है। ऐसे मामलों में निवेश पर भारी दबाव बना रहता है, जबकि तुलन पत्र से भिन्न गिरावटों के संबंध में यह कमी अपेक्षाकृत छोटी होती है और यह पलटी जा सकती है।
- भारत में निवेश संबंधी अब तक हुई गिरावट (8.5 प्रतिशतांक) तुलन पत्र से जुड़े अन्य मामलों से तुलना करने पर भी असामान्य रूप से बहुत अधिक लंबी रही है। इसके कारण, इसने संवृद्धि के सन्दर्भ में मध्य स्तरीय लागत अदा की है। 2007 और 2016 के मध्य भारत की वास्तविक प्रति-व्यक्ति जीडीपी वृद्धि की दर में लगभग 2.3 प्रतिशतांक तक की कमी आयी है।

आगे की राह

निवेश में मंदी (Investment Slowdown) को कम करने हेतु भारत सरकार ने पहले ही एक नीतिगत एजेंडा आरंभ कर दिया है। पहले तो 2015-16 से सार्वजनिक निवेश में वृद्धि हुई है और अब नीतिगत सार्वजनिक निवेश में बाधा से दोहरी तुलन-पत्र चुनौती का निर्णायक समाधन किया गया है। पूरक उपायों के साथ इन प्रयासों पर अनुवर्ती कार्रवाई करनी होगी:

- व्यापार करने की लागत को आगे और कम करना तथा एक स्पष्ट, पारदर्शी एवं स्थिर कर व विनियामक वातावरण बनाना।
- इसके अलावा लघु एवं मध्यम उद्योग को समृद्ध बनाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और निवेश से निजी निवेश के पुनरूद्धार को भी सहायता मिलेगी। छोटे और बड़े दोनों उद्योगों पर निवेश-प्रोत्साहन परक नीतियों में समान रूप से ध्यान देना होगा।

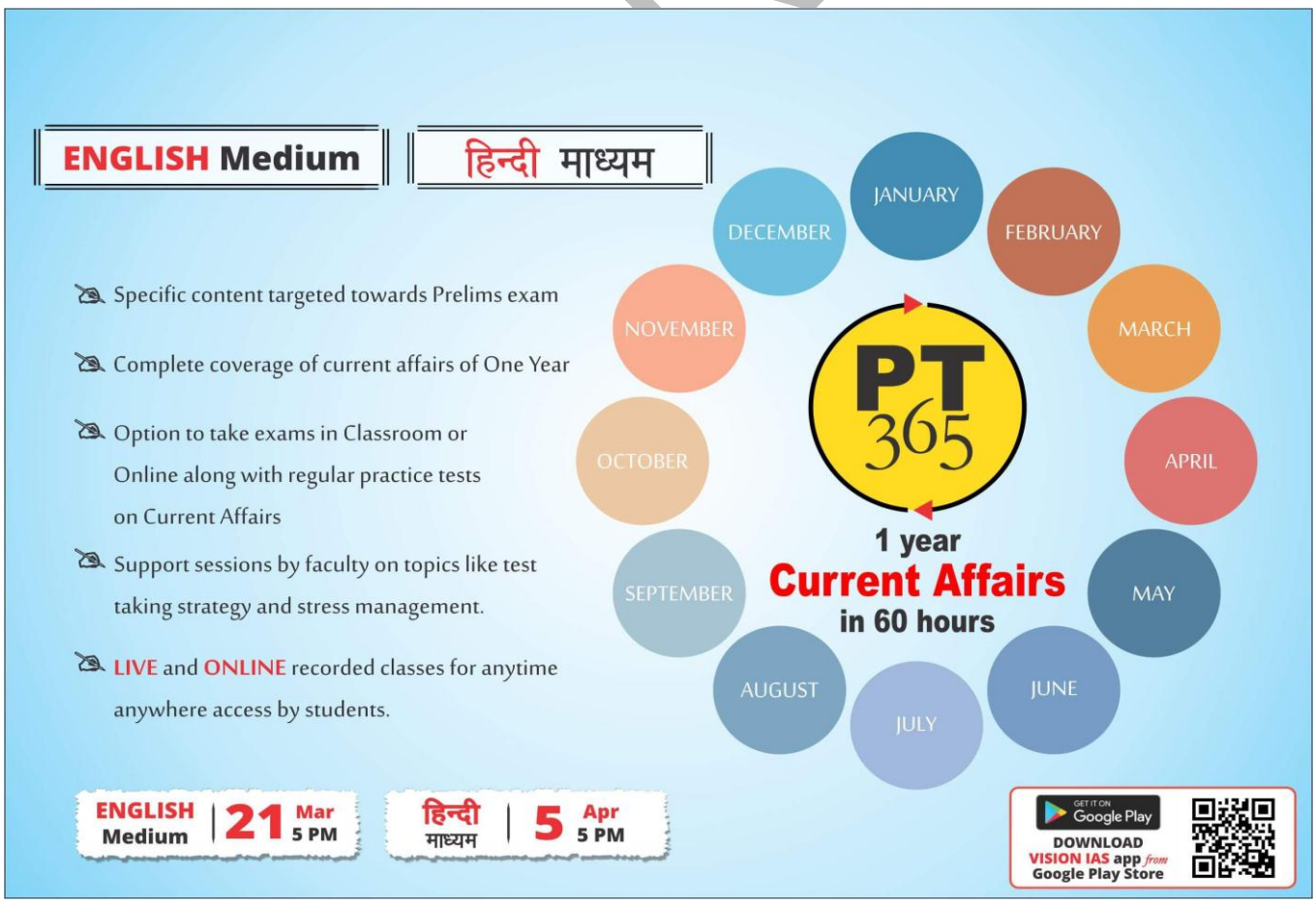

अध्याय 04 : राजकोषीय संघवाद और जवाबदेही में समन्वय : क्या इसमें निम्न संतुलन अवरोध है?

विषय-वस्तु

यह अध्याय राजकोषीय संघवाद, कराधान और जवाबदेही से संबंधित मुद्दों का वर्णन करता है। यह सरकार के विभिन्न स्तरों द्वारा स्वयं-संसाधनों के सृजन की समीक्षा करके, महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि करों के माध्यम से स्वयं के राजस्व का सृजन करने में प्रदर्शन जितना बेहतर होगा, जवाबदेही उतनी ही मज़बूत होने की उम्मीद है।

परिचय

- कराधान राज्य के राजस्व में वृद्धि का साधन मात्र ही नहीं है, अपितु यह आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। कराधान नागरिकों और राज्य के मध्य एक सामाजिक संविदा होती है। यह ऐसा आर्थिक संयोजक (glue) होता है, जिससे नागरिकों के राज्य से आवश्यक द्वि-मार्गी संबंध जुड़ते हैं।
    - राज्य की भूमिका अनिवार्य सेवाएं और पुनर्संवितरण के माध्यम से कम संपन्न व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करके, सभी के लिए समृद्धि हेतु स्थितियां उत्पन्न करना है।
    - संविदा में नागरिकों की भूमिका राज्य को जवाबदेह बनाए रखना है। किन्तु यदि कोई नागरिक उन सेवाओं के लिए दृश्य और प्रत्यक्ष तरीके से भुगतान नहीं करता है, जिन्हें राज्य उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध होता है, तो जवाबदेही के निर्वहन में उनका दायित्व भी कम हो जाता है।
    - साथ ही, "सहायता"(Aid Curse) और "प्राकृतिक संसाधन"(Resource curse) अभिशाप यह चित्रित करते हैं कि जब देश सरकारी राजस्वों के गैर-कर स्रोतों पर निर्भर हो जाते हैं तो आर्थिक एवं संस्थागत विकास स्तंभित हो जाता है।

प्रत्यक्ष कराधान और विकास: व्यापक (केंद्र और राज्य) सरकार

- आर्थिक और राजनैतिक विकास कुल करों में प्रत्यक्ष करों के बढ़ते हुए हिस्से का अनुषंगी रहा है।
    - विकसित देश उभरते बाज़ारों की अपेक्षा प्रत्यक्ष करों से ही अपने राजस्व का उच्च अनुपात संग्रहित करते हैं। उदाहरण के लिए, यूरोप में कुल करों में प्रत्यक्ष करों का औसत हिस्सा लगभग 70% है।
- भारत के प्रत्यक्ष कर का हिस्सा विकास के तुलनात्मक चरण में अन्य देशों के समान है, किन्तु भारत में कुल करों में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा न्यूनतम है।
    - हालांकि, अन्य देशों के विपरीत प्रत्यक्ष करों पर इसके विश्वास की प्रवृति कम होती हुई प्रतीत होती है। यदि वस्तु एवं सेवा कर (GST) राजस्व का एक उत्फुल्लित (buoyant) स्रोत सिद्ध हुआ तो यह प्रवृति और अधिक तीव्र हो जाएगी।

प्रत्यक्ष करों पर अधिक ध्यान-केन्द्रित क्यों?

- जैसा कि स्वयं नाम से प्रतीत है, प्रत्यक्ष करों का अनुभव करदाता द्वारा अधिक किया जाता है| प्रत्यक्ष करों का अनुभव स्वामित्वहरण जैसा होता है क्योंकि इससे नागरिकों की स्वयं प्रयोज्य आय और वे अर्जन कम हो जाते हैं. जिन्हें वे स्वंय के पास रखना चाहते हैं|
- अप्रत्यक्ष करों से, नागरिकों पर बोझ बढ़ जाता है किंतु बोझ का यह भाव उस बात पर छोड़ दिया जाता है कि नागरिक स्वयं विकल्प का चयन कर रहे हैं|

प्रत्यक्ष कराधान और विकास: उप-संघीय स्तर

- भारतीय राज्यों और स्थानीय सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष कर संग्रहण अन्य संघीय देशों में अपने समकक्षों की तुलना में काफी कम है।

VISION IAS

वित्त आयोग के अनुक्रमिक निर्णयों के अंग के रूप में राज्यों द्वारा प्रयोग किये गये संसाधन – हस्तांतरित या अंशभाजित है ? इसका उत्तर देने के लिए, निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना चाहिए:

- आय कर और सीमा शुल्क जो कि प्रभाज्य पूल का एक बड़ा भाग निर्मित करते हैं, से केंद्र की संबद्धता समाप्त करना (करदाताओं की नज़रों में) कठिन होता है।
- यदि केंद्र एक संग्रहण एजेंसी मात्र के रूप में कार्य करता तो निधियों का बंटवारा राज्यों के कर आधारों के अनुसार होता; जिससे उनके पास पर्याप्त परिमाण में पुन:वितरणात्मक घटक उपलब्ध नहीं होते।
- GST एक तीव्र व्यतिरेक प्रदान करता है जिसमें यह स्पष्ट रूप से अधिक "अंशभाजित" है क्योंकि कर संबंधी निर्णय और करों का प्रशासन दोनों (केंद्र और राज्यों) के द्वारा ही किया जाना है।
- सारांश रूप में, इनकी विधित: अवस्थिति चाहे जो हो, राज्यों को प्रभाज्य पूल से संसाधनों का बड़ी मात्रा में हस्तांतरण किया जाता है।

चित्र 2: निम्न प्रशासन स्तरों के निजी राजस्व और प्रत्यक्ष कर (कुल राजस्व का प्रतिशत)

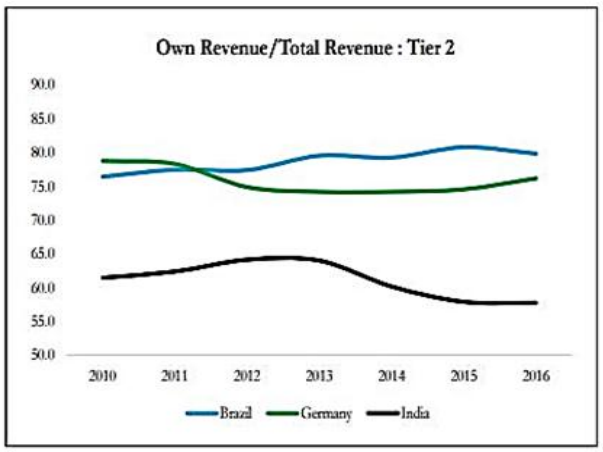

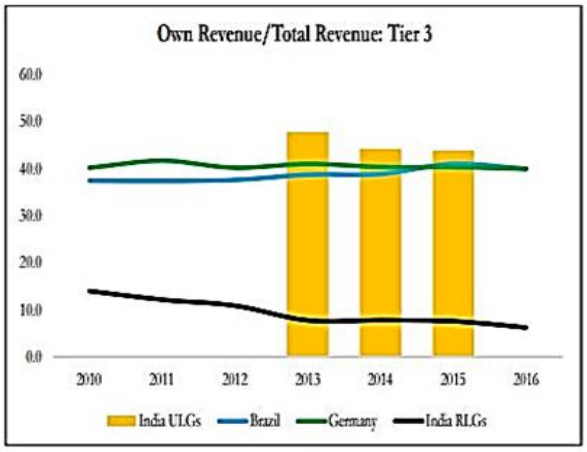

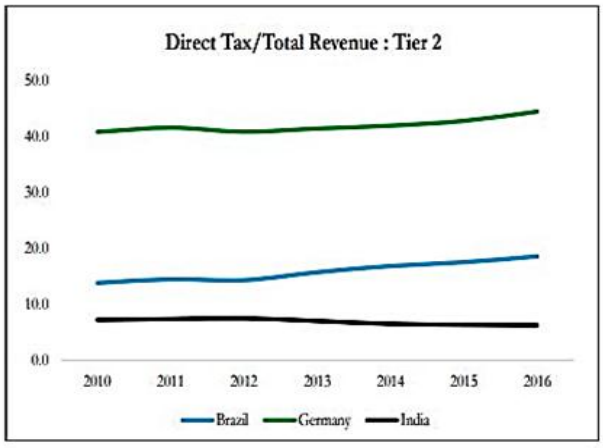

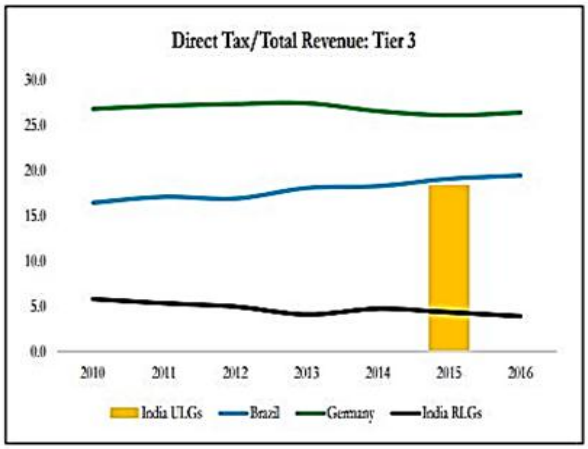

- इस बीच, भारत के शहरी स्थानीय शासन (ULGs), अंतर्राष्ट्रीय मानकों के काफी करीब हैं। यह इस बात का साक्ष्य है कि भारत में अभी तक ग्रामीण स्थानीय शासन (RLGs) की तुलना में ULGs का राजकोषीय शक्ति के रूप में अधिक उभार हुआ है।

स्थानीय शासन: क्या है?

- गत दो दशकों के दौरान, स्थानीय शासनों ने जमीनी स्तर पर विकास के मुद्दे पर उल्लेखनीय 'महत्त्व' वाले संस्थानों के रूप में प्रमुखता प्राप्त की है, तथापि उन्हें अनेक महत्वपूर्ण स्थानिक परिवर्तनों और अत्यधिक राजनीतिक प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा है। हालाँकि, संसाधन प्रवाह के बड़े भाग का किसी कार्य विशेष से सहबद्धता, RLGs में व्यय की स्वायत्तता में बाधा उत्पन्न करता है।

- **सरकार के विभिन्न स्तरों के व्यय संबंधी पैटर्न:** केंद्र और राज्य सरकारें RLGs की तुलना में प्रति व्यक्ति औसतन 15-20 गुणा से भी अधिक तथा ULGs लगभग तीन गुणा अधिक व्यय करती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि समय के साथ-साथ यह अंतर और भी अधिक बढ़ा रहा है, जबकि वर्ष 2010-11 से RLGs द्वारा प्रति व्यक्ति किये जाने वाले व्यय में लगभग चार गुणा की वृद्धि हुई है।

अंतरित निधियों पर अत्यधिक निर्भरता:

- **ULGs भिन्न हैं:** ULGs स्वंय के संसाधनों से कुल राजस्व का 44% भाग सृजित करते हैं। इसके विपरीत, RLGs लगभग पूरी तरह (लगभग 95%) अंतरण पर ही निर्भर करते हैं। ULGs द्वारा संग्रहीत प्रति व्यक्ति स्वयं का राजस्व, शहरी प्रति व्यक्ति आय का लगभग 3% है जबकि अनुवर्ती आंकड़े RLGs के लिए केवल 0.1% हैं।
- **राज्यों में भिन्नता:** मोटे तौर पर, दो श्रेणियां हैं – उन राज्यों का RLGs जो कुछ प्रत्यक्ष कर और स्वयं कर राजस्व संग्रहीत करते हैं (उदाहरण के लिए, केरल, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक), इसके विपरीत, उत्तरप्रदेश जैसे राज्यों के RLGs प्राय: पूर्ण रूप से अंतरणों पर निर्भर करते हैं। यह भिन्नता ULGs की तुलना में RLGs के मामले में अधिक गंभीर है।
    - अंतरित निधियों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण, जो कि अत्यधिक रूप से, क्षेत्रों और योजनाओं से संबंधित होते हैं, ग्राम पंचायतें (GP) इस प्रकार की निधियों की अत्यधिक मात्रा सड़कों, मौलिक सेवाओं, स्वच्छता और सामुदायिक आस्तियों जैसे निश्चित क्षेत्रों में व्यय करती हैं। सिंचाई जैसे मात्र स्थानीय सार्वजानिक मदों पर इन निधियों में से व्यय करना प्राथमिकता नहीं है।

राज्य और स्थानीय सरकारें: बिलकुल भिन्न प्रश्न

मानक संवाद मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित है:

- **अपर्याप्त कर और व्यय अंतरण:** पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) की उत्तरोत्तर अंतरण संबंधी रिपोर्टों से यह ज्ञात होता है कि कई राज्यों में स्थानीय शासन को समुनदेशित राजस्व की हिस्सेदारी निर्धारित व्यय की तुलना में कम है। उदाहरण के लिए, पंचायतों के लिए अनुज्ञेय करों में संपत्ति एवं मनोरंजन कर ही शामिल होते हैं लेकिन भूमि-कर या सड़कों का पथ-कर (स्थानीय पंचायत सड़कों को छोड़कर) शामिल नहीं होता है।
- **राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें:** नवीनतम MoPR अंतरण रिपोर्ट (2015-16) के अनुसार, उक्त सिफारिशों की स्वीकृति में भिन्नता है जैसे कि कर्नाटक में कम से कम 11%, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश और राजस्थान में 50% से अधिक तथा केरल में पूर्ण स्वीकृति प्रदान की गयी है।

हालाँकि, बहुत कम जांच किया गया एक भिन्न प्रश्न: कर लगाने की शक्तियां प्रदान करने पर, उन्होंने कैसा कार्य निष्पादन किया है और क्या इन शक्तियों की संभावना के अनुसार अनुमानित राजस्वों का संग्रह किया है?

- व्यावसायिक करों के अलावा संपत्ति कर, तीसरे स्तर की सरकार के प्रत्यक्ष कर राजस्व का मुख्य स्रोत है। राजस्व के इन अत्यधिक विकसित स्रोतों से संग्रह को सामान्यत: संपत्तियों में प्रयुक्त बाज़ार मूल्यों से अत्यधिक कम पुराने आधार मूल्यों, संगृहीत करों की निम्न दरों, और कुछ राज्यों जैसे ओड़िसा और राजस्थान में स्थानीय निकायों के लिए शक्तियों के अभाव के कारण अति निम्न स्तरों पर लगाया जाना है।
- इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष-करों का क्षमता से कम संग्रहण केंद्र सरकार (केंद्र-शासित राज्यों में, जहाँ केंद्र सरकार इस ज़िम्मेदारी का प्रभार लेती है) तथा अन्य दोनों स्तरों की सरकार के लिए समान रूप से चुनौती है।

दूसरे और तीसरे स्तर की सरकार द्वारा संग्रहीत संपत्ति कर हैं -

- राज्य स्तर पर निर्धारित और संग्रहीत भू-कर; और
- भवन कर, जिसमे नगरपालिका (ULG) और ग्राम पंचायत (RLG) स्तरों पर संगृहीत संपत्ति/गृहकर शामिल हैं।

VISION IAS

निष्कर्ष

- प्रत्यक्ष करों के संग्रहण की सीमित क्षमता सरकार के सभी स्तरों के समक्ष एक बड़ी चुनौती है - सार्वजनिक सेवा वितरण की गुणवत्ता के संदर्भ में, ऐसे करों को प्रायः जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य को दिए गये अंशदान की बजाय दिए जाने वाले "नजराने" के रूप में देखा जाता है। इसका एक दुष्परिणाम यह होता है कि मध्यम वर्ग का निजी सेवा प्रदाताओं (संरक्षण, स्वास्थ्य और शिक्षा) की ओर झुकाव बढ़ जाता है जो केवल समस्या को और अधिक बढ़ाता है।
- अंतरण और विकेन्द्रीकरण की भावी चर्चाओं को आधारभूत समस्याओं की पहचान करके उनका समाधान निकाला जाना चाहिए क्योंकि स्थानीय सरकारें निम्न संतुलन की समस्याओं में फंसी रह सकती हैं। अर्थात्, राज्यों और तीसरे स्तर की संस्थाओं का राजकोषीय मॉडल सदैव बाह्य स्त्रोतों पर आधारित रह सकता है जोकि शिथिल जवाबदेही तंत्रों और शिथिल स्वयं-संसाधन सृजन क्षमता से उत्पन्न होते हैं। यह संभवतः भारत में शासन-संबंधी चुनौतियों का केंद्रीय बिंदु है।

"You are as strong as your foundation"

FOUNDATION COURSE
PRELIMS GS PAPER - 1

FOUNDATION COURSE
GS MAINS

Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination

Duration: 90 classes (approximately)

4th Dec | 9 AM

- Includes comprehensive coverage of all the major topics for GS Prelims
- Includes All India Prelims (CSAT I and II Paper) Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 (Online Classes only)
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal online student platform
- Includes comprehensive, relevant & updated study material for prelims examination

Duration: 110 classes (approximately)

21st Nov | 1 PM

- Includes comprehensive coverage of all the four papers for GS MAINS
- Includes All India GS Mains and Essay Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of MAINS 365 (Online Classes only)
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal online student platform
- Includes comprehensive, relevant & updated study material

LIVE / ONLINE CLASSES AVAILABLE

NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts & subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions & convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail. Post processed videos are uploaded on student's online platform within 24-48 hours of the live class.

अध्याय 05 : क्या विकास में "विलंबित अभिसृति" एक बाधा बन जाती है? क्या भारत उससे बच सकता है?

सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्थाओं की चार श्रेणियों की चर्चा की गई है, जैसे –

- **निम्न आय**- जिसकी प्रति व्यक्ति वास्तविक GDP क्रय शक्ति समानता के सन्दर्भ में अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय की तुलना में 5% से कम हो।
- **निम्न मध्यम आय-** जिसकी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की तुलना में लगभग 5-15% हो।
- **उच्च मध्यम आय**- जिसकी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की तुलना में लगभग 15-35% हो।
- **उच्च आय-** जिसकी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के आय स्तर से भी अधिक हो।

व्यापार का गुरुत्व मॉडल -

- इस मॉडल के अनुसार यदि अभिसरण होता है तो इससे व्यापार में भी वृद्धि होगी।
- दो बराबर आकार वाले देश, उस परिदृश्य की तुलना में जहां एक बड़ा देश व्यापार के अधिकांश भाग के लिए जिम्मेदार है की तुलना में अधिक व्यापार भागीदारी करेंगे।
- अभिसरण के परिणामस्वरूप विश्व तेजी से एक समान हो रहा है, जिसका अर्थ है उच्च व्यापार।

विषय-वस्तु

इस अध्याय में अभिसरण प्रक्रिया पर ध्यान केन्द्रित किया गया है (गरीब देशों एवं संपन्न देशों के मध्य जीवन-स्तर अन्तराल कम हो रहा है) जिसमें व्यापक रूप से वृद्धि हो रही है और पिछले 20-30 वर्षों से इस वृद्धि में तेजी आई है। इसमें कुछ चुनौतियों की पहचान की गई हैं और कुछ निम्न मध्यम आय वाले देशों की प्रक्रिया में संभावित मंदी का भी वर्णन किया गया है। यह "विलंबित अभिसृति" से बचने के लिए भारत के लिए नीतिगत सीख को भी सूचीबद्ध करता है।

परिचय

- पिछले कुछ दशकों में, वैश्विक शुभ में (जीवन स्तर, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच और अधिक व्यापक रूप से भौतिक सुविधाओं तक पहुंच) विशेष रूप से निर्धन देशों में अभूतपूर्व उन्नति हुई है।
- ऐसे कुछ घटनाक्रमों के घटित होने का **प्रमुख प्रेरक तत्व** निर्धन देशों द्वारा सम्पन्न देशों के "समकक्ष आने"(catching up) तथा दोनों के मध्य जीवन स्तरों में व्याप्त अंतरालों को कम करने की प्रक्रिया को माना जा सकता है, जिसे "**आर्थिक अभिसरण**" भी कहा जाता है।
- निर्धन समूह के देशों के विकसित समूह के देशों के समकक्ष आने की प्रक्रिया में इतनी तेजी आई है कि इसे "**आर्थिक विकास की दौड़ में तीव्र गति से आगे बढ़ना (convergence with a vengeance)**" भी कहा जाता है।
- निम्नलिखित दो प्रवृतियां **इस प्रक्रिया के विस्तार को** सिद्ध करती हैं-
  - विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेजी से वृद्धि कर रहे निर्धन देशों की संख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है।
  - इन अर्थव्यवस्थाओं में समकक्ष आने की तीव्र दर।
- वैश्विक वित्तीय संकट (GFC) के दौर के बाद चार संभावित प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण आर्थिक विकास की दौड़ में देरी से शामिल होने से विकास की गति बाधित होने की आशंका उत्पन्न हुई है जो इस दौर में शुरू में ही शामिल हो जाने वाले जापान और कोरिया जैसे देशों के सन्दर्भ में नहीं दिखी थीं।

यह संशय क्यों?

- यह संशय इस तथ्य से उभरता है कि GFC के पश्चात् विश्व भर की विकास दर में तेजी से गिरावट आई थी। यद्यपि निम्न आय वर्ग के देशों में विकसित देशों की तुलना में गिरावट की दर कम थी, फिर भी भारत जैसे "विलंबित अभिसृति" देशों के संबंध में संशय है, जो अपनी अभिसरण प्रक्रिया को तीव्र करने का प्रयास कर रहे हैं। इस चिंता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-

VISION IAS

तीव्र वैश्वीकरण का परित्याग -

- तीव्र वैश्वीकरण (इसने अभिसरण में पहले शामिल होने वाले देशों को लाभान्वित किया है) का परिणाम **विकसित देशों में विपरीत रहा** है, जिसे उनकी घरेलू अर्थव्यवस्थाओं और हितों की रक्षा हेतु व्यापार-GDP के निम्न अनुपातों को प्राप्त करने की दिशा में बाध्यता और वास्तविक प्रयासों के माध्यम से देखा जा सकता है (जो वैश्विक व्यापार-GDP अनुपातों में 2011 से हुई गिरावट से प्रदर्शित होता है)।
- इसका अर्थ है कि वर्तमान में नए अभिसारकों (convergers) के लिए समान व्यापारिक अवसर उपलब्ध नहीं हो सकते।
    - हालाँकि, भारत जैसे कुछ देशों के लिए विश्व व्यापार की प्रवृतियों में इस प्रकार के परिवर्तनों के कारण संवृद्धि पर इस प्रकार की बाह्य बाधाएं नहीं हो सकती है। लेकिन यह निम्न और मध्यम आय वाले देशों के एक समूह को प्रभावित कर सकता है।

बाधित सरंचनात्मक परिवर्तन: बेहतर और संधारणीय विकास:

- परिवर्तनों की सफलता सुनिश्चित करने हेतु, विनिर्माण क्षेत्र को निर्णायक क्षेत्र के रूप में माना गया है। इसके अतिरिक्त सफल विकास के लिए दो प्रकार के सरंचनात्मक परिवर्तन महत्त्वपूर्ण हैं–
    - संसाधनों को निम्न उत्पादकता से उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करना।
    - अधिकतम संसाधनों को उन क्षेत्रों में स्थानांतरित करना जिनमें उच्च उत्पादकता संवृद्धि की संभावना विद्यमान हो।
- हालाँकि कई मामलों में इसे "**बाधित सरंचनात्मक परिवर्तन**" कह सकते है अर्थात संसाधनों को अनौपचारिक/निम्न उत्पादकता वाले क्षेत्रों से सीमांत रूप से कम औपचारिक/अधिक उत्पादक क्षेत्रों में स्थानांतरित किया गया है।
- इसी कारण से "**समय से पूर्व विऔद्योगीकरण",** अर्थात विनिर्माण क्षेत्र के देरी से अभिसरण, क्रियाकलाप के निम्न स्तरों और विकास प्रक्रिया के आरंभिक चरणों में ही शिखर स्तर पार कर जाने का रुझान चिंता का कारण बना हुआ है।

अच्छी संवृद्धि - वांछनीय सरंचनात्मक परिवर्तनों को सम्मलित करना।
कम अच्छी संवृद्धि - होटल, रेस्तरां, परिवहन आदि जैसे क्षेत्रों वृद्धि।

- इसके अतिरिक्त, समय के साथ संवृद्धि और बेहतर संवृद्धि (growth and good growth) के मध्य सकारात्मक सहसंबंध कमज़ोर हुआ है।
- इस संबंध में अभिसरण प्रक्रिया में विभिन्न बाहरी कारक भी विद्यमान हैं, जैसे **भारत और चीन**। चीन की संवृद्धि बेहतर बनी हुई है, जबकि भारत की संवृद्धि में गिरावट आई है।
- हालाँकि, इस प्रकार के मामले बहुत ही कम हैं तथापि यह अधिक विवेकपूर्ण होगा कि स्थायी अपवादों पर विश्वास न किया जाए।

मानव पूँजी का ह्रास:

- आरंभिक अभिसारकों के विपरीत (जिनका मानव पूंजीगत उत्थान सरंचनात्मक रूपांतरण से जुड़े हुए क्षेत्र के संरेखित था जैसे विनिर्माणक्षेत्र), परवर्ती अभिसारकों (विकास की दौड़ में बाद में सम्मिलित होने वाले देशों) के लिए वर्तमान स्थिति कठिन हो सकती है क्योंकि –
    - कुछ देश सरंचनात्मक रूपांतरण के लिए आवश्यक बुनियादी प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने में भी विफल रहे।
    - नए सरंचनात्मक रूपांतरण के लिए मानव पूँजी सीमा और आगे स्थानांरित हो गयी है, जिसने रूपांतरण की प्रक्रिया को महंगा बना दिया है। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए कुशल मानव पूँजी की आवश्यकता होगी, जिसमें अधिक अनुकूलनशीलता और निरतंर सीखने की क्षमता हो।
- इन आवश्यकताओं के विपरीत, निम्न आय वर्ग वाले देशों और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के मध्य एक व्यापक **शैक्षणिक उपलब्धि अंतराल (educational attainment gap) है।** यदि यह अंतराल बना रहता है या और अधिक बढ़ता है, तो जिस प्रकार के रूपांतरण का लाभ आरंभिक अभिसारकों को हुआ था, परवर्ती अभिसारकों के लिए वह अधिक कठिन सिद्ध हो सकता है।
- यह अंतराल भारत के लिए चौंकाने वाला है, जैसे यह अंतराल **सीखने की कमी की कुल गणना** (LPC) के लिए 40-50% के मध्य और **सीखने की कमी का अन्तर (LPG)** पठन के लिए लगभग 25% तथा गणित के लिए कुछ कम है।

VISION IAS

सीखने की कमी की कुल गणना (LPC) – उन बच्चों की संख्या को मापता है जो बुनियादी शिक्षा के बेंचमार्क को पूरा नहीं करते हैं।

सीखने की कमी के अन्तर (LPG) – इसके अंतर्गत इसे भी सम्मिलित किया जाता हैं कि प्रत्येक छात्र बेंचमार्क से कितना दूर है।

जलवायु परिवर्तन के कारण निर्मित कृषि दबाव-

- विलंबित अभिसारकों के लिए, कृषि उत्पादकता लोगों के भरणपोषण और कृषि से आधुनिक क्षेत्रों में स्थानांतरित करने वाली मानव पूँजी संचयन को सुनिश्चित करना, दोनों ही के लिए महत्त्वपूर्ण होती है।
- प्रत्येक समयावधि में विकसित देशों की कृषि संवृद्धि दर विकासशील देशों की तुलना में लगातार उच्च रही है। वहीं निर्धनतम देशों के लिए इस संवृद्धि दर में GFC के पश्चात् और अधिक गिरावट आई है।
- इसका मुख्य कारण तापमान में परिवर्तन का प्रभाव है। उदाहरण के लिए भारतीय कृषि तापमान में वृद्धि के प्रति सुभेद्य है और वर्षा पर इसकी निर्भरता बहुत अधिक है।

मध्यम आय पाश (Middle Income Trap)

- अभिसरण प्रतिक्रिया के संबंध में संशय **"मध्यम आय पाश"** की अवधारणा के रूप में व्यक्त किया जाता हैं, जिसके अंतर्गत मध्यम आय वाले देश अपेक्षाकृत धीमी गति से वृद्धि करेंगे, जिसके मुख्य रूप से दो कारण हैं:
  - एक ओर, जैसे ही देश मध्यम आय स्थिति को प्राप्त करते हैं, वे विनिर्माण और अन्य गतिशील क्षेत्रों से बाहर निकल जायेंगे,
  - दूसरी ओर, मूल्य वर्धित श्रृंखला में उच्चतर स्थान प्राप्त करने हेतु उनके पास संस्थागत, मानव और तकनीकी पूँजी निवेश की कमी होगी।
- हालाँकि, ऐसी आशंकाओं को नकारते हुए, मध्यम आय वाले देशों ने अभिसरण मानकों की मांग की तुलना में तीव्र संवृद्धि जारी रखी है। अपेक्षाकृत निर्धन देश, निम्न मध्यम आय वाले देशों की तुलना में अधिक तेजी से संवृद्धि कर रहे हैं, वहीँ ये देश विकसित देशों की तुलना में तेजी से प्रगति कर रहे हैं।

भारत की स्थिति

- 1960 में, भारत एक निम्न आय वाला देश था, जिसकी प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय की लगभग 6% थी। हालाँकि, 2008 में भारत को निम्न-मध्यम आय वाले देश का दर्जा प्राप्त हुआ था, जिसकी प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय का लगभग 12% थी।
- लेकिन अपेक्षाकृत निम्न कृषि वृद्धि के बावजूद, उच्च उत्पादकता और गतिशील क्षेत्रों में श्रमिक संसाधनों के सीमित हस्तांतरण के साथ विकास हुआ है। इसलिए विलंबित अभिसृति का जोखिम भारत के लिए भी बना हुआ है।

आगे की राह

- भारत के गतिशील और संधारणीय विकास पथ की कुंजी होंगे–
  - मानव पूँजी में तेजी से सुधा - सभी के लिये बेहतर स्वस्थ्य सेवा, विशेषकर महिलाओं के लिये साथ ही बुनियादी प्राथमिक शिक्षा सहित निरंतर सीखने और अनुकूलन की क्षमता का विकास।
  - जलवायु परिवर्तन और जल अभाव जैसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कृषि उत्पादकता में तेजी से सुधार।
- इसके साथ ही वैश्वीकरण की तीखी प्रतिक्रिया, जिस पर भारत का नाम मात्र का नियंत्रण है, में कमी आनी चाहिए ताकि विकास की गति को तीव्र बनाएं रखने के लिए एक अनुकूल बाह्य वातावरण का निर्माण किया जा सके।
- भारत के लिए अभी तक कोई विलंबित अभिसृति नहीं है लेकिन फिर भी इसको रोकने हेतु कार्य करते रहने में ही बुद्धिमता है।

VISION IAS

अध्याय 06 : जलवायु, जलवायु परिवर्तन और कृषि

विषय वस्तु

यह अध्याय तीन उद्देश्यों की पूर्ति करता है- पहला, तापमान और वर्षा के जलवायवीय पैटर्न में परिवर्तनों का प्रलेखन करना। दूसरा, जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप कृषि उत्पादकता पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करना। इसके साथ ही दीर्घावधिक सन्दर्भ में, जलवायु परिवर्तनों के साथ संयोजन के लिए इन अल्पावधिक आकलनों का उपयोग करना ताकि भारतीय कृषि पर वैश्विक तापन के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके। अंत में खाद्यान केन्द्रित नीति की समीक्षा की आवश्यकता को देखते हुए कुछ नीतिगत निहितार्थ भी प्रस्तुत किए गए हैं।

Figure 1. Real Agricultural GVA Growth in India, 1960-2016
(in percent, 5 year moving average)

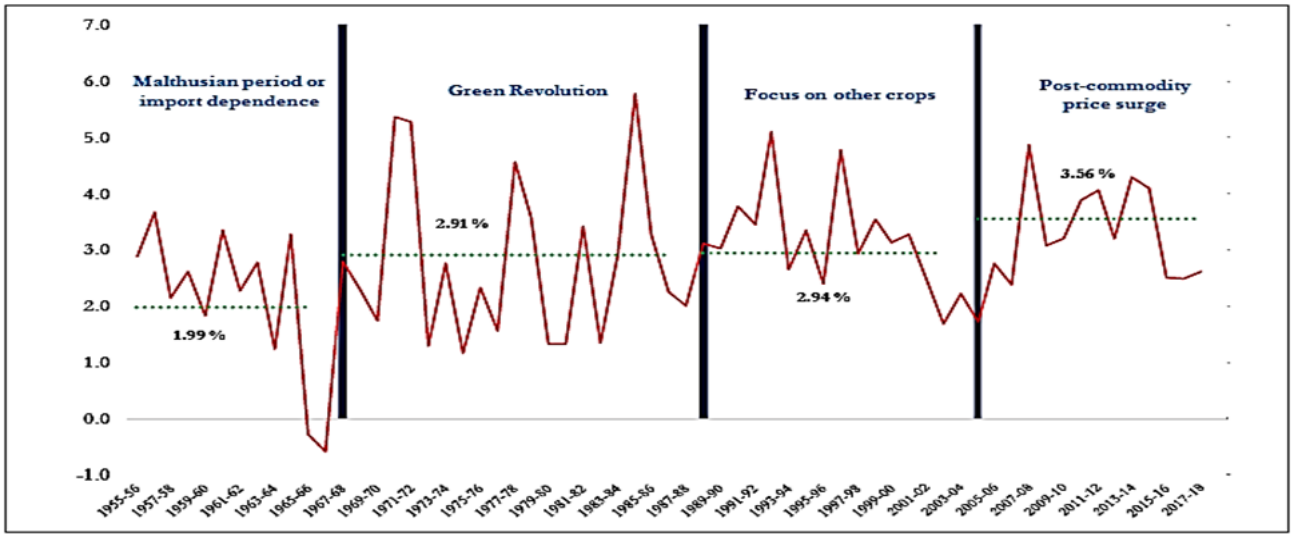

Source: Survey calculations.
Note: Numbers represent average agricultural growth rates for each period in percent.

सिंहावलोकन

कृषि पर ध्यान देने की आवश्यकता

- कृषि **GDP (16 प्रतिशत)** और **रोजगार (49 प्रतिशत)** में काफी बड़े भाग का योगदान करती है। कृषि का खराब प्रदर्शन, मुद्रास्फीति, कृषकों में तनाव और बड़े राजनीतिक एवं सामजिक असंतोष का कारण बन सकता है।
- कृषि की उत्पादकता में वृद्धि से, अर्थव्यवस्था के अपेक्षाकृत अधिक उत्पादक क्षेत्रों की ओर स्थानांतरण सरल हो जाएगा।

यह विडम्बना ही है कि सर्वेक्षण कृषि क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों की ओर स्थानान्तरण पर ध्यान देने की बात करता है। हालाँकि इसका अर्थ यह नहीं है कि किसानों की उपेक्षा की जाए, बल्कि उन्हें अधिक उत्पादक बनाना आवश्यक है। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि स्वयं ऐसे स्थानान्तरण के लिए कृषि में तेजी से वृद्धि की जाने की आवश्यकता है ताकि लोगों को अधिक खाद्य आपूर्ति, खेतों से अधिक आय का अर्जन तथा मानव पूँजी का संचय सुनिश्चित किया जा सके।

दीर्घकालिक कृषि निष्पादन

- 1960 के पश्चात् से भारत में वास्तविक कृषि विकास औसत रूप से लगभग 2.8% रहा है। हालाँकि, दीर्घावधि में चीन की वार्षिक कृषि संवृद्धि भारत की तुलना में 1.5% अधिक रही है।
- यद्यपि समय के साथ भारत की कृषि संवृद्धि की अस्थिरता में भारी गिरावट आई है तथापि चीन की तुलना में यह अभी भी काफी अधिक है, जहाँ इस क्षेत्र में उतार-चढ़ाव लगभग समाप्त हो गये हैं।

कृषि में व्याप्त अस्थिरता के कारण- भारत में कृषि, मौसम की अनिश्चितताओं के कारण अधिक सुभेद्य है क्योंकि अभी भी लगभग 52% (141.4 मिलियन हेक्टेयर निवल बुवाई क्षेत्र का 73.2 मिलियन हेक्टेयर) कृषि क्षेत्र असिंचित और वर्षा पर निर्भर है।

- तापमान में वृद्धि का प्रभाव जहाँ उत्तर-पूर्व, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात में विशेष रूप अनुभव किया गया है, वहीँ दूसरी ओर पंजाब, ओडिशा और उत्तरप्रदेश इससे सबसे कम प्रभावित हुए हैं।
- वर्षा में कमी का सर्वाधिक संकेंद्रण उत्तर प्रदेश, उत्तर-पूर्व और केरल, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड में है, जबकि गुजरात, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में वर्षा में वृद्धि दर्ज की गयी है।
- उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए स्थानिक तापमान में वृद्धि और वर्षा में गिरावट का सहसम्बन्ध अत्यधिक क्षीण प्रतीत होता है।

जलवायवीय पैटर्न, तापमान और वर्षा के सामयिक और स्थानिक पैटर्न का प्रलेखन

- 1970 के दशक से हाल के दशक के दौरान क्रमशः खरीफ और रबी के मौसम में तापमान में औसत वृद्धि 0.45 डिग्री और 0.63 डिग्री रही है।
- इसी अवधि के दौरान, खरीफ और रबी मौसम के लिए वर्षा में क्रमश: 26 मिलीमीटर और 33 मिलीमीटर की औसत गिरावट आई है। वार्षिक औसत वर्षा में लगभग 86 मिलीमीटर की गिरावट दर्ज की गयी है।
- चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति में जलवायु परिवर्तन के संकेत स्पष्ट देखने को मिलते हैं ।
    - शुष्क दिनों (प्रतिदिन 0.1 mm से कम वर्षा) तथा आर्द्र दिनों (प्रतिदिन 80 mm से अधिक वर्षा) के अनुपात में समय के साथ निरंतर वृद्धि हुई है।
    - उच्च तापमान वाले दिनों की संख्या में वृद्धि और कम तापमान वाले दिनों की संख्या में समान रूप से गिरावट आई है।

Table 1. Impact of Weather Shocks on Agricultural Yields
(percentage decline in response to temperature increase and rainfall decrease)

	Extreme Temperature Shocks	Extreme Rainfall Shocks
Average Kharif	4.0%	12.8%
Kharif, Irrigated	2.7%	6.2%
Kharif, Unirrigated	7.0%	14.7%
Average Rabi	4.7%	6.7%
Rabi, Irrigated	3.0%	4.1%
Rabi, Unirrigated	7.6%	8.6%

Source: Survey calculations.

कृषि की उत्पादकता पर मौसम का प्रभाव

इस सम्बन्ध में दो महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

- मौसम में अल्प परिवर्तन का उत्पादकता पर अत्यंत कम या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रभाव की अनुभूति तभी होती है जब तापमान बढ़ जाता है और वर्षा अत्यल्प होती है।
    - कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के सन्दर्भ में उपर्युक्त निष्कर्षों के महत्त्वपूर्ण निहितार्थ हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के अधिकांश मॉडल चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि की भविष्यवाणी करते हैं।
- चरम मौसमी घटनाओं के, सिंचित और असिंचित क्षेत्रों (उन जिलों के रूप में परिभाषित, जहाँ फसली क्षेत्र का 50% से कम क्षेत्र सिंचित है) पर पड़ने वाले प्रभाव एक दूसरे से अत्यंत भिन्न होते हैं। ऐसी घटनाओं का, असिंचित क्षेत्रों पर सिंचित क्षेत्रों की तुलना में दोगुने से अधिक प्रभाव पड़ता है।
    - फसल पर प्रभाव – वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उगाई गयी फसलें विशेष रूप से, खरीफ और रबी दोनों ही में उगाई जाने वाली दालें, मौसमी आघातों के प्रति सुभेद्य होती हैं जबकि धान और गेहूं अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरक्षित होते हैं।

Table 2. Impact of Weather Shocks on Farm Revenue

	Extreme Temperature Shocks	Extreme Rainfall Shocks
Average Kharif	4.3%	13.7%
Kharif, , Irrigated	7.0%	7.0%
Kharif, Unirrigated	5.1%	14.3%
Average Rabi	4.1%	5.5%
Rabi, Irrigated	3.2%	4.0%
Rabi, Unirrigated	5.9%	6.6%

Source: Survey calculations from IMD & ICRISAT data.

कृषि आय पर प्रभाव

तालिका-2 कृषक की आय पर चरम मौसमी आघातों के प्रभाव को दर्शाती है। इस प्रभाव का आकलन उत्पादन के मूल्य से किया जाता है।

- तालिका में प्रदत्त आंकड़े असिंचित क्षेत्रों में मौसम के आघात के सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाते हैं ।

VISION

- हालाँकि निम्नतर आपूर्ति से स्थानीय कीमतों में वृद्धि होनी चाहिए, परन्तु आंकड़ों के अनुसार इस मामले में "आपूर्ति आघात" मुख्य कारक होता है जहाँ उपज में कमी के फलस्वरूप आय में कमी होती है।

निष्कर्षों के सम्बन्ध में एक अन्य प्रेक्षण:

- किसी वर्ष में जब तापमान 1 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है तो असिंचित जिलों में किसान की आय में खरीफ के मौसम में 6.2 प्रतिशत और रबी के मौसम में 6 प्रतिशत की गिरावट आती है ।
- किसी वर्ष जब वर्षा का स्तर औसत से 100 मिलीमीटर कम होता है तो खरीफ की आय में 15 प्रतिशत और रबी की आय में 7 प्रतिशत की कमी हो जाती है।

दीर्घावधि में कृषि निष्पादन पर प्रभाव

- जलवायु परिवर्तन मॉडल का यह अनुमान है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक भारत में तापमान के 3-4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की सम्भावना है। इसका अर्थ यह है कि किसानों द्वारा किसी भी प्रकार अनुकूलन न किये जाने और नीति में कोई बदलाव (जैसे सिंचाई) न होने पर, आने वाले वर्षों में कृषि से होने वाली आमदनी में औसत रूप से 12% की गिरावट आएगी। असिंचित क्षेत्र गम्भीर रूप से प्रभावित होंगे जिसके फलस्वरूप 18% वार्षिक राजस्व की सम्भावित हानि होगी।
- विगत तीन दशकों से वर्षा में आयी गिरावट के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि असिंचित क्षेत्रों में खरीफ की फसल के दौरान कृषि आय में 12% और रबी की फसल के दौरान 5.4% की कमी आएगी।
- जलवायु परिवर्तन के मॉडल में यह अनुमान भी लगाया गया है कि दीर्घावधि में वर्षा की परिवर्तनशीलता में वृद्धि के साथ-साथ शुष्क दिवसों एवं अत्यधिक वर्षा के दिवसों की संख्या में वृद्धि होगी। केवल इसी प्रभाव से ही कृषि आय में 1.2% की कमी आ जाएगी।
- उपर्युक्त तीन कारकों के परस्पर सहसम्बन्धित हो जाने की सम्भावना है जिनके माध्यम से जलवायु परिवर्तन कृषि आय को प्रभावित करेगा। इन सहसम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए, जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों की आय में होने वाली कमी का औसत 15% से 18% के बीच हो सकता है। असिंचित क्षेत्रों में यह औसत 20% से 25% के मध्य हो सकता है। भारत में पहले से ही कृषि में आय के कम स्तर को देखते हुए यह निष्कर्ष चिंताजनक है।

नीतिगत निहितार्थ

- कृषि नीति सुधारों के सन्दर्भ में विचार करते समय, भारत में विद्यमान दो प्रकार की कृषि के मध्य स्पष्ट अंतर करना महत्त्वपूर्ण है।
  - **उत्तरी-भारत में उत्पादित अनाज कृषि**- सुसिंचित, आगत-पूर्ण (input-addled) और मूल्य-एवं-खरीद समर्थित हैं, जहाँ नीति के समक्ष प्रमुख चुनौती यह है कि किस प्रकार कीमतों और आर्थिक सहायता के समर्थन के रूप को, कम नुकसानकारी प्रत्यक्ष-लाभ-अंतरण व्यवस्था से प्रतिस्थापित किया जाए।
  - **केन्द्रीय, पश्चिम और दक्षिण भारत में गैर-अनाज कृषि**- अपर्याप्त सिंचाई, निरंतर वर्षा पर निर्भरता, अप्रभावी खरीद और अनुसन्धान एवं प्रौद्योगिकी में अपर्याप्त निवेश (जैसे दलहन, सोयाबीन और कपास), उच्च बाजार अवरोध और फसल कटाई के बाद की कमज़ोर आधारभूत अवसरंचना (फल और सब्जियां) एवं चुनौतीपूर्ण गैर-आर्थिक नीति (पशुधन)।
- भारत में सिंचाई के विस्तार की आवश्यकता है। यह कार्य बढ़ते जलाभाव एवं कम होते भौम जल संसाधनों की पृष्ठभूमि में करना होगा। ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर और जल प्रबन्धन प्रौद्योगिकियों को संसाधन आवंटन में अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिन्हें "प्रत्येक बूँद से अधिक फसल" (मोर क्रॉप फॉर एवरी ड्राप) अभियान के लिए अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त, विद्युत् सब्सिडी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण द्वारा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है ताकि विद्युत् के प्रयोग की पूर्ण रूप से लागत प्रदान की जा सके और जल संरक्षण को भी बढ़ाया जा सके।

VISION IAS

- कृषि क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह न केवल उपज बढ़ाने में कारगर होगा, अपितु जलवायु परिवर्तन से जुड़े सभी संभावित जोखिमों जैसे - अत्याधिक गर्मी एवं वर्षण, हानिकारक कीटों और फसल रोगों इत्यादि के निदानों में सहायक सिद्ध होगा। यह विशेषकर दलहन और सोयाबीन के लिए महत्त्वपूर्ण होगा जो मौसम और जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक सुभेद्य हैं।
- वर्तमान फसल बीमा कार्यक्रम (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) की पृष्ठभूमि में, किसानों की क्षति के निर्धारण और तत्पश्चात् उनकी क्षतिपूर्ति के लिए मौसम आधारित मॉडल एवं प्रौद्योगिकी (उदाहरण के लिए ड्रोन) का उपयोग किये जाने की आवश्यकता है।

भारत को उदार और रणनीतिक टॉप-डाउन योजना और सुधारों के साथ बॉटम अप प्रकृति के नियोजन की आवश्यकता है। GST परिषद का सहकारी संघवाद मॉडल केंद्र और राज्यों एक साथ लाता है तथा ऐसे ही मॉडल के उपयोग द्वारा आशाजनक ढंग से कृषि सुधारों को आगे बढ़ाया जा सकता है और किसानों की आय में संधारणीय वृद्धि की जा सकती है।

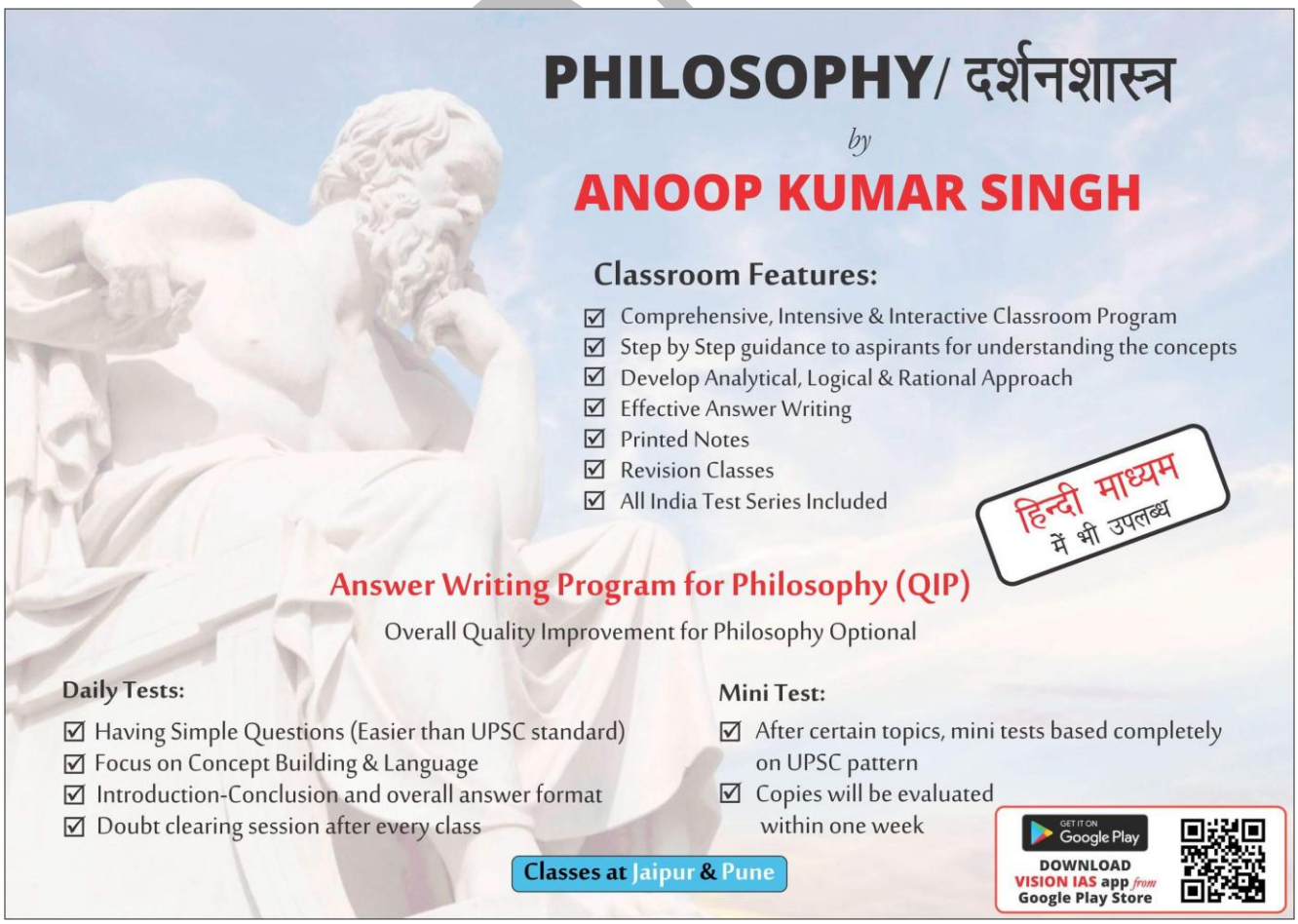

अध्याय 07 : कन्या नहीं पुत्र चाहिए : क्या विकास ही इस समस्या का समाधान है?

विषय-वस्तु

यह अध्याय विकास काल (Development time) और आनुक्रमिक काल (Chronological time) पर एक साथ विचार करते हुए देश में लिंग समानता की वर्तमान स्थिति का आकलन करता है। इसके अतिरिक्त यहाँ अन्य देशों से तुलना करते हुए भारत में लैंगिक विषमता तथा 'पुत्र-प्राप्ति को वरीयता देने' संबंधी समस्याओं से संबंधित आलोचनात्मक प्रेक्षण किए गए हैं। साथ ही यह सरकार द्वारा इस स्थिति का समाधान करने हेतु उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डालता है।

परिचय

स्वतंत्रता के बाद से ही देश में महिलाओं की भूमिका एवं स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न पहलें की जाती रही हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरुप भारत में लैंगिक समानता की दिशा में अधिकांश संकेतकों (जैसे महिलाओं के बीच साक्षरता और बेहतर स्वास्थ इत्यादि) में सुधार हुआ है। लेकिन, अभी भी कुछ ऐसे कार्यक्षेत्र बाकी रह गए हैं जहाँ और अधिक ध्यान देने और प्रयासों को तीव्र करने की आवश्यकता है; यथा कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना।

लैंगिक समानता

लैंगिक समानता स्वाभाविक रूप से एक बहुआयामी मुद्दा है। सर्वेक्षण में 3 विशिष्ट आयामों का आकलन किया गया हैं। ये निम्नलिखित हैं:

- **क्षमता (Agency):** इसका सम्बन्ध प्रजनन पर, स्वयं पर, परिवार और अपने स्वयं की सक्रियता पर एवं स्वास्थ्य पर व्यय करने के निर्णय लेने में महिलाओं की सामर्थ्य से है।
- **मनोवृत्ति (Attitude):** इसका संबंध महिलाओं/पत्नियों के विरुद्ध हिंसा और बेटों की आदर्श संख्या की तुलना में वरीयता दी गई बेटियों की आदर्श संख्या की मनोवृति से है।
- **निष्कर्ष (Outcomes):** इसका सम्बन्ध पुत्रों की चाह (अंतिम संतान के लिंग अनुपात द्वारा मापित), महिला नियोजन, गर्भनिरोधक के विकल्पों, शिक्षा के स्तर, विवाह के समय आयु, प्रथम प्रसव के समय आयु, और महिलाओं द्वारा भोगी गई शारीरिक या यौन हिंसा से है।

मूल्यांकन संकेतक जिन पर भारत को कार्य करने की आवश्यकता है:

- **प्रतिवर्ती गर्भनिरोधक का उपयोग** - भारत में अधिकांश महिलाएं इन विधियों का उपयोग नहीं करती हैं। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि महिलाओं का केवल इस पर नियंत्रण है कि वे बच्चों को जन्म देना कब रोक सकती हैं, इस पर नहीं कि वे बच्चों को जन्म देना कब प्रारम्भ करती हैं।
- यह किसी महिला के जीवन के आरंभिक पड़ावों को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में रोजगार के लिए समान पहुंच की उपलब्धता प्राप्त न हो।
- **कार्यबल में भागीदारी** - इसमें भी गिरावट हुई है क्योंकि -

  आपूर्ति पक्ष पर, पुरुषों की आय अधिक होने के कारण महिलाओं को कार्यबल से बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होता है।

वहीं मांग पक्ष पर, निम्नलिखित कारणों से महिलाओं की मांग कम होती है:

- कृषि का मशीनीकरण
- ऐसे रोजगारों की अपर्याप्त उपलब्धता जिन्हें महिलाएं वरीयता देती हैं।
- सुरक्षा संबंधी चिंताएं एवं सामाजिक मानदंड

लैंगिक समानता की दिशा में की गई प्रगति का मूल्यांकन करने की आवश्यकता

- विभिन्न साक्ष्य यह प्रदर्शित करते हैं कि यदि महिलाएँ अधिक व्यक्तिगत सामर्थ्य और राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लें तथा कार्यबल में समान रूप से भागीदारी करें तो समाज में लैंगिक समानता के अंतर्निहित लाभों के अतिरिक्त आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हो सकते हैं।
- समाज में लैंगिक समानता स्थापित करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है ताकि "विकास काल" (विकास के चरणों पर आकलन के आधार पर) और "आनुक्रमिक काल" (समय की अवधि में मूल्यांकन के आधार पर) को मिलाकर एक करने की प्रणालीगत समस्या का समाधान किया जा सके।

VISION IAS

- वस्तुतः संसूचित नीति निर्माण के लिए इन दोनों का मापन करना एवं उपयोग करना महत्वपूर्ण है। कार्यवाही की आवश्यकता आनुक्रमिक काल के आकलन से उत्पन्न होनी चाहिए परन्तु इसका समापन विकास काल के आकलन से प्राप्त समझ से ही किया जाना चाहिए।

प्रमुख निष्कर्ष और टिप्पणियां

1. **भारत पर अभिसरण प्रभाव:** लैंगिक समानता के 17 में से 15 संकेतक यह प्रदर्शित करते हैं कि इनका देश में विद्यमान संपत्ति के साथ सकारात्मक सहसंबंध है (जिसका प्रभाव अन्य देशों की तुलना में अधिक रहा है)। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि भारत विकास काल में पीछे है, लेकिन यह अपेक्षा की जा सकती है कि परिवारों की संपत्ति में वृद्धि होने से यह अन्य देशों के समक्ष आ सकता है।
   - नकारात्मक सहसंबंध दर्शाने वाले 2 संकेतक, श्रम-बल में महिलाओं की भागीदारी एवं अंतिम संतान का लिंग अनुपात हैं।
2. **अन्य देशों की तुलना में भारत:** 2005-2015 के मध्य भारत ने 17 में से 12 संकेतकों में सुधार किया है। इसके अतिरिक्त इन 12 में से 7 संकेतकों में भारत ने अन्य विकासशील देशों के सापेक्ष बेहतर या उनके समान प्रदर्शन किया है।
3. **भारत के भीतर विविधता:** दिल्ली के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों ने सभी आयामों में सुधार किया है। इसमें अभिसरण प्रभाव (convergence effect) भी देखा जा रहा है जहां पूर्व में निम्नस्तरीय प्रदर्शन करने वालों ने समय के साथ अपने स्कोर में सुधार किया है।
   - अधिकतर पूर्वोत्तर राज्य (त्रिपुरा एवं अरुणाचल को छोड़कर) एवं गोवा हर दौर में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सिद्ध हुए हैं। इनके बाद केरल का स्थान आता है।
   - बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड एवं आंध्र प्रदेश इस दृष्टि से पिछड़े हैं।
4. **पुत्र की चाह एवं पुत्र के बाद पुत्र की चाह के मुद्दे**: जैविक रूप से निर्धारित प्राकृतिक लिंग अनुपात 1 महिला की तुलना में 1.05 पुरूष का है।
   - **पुत्र की चाह**- 1970-2014 की अवधि के दौरान भारत का लिंग अनुपात (प्रत्येक महिला की तुलना में पुरुष) महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा तथा 1060 से बढ़कर 1108 तक हो गया।
   - हालांकि देश में आय एवं लिंग अनुपात के मध्य ऋणात्मक संबंध देखा जाता रहा है।
   - भारत में उच्च लिंग अनुपात का प्रमुख कारण लिंग चयनात्मक गर्भपात और साथ ही जन्म के बाद कन्या शिशु की उपेक्षा किया जाना है। यह स्पष्ट रूप से पुत्र-वरीयता को दर्शाता है जिसके परिणामस्वरुप लाखों "गुमशुदा महिलाओं" (मिसिंग वीमेन) की समस्या उत्पन्न हुई है।

गुमशुदा महिलाओं की अवधारणा

यह विभिन्न आयु वर्गों में लिंग चयनात्मक गर्भपात, रोग, उपेक्षा या अपर्याप्त पोषण के कारण गुमशुदा हो जाने वाली महिलाओं की संख्या है।

विश्व भर में लगभग 100 मिलियन गुमशुदा महिलाएं हैं, जिनमें से 40 मिलियन सिर्फ भारत में हैं।

पुत्र के बाद पुत्र की चाह (Son Meta Preference)

- इसके अनुसार माता-पिता तब तक बच्चे पैदा करते रह सकते हैं जब तक कि उन्हें वांछित संख्या में पुत्र प्राप्त नहीं हो जाते।
- इसके कारण लिंग चयनात्मक गर्भपात नहीं होता है लेकिन यह बालिकाओं के लिए अहितकर हो सकता है क्योंकि इसके परिणाम स्वरुप उनके लिए संसाधनों में कमी हो सकती है।
- केवल इस प्रकार के लिंग चयन से लिंगानुपात में विषमता नही आएगी। हालांकि, इस प्रकार का प्रजनन विराम नियम (fertility stopping rule), लिंग अनुपात में विषम को बढ़ाएगा परन्तु विभिन्न स्थितियों में इसकी दिशा भिन्न होगी, अर्थात यदि अंतिम संतान लड़का होने पर यह पुरुषों के पक्ष में परंतु अंतिम संतान लड़का न होने पर, महिलाओं के पक्ष में होगी।
- पुत्रों हेतु चाह का परिणाम अंतिम संतान के लिंगानुपात (Sex Ratio of Last Child; SRLC) के लड़कों के पक्ष में अत्यधिक विषम हो जाने के रूप में होगा।

- **पुत्र के बाद पुत्र की चाह** - इसे अंतिम संतान के लिंगानुपात (SRLC) से मापा जाता है।

VISION IAS

- भारत में पहले जन्मे बच्चे के लिए SRLC 1.82 है, जो 1.05 के आदर्श लिंग अनुपात की तुलना में लड़कों के पक्ष में अत्यधिक झुका हुआ है। यह उन परिवारों के लिए जिनमें सिर्फ दो बच्चे हैं, दूसरी संतान के लिए 1.55 तक गिरता है और इसी क्रम में लड़कों के पक्ष में झुकता जाता है। यह असाधारण विभेदन पुत्र के बाद पुत्र की चाह को वरीयता दिए जाने का भाव संप्रेषित करता है।
- इससे **"अवांछित"** बालिकाओं (ऐसी बालिकाएं जिनके माता-पिता पुत्र चाहते थे, लेकिन उसके स्थान पर पुत्री का जन्म हो गया) की संख्या में वृद्धि होती है। अवांछित बालिकाओं की गणना बच्चों के जन्म पर रोक न लगाने वाले परिवारों के बीच बेंचमार्क लिंग अनुपात और वास्तविक लिंग अनुपात के अंतराल के रूप में की जाती है। भारत में ऐसी अवांछित बालिकाओं की संख्या 21 मिलियन है।

- पुत्रों को ऐसी वरीयता देने के कारणों में पति-स्थानिकता या पेट्रीलोकेलिटी (महिला के अपने पति के घर जाकर रहने की परंपरा), पितृ-वन्शीयता या पेट्रीलीनेअलिटी (संपत्ति का उत्तराधिकार पुत्रियों के स्थान पर पुत्रों को दिया जाना), दहेज (जो लड़कियों को होने पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ को बढ़ता है), पुत्रों का वृद्धावस्था का सहारा होना और पुत्रों द्वारा सम्पन्न किए जाने वाले विभिन्न अनुष्ठान/ संस्कार शामिल हैं।

निष्कर्ष

भारत में लैंगिक असमानता की चुनौती ऐतिहासिक है तथा एक लंबे समय से विद्यमान है। इससे निपटने के लिए सरकार और समाज दोनों की भागीदारी आवश्यक है। इस सन्दर्भ में सरकार द्वारा पहले से ही कई कदम उठाए गए हैं; यथा:

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ एवं सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाओं का शुभारम्भ।
- सार्वजनिक और निजी, दोनों संगठनों में 26 सप्ताह लंबा मातृत्व अवकाश प्रदान करना।
- अब 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक संगठन को शिशु सदन (क्रेच) सुविधा प्रदान करने की अनिवार्यता है; इत्यादि।

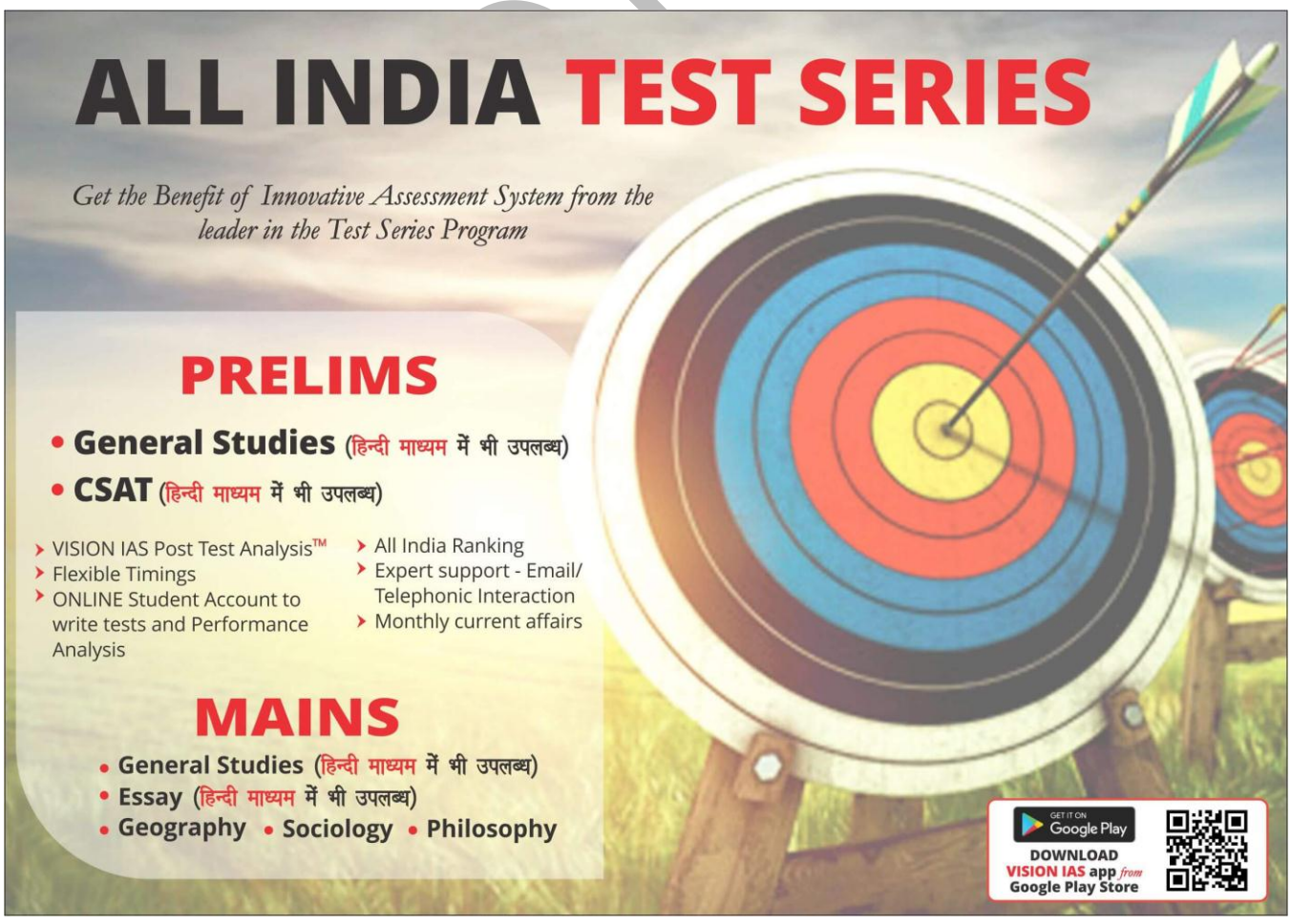

अध्याय 08 : भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का रूपांतरण

विषय-वस्तु

यह अध्याय इनपुट (अनुसंधान एवं विकास पर खर्च तथा पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या) और आउटपुट (प्रकाशन और पेटेंट) से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर एक रूपरेखा निर्मित कर, भारत में विज्ञान की स्थिति के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तत्पश्चात् यह भारत को ज्ञान के निवल उपभोक्ता से निवल उत्पादक में परिवर्तित करने हेतु, जो इसे वैश्विक स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी नेतृत्व प्रदान कर सकें- नवोन्मेष की भावना को पुनर्ग्रहित करने के लिए कई सुझाव प्रदान करता है।

विज्ञान पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

- यह सभ्य, समावेशी समाज बनाए रखने के अतिरिक्त, भारत के विकास की महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए ज्ञान का आधार स्थापित करेगा, इस प्रकार यह आर्थिक प्रदर्शन और सामाजिक कल्याण के प्रमुख संचालक के रूप में कार्य करेगा।
- यह वैज्ञानिक अभिवृत्ति विकसित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अपनी जिज्ञासा की भावना के कारण तथ्यों और साक्ष्य को प्रधानता और यथास्थिति को चुनौती देने की क्षमता के माध्यम से, विश्व भर में खतरनाक रूप से उभर रहे प्रकृतज्ञानवाद, धार्मिक कट्टरता और संकीर्णता की नकारात्मक शक्तियों के विरूद्ध सुदृढ़ प्राचीर के रूप में कार्य कर सकता है।
- यह मानव सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन एवं साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों जैसे साइबर युद्ध से लेकर ड्रोन जैसे स्वायत्त सैन्य तंत्रों इत्यादि से निपटने के लिए भी आवश्यक है।

हाल ही की उपलब्धियों में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम, संकर बीज कार्यक्रम, अंतरिक्ष कार्यक्रम, टीकों और जेनेरिक दवाओं का उत्पादन, लिगो (LIGO) कार्यक्रम में सहभागिता आदि सम्मिलित हैं।

ऐतिहासिक रूप से, भारत के अनेक योगदान है, जैसे कि- शून्य का प्रथम प्रयोग जो बख्शाली पाण्डुलिपि से प्रकट होता है। किन्तु, विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने के साथ, भारत को अब अपने भूतकाल के यशोगान से आगे देखने तथा ज्ञान के निवल उपभोक्ता से ज्ञान का निवल उत्पादक बनने की ओर अग्रसर होने की आवश्यकता है।

भारत में विज्ञान की स्थिति - इनपुट और आउटपुट के लिए कुछ साक्ष्य

इनपुट

अनुसंधान और विकास (R&D) व्यय

- 2004-05 से 2016-17 तक यह सांकेतिक संदर्भ में तीन गुना और वास्तविक संदर्भ में दो गुना बढ़ा है। लेकिन, पिछले दो दशकों से यह सकल घरेलू उत्पाद के **0.6-0.7%** पर स्थिर रहा है। यह अन्य देशों जैसे USA (2.8), चीन (2.1), इजराइल (4.3) और कोरिया (4.2) की तुलना में बहुत कम है।
    - भारत के निम्न मध्यम आय वाला देश होने के तथ्य को देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन फिर भी भारत अपने वर्तमान आय के स्तर की तुलना में कम व्यय करता है।
- सरकार निधि की प्राथमिक स्रोत (अन्य देशों की तुलना में जहां निजी क्षेत्र R&D के बड़े भाग का व्यय वहन करता है) और साथ ही इन निधियों की प्राथमिक उपयोगकर्ता है।
    - इसके अतिरिक्त, अनुसंधान एवं विकास का लगभग संपूर्ण व्यय केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और इसमें राज्य सरकार का व्यय सीमित रहता है, लेकिन विशेष रूप से अर्थव्यवस्था और जनसंख्या की विशिष्ट समस्याओं पर लक्षित अनुप्रयोग उन्मुख R&D के लिए राज्य सरकारों द्वारा व्यय किए जाने की आवश्यकता है।

VISION IAS

- अनुसंधान कार्य विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत विशेषीकृत अनुसंधान संस्थानों में संकेंद्रित होने से शिक्षण एवं अनुसंधान उद्यम के बीच पारस्परिक संपर्क का अभाव रहा है, जो विश्वविद्यालयों को मुख्य रूप से शिक्षण भूमिका निभाने तक ही सीमित कर देता है।
    - इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जहाँ विश्वविद्यालयों में छात्र हैं लेकिन उन्हें अतिरिक्त संकाय की आवश्यकता है, जबकि अनुसंधान संस्थानों में योग्य संकाय है लेकिन युवा छात्रों की अत्यधिक कमी है।
    - यह कई अन्य देशों में प्रचलित परिपाटी के विपरीत है जहाँ विश्वविद्यालय अनुसंधान के लिए प्रतिभा का पूल सृजित करने तथा उच्च स्तरीय अनुसंधान आउटपुट उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित (Science, Technology, Engineering and Mathematics; STEM) में पीएचडी (Ph.Ds)**
    - संयुक्त राज्य अमेरिका में, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित (स्टेम) में पीएचडी करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या चीन के छात्रों की तुलना में आधे से कम है। ऐसी डिग्री के लिए छात्रों का कम नामांकन, परास्नातक (मास्टर) की डिग्री के बाद अधिक आकर्षक कैरियर विकल्पों अथवा वर्क वीज़ा की बढ़ती चुनौतियों के कारण होता है।
    - दूसरी ओर, भारत में पीएचडी नामांकन में वृद्धि हो रही है, जिसका श्रेय सरकारी प्रयासों, जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) में प्रधानमंत्री अनुसंधान फ़ेलोशिप इत्यादि को दिया जा सकता है। परंतु समग्र परिदृश्य पर दृष्टि डालें तो अन्य देशों की तुलना में भारत में कम अनुसंधान-कर्ता उपलब्ध हैं।

आउटपुट- प्रकाशन और पेटेंट (विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देश की शक्ति को दर्शाता है) भारतीय अनुसंधान की उत्पादकता और गुणवत्ता का आकलन करने में सहयोग कर सकता है।

प्रकाशन

- वैश्विक प्रकाशनों में भारत की भागीदारी 3.1% (2009) से बढ़कर 4.5% (2014) हो गई है।
- तथापि ऐसी वृद्धि को सावधानी के साथ ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि प्रकाशनों की संख्या, इसके प्रमुख उत्प्रेरक तत्व के रूप में संकाय या वैज्ञानिकों की नियुक्ति या पदोन्नति हेतु एक निर्धारक है। ऐसी अनेक पत्रिकाएं हैं जो पर्याप्त शुल्क लेकर समकक्ष व्यक्ति द्वारा समीक्षा रहित पांडुलिपियों (manuscript) का प्रकाशन करती हैं।
- हालांकि, कुल मिलाकर प्रकाशनों की गुणवत्ता (अधिकाधिक उद्धृत लेखों द्वारा मापी गई) पिछले कुछ वर्षों से बढ़ी है लेकिन अभी भी यह चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका से पीछे है।

पेटेंट

- विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के अनुसार, भारत विश्व में सातवाँ सबसे बड़ा पेटेंट फाइल करने वाला देश है। लेकिन भारत में **प्रति व्यक्ति पेटेंट कम** है।
    - जबकि एक ओर, भारत की निम्न मध्यम आय की स्थिति पेटेंट आउटपुट को बाधित करती है; वहीं दूसरी ओर चीन, कोरिया और जापान जैसे देशो में आय के साथ पेटेंट बहुत तेजी से बढ़े हैं, इसका निहितार्थ यह है कि भारत को इस दौड़ में अन्यों के समकक्ष पहुंचने के लिए आय में वृद्धि के साथ R&D पर अधिकाधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- जहाँ विदेशी क्षेत्राधिकार में भारत के पेटेंट आवेदन और प्रदान किए जाने की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन घरेलू स्तर पर यह बात सही नहीं हैं। जब से वर्ष 2005 में भारत अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट व्यवस्था में शामिल हुआ है, घरेलू आवेदनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है; परन्तु 2008 के बाद प्रदत्त पेटेंट की संख्या में तीव्र गिरावट आई और यह निम्न स्तर पर बनी हुई है।
- अधिक सख्त जांच प्रक्रिया के कारण पेटेंट प्रदान किए जाने में कमी हो सकती है, लेकिन अधिक ध्यान देने योग्य समस्या आवेदनों के लंबित मामलें और बैकलॉग है जो जांचकर्ताओं की कम संख्या के परिणामस्वरुप है।

VISION IAS

- हाल ही में सरकार द्वारा और अधिक जांचकर्ताओं की नियुक्ति तथा 2017 में भारतीय निवासियों के लिए त्वरित फाइलिंग प्रणाली के निर्माण से प्रणाली को सही करने में सहायता मिलेगी। आगे, बढ़ते हुए पेटेंट संबंधी मुकदमेबाजी के मुद्दों को संबोधित करना भी महत्वपूर्ण होगा।

भारत में अनुसंधान और विकास का विस्तार: आगे की राह

देश में विज्ञान और R&D में सुधार लाने के लिए, भारत को R&D पर अपने **राष्ट्रीय व्यय को दोगुना** किये जाने की आवश्यकता है, जिसमें एक बड़ा भाग निजी क्षेत्रक और विश्वविद्यालयों से आना चाहिए। समाज के लिए मूल्य प्रदान करने हेतु, इस मापदंडों को कागजों और प्रकाशनों से परे जाकर, वास्तविकता में रूपांतरित किये जाने की आवश्यकता है।

- **विज्ञान और गणित में अपने युवाओं को शिक्षित करना**
  - **स्कूली स्तर पर गणित और संज्ञानात्मक कौशल में सुधार करना:** प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि के बावजूद, अधिगम (सीखने) संबंधी परिणाम, भावी R&D की नींव को कमजोर करते हैं।
  - **राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को विश्वविद्यालयों से जोड़ना तथा नये ज्ञान परितंत्र का निर्माण:** विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल, संकाय के सहयोग और युवा प्रतिभा के अंतराल को भरने और उत्कृष्टता के लिए गहरी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करेगा। साथ में, वे व्यावसायिक क्षेत्र के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं, जिसमें गति और कुशाग्रता की आवश्यकता होती है तथा यह औद्योगिक समूहों को विकसित करने में सहायता कर सकते हैं।
- **निजी क्षेत्र, राज्य सरकार और प्रवासी भारतीयों को संलग्न करना**
- **निजी क्षेत्र के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा अनुसंधान के लिए निधियन को बढ़ाना:**
  - निजी क्षेत्रक को **कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) निधियों** के माध्यम से R&D आरंभ करने और समर्थन देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। R&D में CSR निवेशों हेतु वर्तमान अनुकूल कानूनों के साथ-साथ, उपयुक्त क्रियाकलापों का विस्तार किया जा सकता है।
  - सरकार नए R&D निधियन के अवसरों का सृजन करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ भी साझेदारी कर सकती है, जैसे **उच्चतर आविष्कार योजना (UAY)** के अंतर्गत उद्योग के लिए प्रासंगिक अनुसंधान हेतु विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड के साथ 50:50 साझेदारी।
  - राज्य सरकारों को भी निवेश करने की आवश्यकता है क्योंकि यह राज्य विश्वविद्यालयों को सशक्त बनाएगा तथा फसलों, पारिस्थितिकी और राज्य की विशिष्ट प्रजातियों जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक आवश्यक ज्ञान प्रदान करेगा।
- **प्रवासी वैज्ञानिक निपुणता का लाभ उठाना**
  - भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती क्षमता और कुछ देशों में अप्रवासी विरोधी वातावरण के कारण, अधिक वैज्ञानिकों को देश वापसी हेतु आकर्षित करने के लिए भारत के पास सुअवसर है। भारत में वापसी करने वाले वैज्ञानिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। लेकिन, यह संख्या अभी भी बहुत कम है।
  - **रामानुजन फेलोशिप स्कीम, इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च (INSPIRE) फैकल्टी स्कीम एवं रामलिंगस्वामी री-एंट्री फेलोशिप, विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट रिसर्च (VAJRA) फैकल्टी स्कीम** जैसी योजनाएं प्रवासी वैज्ञानिकों का लाभ उठाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकती है।
  - इस हेतु उन्हें वित्तीय उत्प्रेरण के स्थान पर उत्कृष्ट अनुसंधान सुविधाएं (प्रयोगशाला संसाधन, पीएचडी उपरांत नियुक्त करने की सुविधा, आवास आदि) प्रदान किये जाने को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ताकि देश में विकसित प्रतिभा के लिए समान स्तरीय कार्यस्थल की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके।

VISION IAS

- **विज्ञान एवं अनुसंधान प्रतिष्ठानों द्वारा अधिकाधिक सार्वजनिक सहयोग :** राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अन्य अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को मीडिया या नियमित भ्रमण एवं व्याख्यानों के माध्यम से जनता के साथ जुड़ने एवं अपने कार्य के व्यापक सार्वजनिक समर्थन निर्मित करने हेतु अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
- **कुछ क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए मिशन प्रेरित दृष्टिकोण** जैसे कि:
    - **डार्क मैटर पर राष्ट्रीय मिशन:** भावी अंतरिक्ष मिशनों, क्वांटम कंप्यूटिंग, ऊर्जा समस्याओं के लिए नए समाधानों आदि पर इसके निहितार्थ होंगे। यह न केवल खगोल-भौतिकी और खगोल-विज्ञान अनुसंधान संस्थानों की मजबूत नींव पर आधारित होगा अपितु अधिकाधिक अंतरराष्ट्रीय सहयोगपूर्ण संभावनाओं के द्वार भी प्रशस्त करेगा।
    - **जीनोमिक्स पर राष्ट्रीय मिशन:** जैविक मार्गों एवं रोग के निर्धारकों और जीवन क्रम का अध्ययन करने की परियोजनाओं में विभिन्न देश शामिल हैं। भारत इस क्षेत्र में पहले से विद्यमान जैव अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से उल्लेखनीय योगदान कर सकता है।
    - **ऊर्जा भंडारण प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन:** भारत नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए प्रमुख रूप से प्रतिबद्ध है और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण में पीछे होने के इस तथ्य के स्थान पर, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में निवेश गेम चेंजर सिद्ध हो सकता है। यह विशेष रूप से ऑफ-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों का उपयोग, गांवों को चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति में सहायक होगा।
    - **गणित पर राष्ट्रीय मिशन:** कई पहलों को समाविष्ट करते हुए, इसका समग्र लक्ष्य एक दशक में भारत की मानव पूंजी एवं अनुसंधान प्रोफाइल की संवृद्धि करना है।
    - **साइबर फिजिकल सिस्टम पर राष्ट्रीय मिशन:** ये भावी उद्योग के निर्माण हेतु आधारशिला हैं जो नई चुनौतियां और अवसर प्रस्तुत करेंगे।
    - **कृषि पर राष्ट्रीय मिशन:** यह मौजूदा कृषि अनुसंधान संस्थानों में व्याप्त कमियों को दूर करने में सहायता तथा बहुतायत मात्रा में उभरती चुनौतियों को देखते हुए कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अत्यधिक वांछित उद्वेग प्रदान करेगा।

साइबर फिजिकल सिस्टम (CPS)

इसका तात्पर्य प्राकृतिक विश्व के संदर्भ में मशीन आधारित संचार, विश्लेषण, अनुमान, निर्णय, कार्रवाई एवं नियंत्रण से है।

यह आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, विशेषज्ञ प्रणालियों को इंटेलीजेंट सामग्री और मशीनों के साथ नियंत्रण प्रणालियों, संवेदकों और प्रेरकों, रोबोटिक्स एवं स्मार्ट विनिर्माण के साथ एकीकरण के लिए प्रयुक्त गहन गणित को समाविष्ट करने वाला बहुअनुशासनात्मक क्षेत्र है।

- **अनुसंधान संचालन की विधि में सुधार**
    - **अनुसंधान की संस्कृति में सुधार:** भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थानों को कम पदानुक्रमिक अभिशासन प्रणालियों से अंतर्निविष्ट करने एवं उत्कृष्टता की खोज में जोखिम उठाने और जिज्ञासा की भावना के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। युवा वैज्ञानिकों को उनके विशेषज्ञता के क्षेत्रों में निर्णय-निर्धारण निकायों में अधिकाधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।
    - **अन्वेषक/जांचकर्ता प्रेरित अनुसंधान को प्रोत्साहित करना:** भारत को विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) की स्थापना पर निर्माण करने की आवश्यकता है जिसने अधिक संसाधनों और सर्जनात्मक शासन संरचनाओं के साथ अलग-अलग वैज्ञानिकों के लिए नए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को संस्वीकृत किया है।

VISION IAS

अध्याय 09 : व्यवसाय करने को आसान बनाने का अगला मोर्चा: समय से न्याय

संविदा प्रवर्तन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम:

- अप्रयुक्त हो चुके 1000 से अधिक कानूनों की समाप्ति
- ट्रिब्यूनलों को युक्तिसंगत बनाना
- मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 2015 में संशोधन
- उच्च न्यायालय अधिनियम, 2015 का वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग तथा वाणिज्यिक अपील प्रभाग पारित किया जाना
- लोक अदालत कार्यक्रम का विस्तार
- अंत: सरकारी कानूनों में कमी
- कानूनी सांतत्य हेतु भावी कानूनी व्यवस्था का आरंभ
- राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड का विस्तार

विषय-वस्तु

यह पहचानते हुए कि आर्थिक क्रियाकलाप कानूनी व्यवस्था में व्याप्त देरी तथा मामलों के लंबित होने की स्थिति के कारण प्रभावित हो रहे है। यह अध्याय परिमाणात्मक रूप से इन घटनाक्रमों पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है। यह कुछ उपायों का सुझाव देता है ताकि सरकार और न्यायालय, दोनों को साथ मिलकर एक ऐसी समस्या; जो अर्थव्यवस्था से एक बड़ी राशि छीन रही है, का निवारण करने के लिये इस समस्या के निपटान के लिए बड़े-पैमाने के तथा सुधारों उत्तरोत्तर प्रगतिशील सुधार करने की आवश्यकता है।

परिचय

- ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस में पिछले कुछ वर्षों में भारत के प्रदर्शन में लगभग 30 स्थानों की उछाल के साथ सुधार हुआ है। हालाँकि, विशिष्ट संसूचकों के बीच, भारत संविदा प्रवर्तन को लागू करने और अपीलीय एवं न्यायिक क्षेत्रों में लगातार लंबित होने तथा निपटान में देरी और कार्य संचय के मामलों में पिछड़ रहा है।
- एक दक्ष न्यायिक प्रणाली द्वारा समर्थित एक पारदर्शी एवं कुछ हद तक कानूनी एवं कार्यकारी व्यवस्था जो संपत्ति अधिकारों की न्यायपूर्वक और उचित समय पर रक्षा करता हो, संविदाओं की पवित्रता को बनाए रखता हो और पक्षकारों के अधिकारों और उत्तरदायित्वों को लागू करता हो और व्यवसाय तथा वाणिज्य के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता हो।

प्रमुख निष्कर्ष

1. विलंबन और देरी: आर्थिक मामलों के निपटान में देरी और विलंबन कई मुद्दों जैसे रुकी हुई परियोजनाओं, कानूनी लागत में वृद्धि, कर राजस्व में वृद्धि और निवेश में कमी का कारण बने हैं।

(a) आर्थिक ट्रिब्यूनल: आर्थिक मामलों के अपीलीय ट्रिब्यूनलों के संदर्भ में दो प्रमुख पैटर्न का अवलोकन किया गया है:

- मामलों में लंबित होने की स्थिति उच्च स्तर की है। इन ट्रिब्यूनलों में लंबित मामलों की औसत अवधि 3.8 वर्ष है।
- समय के साथ लंबन तीव्रता से बढ़ा है। दूरसंचार और विद्युत क्षेत्र में, विलंबन, उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण है।

(b) उच्च न्यायालय (HC): अपेक्षाओं के विपरीत, ट्रिब्यूनलों के निर्माण ने ना तो उच्च न्यायालयों में लंबित होने की स्थिति को बदला और ना ही अन्य आर्थिक मामलों के निपटान में उनकी क्षमता को बदला। लंबित होने की स्थिति में वृद्धि जारी है।

- आर्थिक मामलों की संख्या अन्य मामलों की श्रेणियों की तुलना में कम है। परन्तु उनके लंबित होने की स्थिति की औसत अवधि अधिकांश मामलों में लगभग 4.3 वर्षों के साथ सबसे ख़राब है।

VISION IAS

2. विलंबन एवं देरी के कारण

(a) विवेकाधीन क्षेत्राधिकार में विस्तार के कारण काम के बोझ में वृद्धि- विलंबन में लगातार बढ़ती वृद्धि के पीछे मुख्य कारण, मामलों की बढ़ती संख्या तथा वाणिज्यिक एवं आर्थिक मामलों की जटिलता के अलावा, न्यायालयों द्वारा विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का विस्तार है।

- इसे अन्य उपायों जैसे उच्च न्यायालयों द्वारा प्रयुक्त अन्य क्षेत्राधिकारों के कार्य-क्षेत्र में संतुलन बनाना या समग्र प्रशासन तथा दक्षता में सुधार किये बिना लागू किया गया है। जिसके फलस्वरूप लंबित होने की स्थिति को और अधिक बढ़ा दिया है।
- उच्च न्यायालयों ने संविधान के अनुच्छेद 226 एवं 227 के प्रावधानों की व्यापक रूप से व्याख्या की है जिससे मामलों में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(b) मूल क्षेत्राधिकार से उच्च न्यायालयों पर कार्य का अतिभार- कुछ उच्च न्यायालयों का अनन्य मूल क्षेत्राधिकार होता है जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय, और न कि संगत निचले न्यायालय, कुछ मामलों के लिए प्रथम दृष्टया न्यायालय बन जाते हैं। न्यायालय की कार्य-सूची का एक पर्याप्त भाग इन्हीं मामलों का होता है। दिल्ली और मुंबई उच्च न्यायालयों में मूल क्षेत्राधिकार है जो उनके कार्यभार का लगभग 10-15% होता है।

- साथ ही, उच्च न्यायालय, सिविल मुकदमों के निपटान के लिए समकक्ष ज़िला न्यायालयों की तुलना में अधिक समय लेते हैं।

(c) उच्चतम न्यायालय के विशेष अनुमति याचिका (SLP) के क्षेत्राधिकार में विस्तार: संविधान का अनुच्छेद 136 किसी भी पक्ष को किसी भी न्यायालय या अधिकरण से सीधे उच्चतम न्यायालय को जाने का अधिकार प्रदान करता है (प्रारंभ में केवल आपवादिक परिस्थितियों में लागू होता था)।

- उच्चतम न्यायालय द्वारा दाखिल की गयी, विशेष अनुमति याचिकाओं की संख्या, वर्ष 2008 में 25% से बढ़कर में वर्ष 2016 में 40% तक हो गई। इसने उच्चतम न्यायालय में विलंबन की स्थिति को बढ़ा दिया है।

(d) निषेधाज्ञाओं और स्थगनादेशों का सहारा: निषेधाज्ञाओं के परिणामस्वरूप 60% मुकदमों पर स्थगनादेश दिए गये, जिनका औसत विलंबन 4.3 वर्ष है।

- इनमें से लगभग 50% मुकदमें याचना के चरण में लंबित पड़े हैं और इन मुकदमों में से अन्य 12% मुकदमें अंतिम निपटान के लिए लंबित हैं।

3. लंबन और देरी की लागतें:

- बहुसंख्यक परियोजनाओं को न्यायालय की निषेधाज्ञाओं द्वारा रोका गया है और उनकी स्थगनादेश की औसत अवधि बड़ी मात्रा में हानियों का कारण बनी (अवसंरचना संबंधी छह मंत्रालयों में लगभग 52,000 करोड़ रुपये)।
- कई मामलों में, चूँकि, परियोजना लागतें मुख्यत: ऋण द्वारा वित्त पोषित होती हैं, स्थगन की औसत अवधि के कारण, **परियोजना लागत** में **संभावित वृद्धि** लगभग 60% अनुमानित की गयी है।
- इसने **कॉर्पोरेट क्षेत्र के विधिक खर्चों** को भी उत्तरोत्तर रूप से बढ़ाया है।

लंबित मामलों की संख्या में यदि कमी हुई हो तो ऐसा या तो लंबित मामलों की गणना विधि में बदलाव के कारण या आर्थिक क्षेत्राधिकार में हुए परिवर्तनों के कारण प्राप्त हुई है जो उच्च न्यायालयों में मूल पक्ष से ज़िला न्यायालयों में मामलों का अंतरित किये जाने के कारण हुआ।

अनुच्छेद 226 एवं 227 उच्च न्यायालयों को सीमित याचिका क्षेत्राधिकार प्रदान करते हैं।

VISION IAS

एक ही प्रकार की विषय-वस्तु से संबंधित न्यायपीठों का गठन

- ऐसी न्यायपीठें यह सुनिश्चित करती हैं कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में गतिरोध न हो और विभिन्न न्यायपीठों द्वारा न्याय के समान प्रश्न पर भिन्न तथा गतिरोध वाले पूर्व निर्णयों के वर्तमान चलन को कम किया जा सके।
- वे न्यायधीश को उसके समक्ष प्रस्तुत विधि की विशिष्ट शाखा पर ध्यान केन्द्रित करने की व्यवस्था करती हैं।
- वर्ष 2014 में कर न्यायपीठों के गठन के कारण, उच्चतम न्यायालय कर मुकदमों की बढ़ती लंबितता को नियंत्रित करने में सक्षम रहा है।
- विशेष न्यायपीठ ने वर्ष 2015 में 197 निर्णय दिए, जोकि पिछले तीन वर्षों में दिए गये निर्णयों का लगभग तीन गुणा थे।

आगे की राह

इस स्थिति को हल करने के लिए निम्नलिखित उपायों पर विचार किया जाना चाहिए:

- **निचले न्यायालयों में न्याय-व्यवस्था की क्षमता में विस्तार** करने की और **उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों के मौजूदा भार को कम करने** की आवश्यकता है। निम्नलिखित उपायों पर विचार किया जा सकता है:
  - सिविल प्रक्रिया संहिता, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम तथा अन्य संबद्ध वाणिज्यिक विधायनों में संशोधन करके और न्यायाधीशों को प्रशिक्षित करके **निचली न्याय-व्यवस्था में**, विशेष रूप से आर्थिक और वाणिज्यिक मामलों को देखने के लिए, क्षमता निर्माण करना आवश्यक होगा।
  - उच्च न्यायालयों के मूल तथा वाणिज्यिक न्यायाधिकार-क्षेत्र में कमी करना अथवा हटाना और उनके विवेकाधीन न्यायाधिकार क्षेत्रों के आकार और पैमाने पर पुन:विचार करना।
  - मौजूदा न्यायिक क्षमता का पूर्ण उपयोग करना।
- **न्याय-व्यवस्था और इसके आधुनिकीकरण (और डिजिटलीकारण) पर व्यय की मात्रा में भारी वृद्धि** करने की आवश्यकता है। विधायनों के साथ न्यायिक-क्षमता और सार्वजानिक व्यय ज्ञापन भी होने चाहिए जो बढ़ती हुई न्यायिक-आवश्यकता का समाधान करने के लिए अपेक्षित आवश्यक प्रावधानों को तैयार करते हैं और उनका पर्याप्त वित्तपोषण सुनिश्चित करते हैं।
- **कर विभाग को,** अपनी निम्न सफलता दर को देखते हुए, **अपीलों को सीमित करते हुए और अधिक अधिक आत्म-संयम बरतना चाहिए**। यह निम्न के द्वारा किया जा सकता है:
  - प्रत्याशित नियमों को बना कर
  - अगली अपीलों पर निर्णय करने के लिए एक स्वतंत्र पैनल का निर्माण करके
  - कराधान मामलों में समीक्षा के स्तरों की संख्या को सीमित करके
- **अधिक विषय-वस्तु और स्तर-विशिष्ट न्यायपीठों का निर्माण करना** जो न्यायालय को लंबितता तथा विलंब को दूर करने के लिए आंतरिक विशेषज्ञताओं और सक्षमताओं के निर्माण की गुंजाईश देती है।
- **निषेधाज्ञाओं और स्थगनों का आसरा लेना कम करना**। न्यायालय प्राथमिकता वाले स्थगन मामाओं पर विचार कर सकते हैं और ऐसी सख्त समय सीमा लगा सकते हैं जिसके भीतर अस्थायी निषेध वाले मामलों पर निर्णय किया जा सके।
- **न्यायालय-मामला प्रबंधन तथा न्यायालय स्वचालन प्रणाली** को सुधारना। यू.के. की क्राउन कोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज जैसी पहलों पर विचार किया जा सकता है जो कि प्रशासनिक दायित्वों के प्रबंधन और देख-रेख के प्रति समर्पित हैं।

निष्कर्ष

- जीएसटी के हाल ही के अनुभव ने यह दर्शाया है कि केंद्र और राज्यों के बीच लंबवत सहयोग- सहयोगात्मक संघवाद- परिवर्तनकारी आर्थिक नीतिगत बदलाव सामने लाया है।
- **शक्तियों का सहयोगात्मक पृथक्करण** कही जाने वाली, उसकी क्षैतिजीय भिन्नता, एक ओर न्यायपालिका और दूसरी ओर कार्यकारी/विधायिका के मध्य संबंध में लागू हो सकती है।
- यह उनकी स्वतंत्रता और वैधता को बनाए रखने में उन्हें सक्षम बनाएगा और सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधियों की सहायता करने के लिए त्वरित न्याय को भी सुनिश्चित करेगा।

VISION IAS

खण्ड : 2

अध्याय 01 : 2017-18 में भारत के आर्थिक प्रदर्शन का सिंहावलोकन

परिचय

इस अध्याय के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर, इसके क्षेत्रक संघटन (सेक्टोरल कम्पोजीशन), बचत एवं निवेश दर आदि में संचलन के लिए उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण किया गया तथा इस विश्लेषण के आधार पर वर्ष 2017-18 के भारत के आर्थिक प्रदर्शन का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विकास की संभावनाओं के साथ-साथ उन कारकों की भी व्याख्या की गई जो विकास पथ को अवरुद्ध कर सकते है।

सांकेतिक (Nominal) और वास्तविक (Real) मूल्यों के मध्य मुख्य अंतर यह है कि वास्तविक मूल्यों को मुद्रास्फीति के साथ समायोजित किया जाता है, जबकि सांकेतिक मूल्य मुद्रास्फीति समायोजित नहीं किये जाते है। जिसके परिणामस्वरूप, सांकेतिक GDP/GDP वृद्धि दर का मान वास्तविक GDP/GDP वृद्धि दर से प्राय: अधिक होता है।

वर्ष 2017-18 में GDP की वृद्धि दर

- भारत ने वर्ष 2014-15 और 2016-17 के मध्य औसतन 7.5% की GDP वृद्धि दर प्राप्त की है और यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी।
- हालाँकि, 'कृषि एवं संबद्ध (Agriculture & allied)' तथा 'उद्योग' क्षेत्र में निम्न वृद्धि दर के कारण वर्ष 2017-18 में GDP वृद्धि दर के 6.5% तक गिरने की संभावना है। इसके बावजूद, यह वृद्धि दर विश्व की अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफ़ी अधिक रहेगी।
- हाल के वर्षों में, **वास्तविक और सांकेतिक GDP वृद्धि दर के मध्य अंतराल में** काफी कमी आई है। वर्ष 2012-13 और 2014-15 के मध्य 6% के औसत अन्तर से, वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान यह 3% के औसत अन्तर तक नीचे आ गया है। यह कमी मुख्य रूप से इस कारण से हुई है क्योंकि पूर्वावधि में मुद्रास्फीति (विशेष रूप से वर्ष 2012-13 और 2013-14 में) उत्तरवर्ती अवधि की तुलना में काफी अधिक थी।
- गत कुछ वर्षों के दौरान, GVA (सकल मूल्य वर्धन) और GDP के मध्य सांकेतिक वृद्धि दरों के अंतर में वृद्धि हुई है। यह GDP में निवल अप्रत्यक्ष करों के योगदान में वृद्धि को दर्शाता है।

प्रमुख क्षेत्रों की GVA वृद्धि

- मानसून के सामान्य होने के कारण, **कृषि क्षेत्र ने** पूर्ववर्ती दो वर्षों की तुलना में वर्ष 2016-17 में **उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की** है। अधिकांश अन्य फसल और गैर-फसल कृषि क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली।
- **लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाओं** से संबंधित क्षेत्रों ने भी वृद्धि दर्ज की है, जो 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के कारण वेतन तथा बकाया राशियों (arrears) के उच्च भुगतान के कारण रही थी।

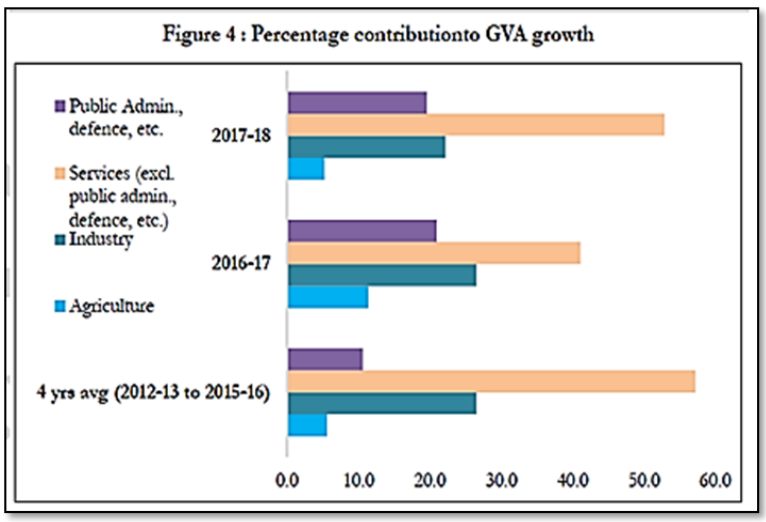

VISION IAS

- हालाँकि, पिछले वित्तीय वर्ष में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि में गिरावट रही थी। वर्ष 2017-18 में निर्माण क्षेत्र ने बेहतर वृद्धि दर्ज की है।
- कुल मिलाकर, अर्थव्यवस्था के सभी तीनों प्रमुख क्षेत्रों यथा कृषि व संबद्ध क्षेत्र, उद्योग और सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर, वर्ष 2017-18 की दूसरी छमाही (H2) में पहली छमाही (H1) की अपेक्षा बेहतर थी।
- वर्ष 2016-17 के दौरान, दो क्षेत्रों नामत: 'कृषि और संबद्ध क्षेत्र' तथा लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाओं' ने अर्थव्यवस्था की कुल वृद्धि में लगभग एक-तिहाई का योगदान किया था। वर्ष 2017-18 में, इन दोनों क्षेत्रों के योगदान में (इन क्षेत्रों में वृद्धि की गति धीमी होने के कारण) कुछ गिरावट आई है। औद्योगिक क्षेत्र के योगदान में भी मुख्यत: धीमी वृद्धि के कारण (क्रेडिट ग्रोथ में मंदी के कारण) गिरावट आई है।

निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) के अंतर्गत, (a) परिवारों और (b) परिवारों को सेवा प्रदान करने वाली गैर-लाभकारी संस्थाओं (NPISH) जैसे मंदिर, गुरुद्वारा आदि के अंतिम उपभोग व्यय को सम्मिलित करते है। परिवारों का अंतिम उपभोग व्यय, नयी टिकाऊ के साथ-साथ गैर-टिकाऊ वस्तुओं (भूमि को छोड़कर) और सेवाओं पर किये गये परिव्यय से संबंधित है।

सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (GFCE): प्रशासनिक विभागों का अंतिम उपभोग व्यय, कर्मचारियों के पारिश्रमिक (कंपनसेशन), गैर-टिकाऊ वस्तुओं और सेवाओं के क्रय-विक्रय और CFC पर किये गये निवल व्यय के बराबर होता है। परिपाटी के अनुसार, रक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली टिकाऊ वस्तुओं पर किये गये व्यय को भी सरकार के उपभोग व्यय का ही एक भाग माना जाता है।

प्रति-व्यक्ति आय

वास्तविक प्रति-व्यक्ति आय (वर्ष 2012-13 की स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय के संदर्भ में मापित) के वर्ष 2017-18 में 86,660 रुपये तक बढ़ने की संभावना है। सांकेतिक रूप में यह 2017-18 में 111,782 रुपये रहेगी।

GDP वृद्धि के घटक

- **उपभोग व्यय GDP वृद्धि का प्रमुख प्रेरक** रहा हैं। वर्ष 2012-13 और 2015-16 के मध्य, यह कुल GDP वृद्धि का लगभग 60% था। वर्ष 2016-17 में यह 95% से अधिक हो गया, जिसका कारण निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (GFCE), दोनों में हुई उच्च वृद्धि को माना जा सकता है।
- निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE), 2011-12 से GDP वृद्धि का एकल सबसे महत्वपूर्ण संचालक रहा हैं। वर्ष 2016-17 में, इसने GDP वृद्धि में लगभग दो-तिहाई का योगदान किया।
- GDP में **निवेश का योगदान** (विशेष रूप से स्थिर निवेश का हिस्सा) में 2011-12 और 2016-17 के मध्य निरंतर गिरावट आयी है। यद्यपि 2017-18 में स्थिर निवेश के तीव्र दर से बढ़ने की संभावना है (जो निवेश में कुछ सुधार को इंगित करता है), फिर भी यह GDP में स्थिर निवेश के हिस्से में और गिरावट को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- **GDP में वस्तुओं एवं सेवाओं के निवल निर्यात में हिस्सा नकारात्मक** रहा है तथा इसमें और अधिक गिरावट आने की संभावना है।

बचतों और निवेश के रुझान

- अर्थव्यवस्था की **निवेश दर** {GDP में योगदान के रूप में सकल पूँजी निर्माण (GCF)} में 2011-12 और 2015-16 के मध्य लगभग 5.6% **की गिरावट** आयी है।
- इस कमी के अनेक कारण रहे हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयाँ, पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों में विलंबन, अवसंरचना संबंधी समस्याएं आदि। यद्यपि इनमें से अधिकांश समस्याओं का समाधान किया गया है, फिर भी निवेश दर (मुख्यत: स्थिर निवेश) में वृद्धि दृष्टिगोचर नहीं हुई है।
- बचत दरों की तुलना में निवेश दर में तीव्र गिरावट के कारण 2013-14 से 2015-16 तक चालू खाता घाटे का स्तर (बचत-निवेश अंतराल) अपेक्षाकृत कम रहा है। निम्नलिखित तालिका में बचत तथा निवेश दर को प्रदर्शित किया गया है।

VISION IAS

बचत, निवेश दर (प्रतिशत में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
निवेश दर	39.0	38.7	33.8	34.4	33.3
बचत दर	34.6	33.9	32.1	33.1	32.3
एस-आई अंतर	-4.3	-4.8	-1.7	-1.3	-1.0

स्रोत: सीएसओ के आँकड़ों पर आधारित।

बचत

किसी अर्थव्यवस्था में बचत परिवारों, निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र (सामान्य प्रशासन सहित) से उत्पन्न होती है।

परिवार क्षेत्र:

- GDP के अनुपात के रूप में, परिवार क्षेत्र की बचत सामान्यत: 2011-12 में 23.6% से गिरकर वर्ष 2015-16 में 19.2% रह गई हैं।
- बचत में **परिवार क्षेत्र** का एक बड़ा भाग होता है। हालाँकि, कुल बचत में परिवार क्षेत्र बचत का हिस्सा 2011-12 में लगभग 68% से गिरकर 2015-16 में 59% हो गया था। परिवारों की बचत के अंदर, भौतिक परिसंपत्तियों से वित्तीय परिसंपत्तियों की ओर रुझान हुआ है।
- परिवारों द्वारा की गई वित्तीय बचत मुख्य रूप से करेंसी, बैंक जमाओं, जीवन बीमा निधि, भविष्य एवं पेंशन निधि के रूप में रखी जाती है तथा हाल ही में इनको शेयरों तथा डिबेंचरों के रूप में रखने का चलन बढ़ा है।
- 2016-17 के दौरान, विमुद्रीकरण के कारण लोगों द्वारा करेंसी नोटों के रूप में की गई बचत में गिरावट आई है जबकि शेयरों, म्यूच्यूअल फण्ड आदि के रूप में की गई बचतों में वृद्धि हुई हैं।
- **सरकारी बचत** में 2014-15 में 0.9 % की कमी हुई थी, 2015-16 में इसमें पुन: वृद्धि हुई। अंशत: इसकी व्याख्या पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्तियों में वृद्धि तथा केंद्र सरकार के पेट्रोलियम सब्सिडी बिल में कमी के आधार पर की जा सकती है।
- **कुल बचतों में निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र का हिस्सा**, 2011-12 में GDP के 9.5% से बढ़कर 2015-16 में GDP का लगभग 12% हो गया है।

निवेश

निवेश दर में सतत गिरावट आई है, जो वर्ष 2011-12 में 39% से घटकर वर्ष 2015-16 में 33.3% रह गई है। सकल स्थिर पूँजी निर्माण (GFCF) की निवेश में एक प्रमुख हिस्सेदारी है।

- स्थिर निवेश दर (GDP में योगदान के रूप में GFCF द्वारा मापित) में दोहरे तुलन पत्र (ट्विन बैलेंस शीट) की समस्या के कारण गिरावट आई है। आने वाले वर्षों में 8% से अधिक की संभावित वृद्धि को प्राप्त करने हेतु इस गिरती स्थिर निवेश दर के रुझान को यथाशीघ्र रोकने की आवश्यकता है।

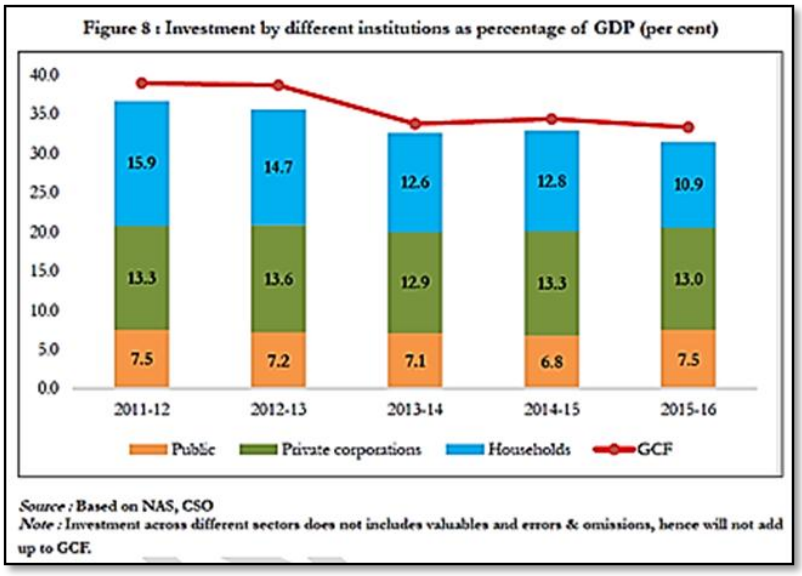

VISION IAS

- पिछले कुछ वर्षों से अर्थव्यवस्था में **निवेश के संस्था-वार संघटन में** पर्याप्त परिवर्तन हुआ हैं।

परिसंपत्ति-वार स्थिर निवेश:

- स्थिर निवेश कुल निवेश का लगभग 90% हैं। स्थिर निवेश के अंतर्गत उन्नत जैविक संसाधनों (कल्टिवैटिड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज;CBR) से प्राप्त होने वाले लघु अंशदान के साथ-साथ आवासों, मशीनरी एवं उपस्कर और बौद्धिक संपदा उत्पादों (IPP) सहित विभिन्न परिसंपत्तियां सम्मिलित है।
- आवासों में परिवारों द्वारा किये जाने वाले निवेश में कमी हुई है, जिसका संभावित कारण भौतिक परिसंपत्तियों के रूप में परिवारों की बचत के हिस्से में आई कमी का होना है।

2018-19 के लिए विकास की भावी संभावनाएं

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) का आकलन है कि वर्ष 2017-18 में GDP विकास दर 6.5% रहेगी। हालाँकि, 2018-19 के दौरान वृद्धि इससे अधिक भी हो सकती है, जो अनेक कारकों पर निर्भर करती हैं:

- 2018 में वैश्विक वृद्धि में सुधार होने से भारत से होने वाले निर्यात में तेज़ी आएगी।
- तेल की कीमतों की बढ़ती प्रवृति के अनुरूप धनप्रेषण में वृद्धि होने की संभावना है।
- वैश्विक बाजारों में अनुकूल ब्याज दर व्यवस्था के साथ स्थिर नीति दरें, निवेश के वातावरण को अधिक निश्चितता प्रदान कर सकती हैं।
- वर्ष 2017-18 में किये गये सुधारात्मक उपायों के वर्ष 2018-19 में भी और अधिक सुदृढ़ होने की संभावना हैं जिससे संवृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

- **उच्च संवृद्धि के समक्ष नकारात्मक जोखिम (Downside risk to higher growth):** उच्च कच्चे तेल की कीमतों, कुछ देशों की संरक्षणवादी नीतियों और विकसित देशों में मौद्रिक शर्तों को कड़ा करने की संभावना के कारण उत्पन्न होते हैं। यह स्थिति पूँजी के अंत:प्रवाहों में कमी और वित्तीय संकट का कारण बन सकती हैं।

कुल मिलाकर, वर्ष 2018-19 में संवृद्धि की प्रबल संभावनाएं हैं और यह 7.0 से 7.5% की सीमा के अंदर हो सकती है।

नोट: अध्याय के निम्नलिखित भागों को छोड़ दिया गया हैं, क्योंकि इन्हें संबंधित अध्यायों में विस्तारपूर्वक कवर किया गया है:

- **लोक वित्त** (अध्याय 2)
- **कीमत एवं मौद्रिक प्रबंधन** (अध्याय 3 और 4)
- **बाह्य क्षेत्र** (अध्याय 6)
- **कृषि एवं सहायक क्षेत्र** (अध्याय 7)
- **औद्योगिक, कॉर्पोरेट और अवसंरचना निष्पादन** (अध्याय 8)
- **संधारणीय विकास, ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन** (अध्याय 5)

VISION IAS

अध्याय 02 : राजकोषीय घटनाक्रम की समीक्षा

परिचय

- पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने लोक वित्त प्रबन्धन में सुधार पर ध्यान दिया है। इसके फलस्वरूप पिछले तीन वर्षों में समष्टि आर्थिक स्थायित्व बेहतर हुआ है। इस आर्थिक स्थायित्व में और अधिक सुधार करते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों की सहभागिता से वस्तु एवं सेवा कर (GST) को भी लागू किया है।
- वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान भी प्रत्यक्ष कर संग्रह अनुमान के अनुरूप होने की संभावना है तथा व्यय संबंधी योजनाएँ भी सही दिशा में हैं।

केंद्र सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय के रुझान

A. प्राप्तियाँ: आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार नवम्बर 2017 तक, सरकार का सकल कर संग्रह अपेक्षा के अनुरूप रहा तथा गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों (मुख्यतः विनिवेश से होने वाली आय) की स्थिति भी अच्छी रही है। यद्यपि गैर-कर राजस्व प्राप्ति अपेक्षा से कम हुई है।

B. व्यय तथा घाटे:

- बजट तथा उससे संबंधित प्रक्रियाओं को लगभग एक माह पहले आरंभ करने के कारण **केंद्र सरकार के व्ययों में अत्यधिक वृद्धि** हो गयी है। इसके फलस्वरूप व्यय के लिए उत्तरदायी एजेंसियों को अग्रिम रूप से योजना बनाने तथा वित्त वर्ष में उनके शीघ्र कार्यान्वयन में सहायता मिलेगी। इसके कारण पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में घाटे में भी वृद्धि हुई है।
- व्यय में होने वाली अग्रिम वृद्धि तथा कुछ व्ययों की फ्रंट-लोडिंग, जिनको विवेकपूर्ण व्यय प्रबन्धन के एक अंग के रूप में लागू किया गया, के कारण अप्रैल-नवम्बर 2017 के दौरान **राजकोषीय घाटा बजट में निर्धारित लक्ष्य से अधिक हो गया** है।
- **राजस्व व्यय में वृद्धि** के निम्नलिखित कारण हैं :
  - ब्याज भुगतान संबंधी देयताएँ (संभवतः विमुद्रीकरण के बाद अतिरिक्त देयताओं में कमी लाने के लिए मार्केट स्टेबलाइज़ेशन बॉन्ड्स के क्रय-विक्रय के फलस्वरूप हुई वृद्धि के कारण)।
  - कीमतों में वृद्धि के कारण पेट्रोलियम सब्सिडी।
  - सातवें वेतन आयोग के बाद पेंशन में हुई वृद्धि।

राज्य तथा केंद्र सरकार

- विगत दो वर्षों में उदय (UDAY) के कारण अपने राजकोषीय संतुलन के प्रभावित होने के पश्चात्, राज्यों ने वर्तमान वर्ष में अपनी आय में सुदृढ़ता प्राप्त कर ली है। 2015-16 तथा 2016-17 में उदय बांड्स का राज्यों के घाटे पर GDP के 0.5 तथा 0.6% तक प्रभाव रहा है।
- पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में सम्बद्ध बजट आकलनों के प्रतिशत के रूप में राजस्व तथा राजकोषीय घाटा दोनों ही अपेक्षाकृत कम रहे हैं।
- समग्र रूप में केंद्र सरकार के लिए राजकोषीय घाटे के प्रतिशत में कमी आयी है (चित्र देखें)।

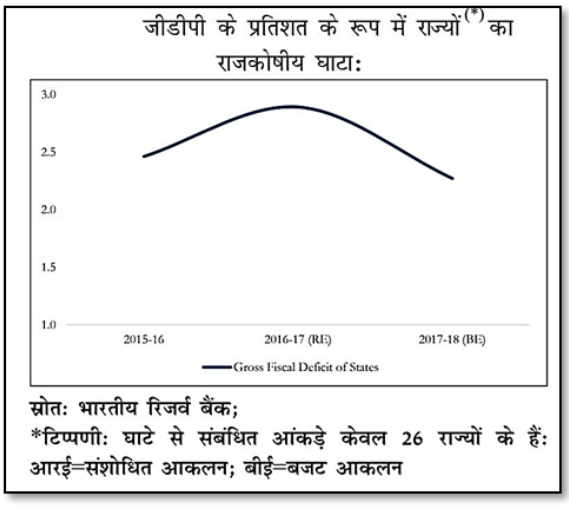

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक;
*टिप्पणी: घाटे से संबंधित आंकड़े केवल 26 राज्यों के हैं: आरई=संशोधित आकलन; बीई=बजट आकलन

राजकोषीय मानदंडों में सुधार हेतु सरकारी पहलें:

(a) अप्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में उठाए गए कदम: सरकार ने लगभग सभी प्रमुख अप्रत्यक्ष करों को मिला कर 1 जुलाई, 2017 को GST लागू किया। GST व्यवस्था के अंतर्गत, सरकार ने छोटे व्यापारियों हेतु कारोबार को सरल बनाने हेतु कई कदम उठाए हैं। 'मेक इन इंडिया' अभियान को सफल बनाने के लिए सीमा शुल्क में भी परिवर्तन किये गए हैं।

VISION IAS

(b) प्रत्यक्ष करों के संबंध में उठाए गए कदम:

- वित्त वर्ष 2015-16 में 50 करोड़ या उससे कम का व्यापार करने वाली घरेलू कंपनियों के लिए कर की दर को 30% से घटा कर 25% करना।
- 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए कर की दर को 10% से घटा कर 5% करना।
- हस्तांतरण मूल्य (ट्रांसफर प्राइसिंग) संबंधी विवादों में कमी लाने, करदाताओं को निश्चितता प्रदान करने, सेफ हार्बर मार्जिन को उद्योग संबंधी मानकों के अनुरूप करने तथा सेफ हार्बर कारोबार की संभावना में विस्तार करने हेतु तीन वर्षों के लिए एक नए सेफ हार्बर कारोबार रेजीम को अधिसूचित किया गया है।
- उचित बाज़ार मूल्य तथा लागत स्फीति सूचकांक के लिए आधार वर्ष को 1981 से परिवर्तित कर 2001 कर दिया गया है।
- पैन डेटाबेस को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है।
- आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म को अधिक युक्तिसंगत बना दिया गया है ताकि यह अधिक वस्तुनिष्ठ तथा करदाताओं के अनुकूल हो सके।

सेफ़ हार्बर किसी अधिनियम का वह प्रावधान होता है जिसके द्वारा किसी क़ानून का उल्लंघन रोकने के लिए आचरण के कुछ मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं। हस्तांतरण मूल्य निर्धारण (ट्रान्सफर प्राइसिंग) के प्रावधानों के दृष्टिकोण से, सेफ हार्बर नियम करदाताओं को एक अवसर प्रदान करते हैं। इसके तहत आयकर पदाधिकारी, निर्धारित परिस्थिति में करदाता द्वारा घोषित हस्तांतरण मूल्य निर्धारण को स्वीकार कर सकते हैं।

सेफ़ हार्बर नियमों को स्वीकार करने से करदाताओं तथा राजस्व पदाधिकारियों दोनों को अनेक स्पष्ट लाभ होंगे, यथा:

- कई प्रकार के लाभों या मूल्यों के संबंध में अग्रिम जानकारी प्राप्त होगी। इससे लेन-देन में निश्चितता आती है।
- करदाताओं तथा राजस्व पदाधिकारियों के बीच विधिक कार्रवाइयों की संभावना से मुक्ति।
- स्वतः स्वीकृति तथा स्व-मूल्यांकन प्रक्रियाएँ,
- नियम पालन में सरलता।
- कंप्लायंस कॉस्ट हार्बर में कमी।

C. CPSE में निवेश प्रबंधन हेतु नीतिगत पहलें:

- सरकार ने **विनिवेश आधारित दृष्टिकोण से हट कर निवेश आधारित दृष्टिकोण को अपनाया है।**
- **CPSE के पूंजीगत पुनर्गठन** के सम्बन्ध में दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं । इस पुनर्गठन के तहत मुख्य रूप से, **लाभांश का भुगतान, शेयरों की वापस खरीद,** बोनस शेयर जारी करने तथा शेयरों की स्प्लिटिंग (प्रति शेयर मूल्य कम करते हुए शेयरों की संख्या बढ़ाना) जैसे विविध पहलुओं का ध्यान रखते हुए CPSE में सरकारी निवेश के सुप्रबंधन पर बल दिया जाएगा ।
- **CPSE को समय सीमा के अन्दर सूचीबद्ध करना:** सरकार ने CPSE को सूचीबद्ध करने हेतु एक संकेतक समय सीमा के साथ-साथ एक व्यवस्था/प्रक्रिया भी लागू की है।
- रणनीतिक विनिवेश का मुख्य बल, गैर-रणनीतिक व्यवसाय या उद्यम (non-strategic business) से सरकार को मुक्त करने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाए जाने पर है।
- सरकार ने पेंशन फण्ड तथा खुदरा निवेशकों को CPSE में निवेश के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सूचकांक आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) का प्रयोग आरम्भ कर दिया है। इस उद्देश्य के लिए **भारत 22** नामक एक नवीन ETF का शुभारम्भ किया गया है।

VISION IAS

अध्याय 03 : मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता

परिचय

- अगस्त 2016 में मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन में किया गया। तत्पश्चात् मौद्रिक नीति का संचालन MPC के अंतर्गत किया जाता है।
- विमुद्रीकरण के वर्षानुवर्ष प्रभाव में कमी के साथ इसके नकारात्मक प्रभाव के क्षीण होने से प्रचलित मुद्रा तथा आरक्षित मुद्रा (M0) दोनों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज़ की गयी।

इस अध्याय में प्रथम विमुद्रीकरण तथा पुनःमौद्रीकरण के सन्दर्भ में मौद्रिक बाज़ार में होने वाली गतिविधियों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है:

नकदी की स्थिति और इसका प्रबंधन

- नवम्बर 2016 के आरम्भ में विमुद्रीकरण के पश्चात् भारतीय रिज़र्व बैंक ने परंपरिक तथा गैर-पारंपरिक दोनों उपायों का मिश्रित उपयोग करके अपनी नकदी अवशोषण संबंधी संक्रियाओं में वृद्धि की। खुले बाजार में निवल बिक्री तथा सरकारी जमाराशि में वृद्धि के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिए जाने वाले निवल ऋण में भी कमी आयी है।
- नकदी की स्थिति अधिशेष के रूप में बनी रही तथापि उत्तरोत्तर पुनः मौद्रीकरण के कारण इसकी तीव्रता धीरे-धीरे कम हुई

10 Year G-Sec Yield (Per cent)

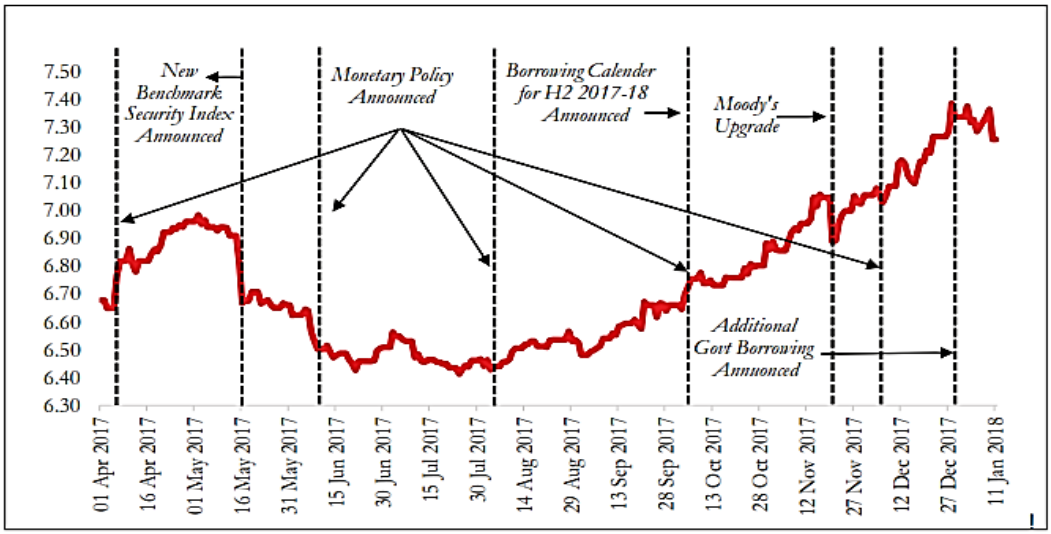

है। *Source:* Bloomberg.

सरकारी प्रतिभूति (G-Sec) बाज़ार से संबंधित विकास

2017-18 के दौरान 10 वर्षीय सामान्य G-Sec से प्राप्त होने वाले प्रतिफल में काफी परिवर्तन आया है। ये बदलाव निम्नलिखित कारकों के कारण आए हैं:

- नवीन बेंचमार्क सिक्युरिटी (प्रतिभूति) सूचकांक की घोषणा, मुद्रास्फीति की न्यून दर, मॉनसून का सकारात्मक पूर्वानुमान, अपेक्षाकृत कम उतार-चढ़ाव युक्त मौद्रिक नीति तथा रेटिंग में सुधार से G-Sec से प्राप्त होने वाले प्रतिफलों में कमी आयी हैं।
- उच्च CPI मुद्रास्फीति, खुली बाजार संक्रियाओं (OMO) द्वारा विक्रय के माध्यम से प्रतिभूतियों की अतिरिक्त आपूर्ति, तेल की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति बढ़ने के आसार तथा बढ़ते सरकारी ऋणों के कारण उपार्जन (yields) पर दबाव बढ़ गया है। ऋणों ने प्रतिफलों को बढ़ाने में विशेष बल प्रदान किया।

बैंकिंग क्षेत्र

- बैंकिंग क्षेत्र, विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन, वर्तमान वित्त वर्ष (मार्च से सितम्बर-2017) में औसत से कम रहा है।
    - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) के सकल अनर्जक अग्रिम (Gross Non-Performing Advances; GNPA) में 10.2% की वृद्धि हुई, उनके पुनःसंरचित मानक अग्रिम (Restructured Standard Advances) अनुपात में कमी आयी है, तनावग्रस्त अग्रिम (Stressed Advances; SA) अनुपात में मामूली बढ़ोतरी हुई तथा पूँजी तथा जोखिम-भारित आस्ति के अनुपात (Capital to Risk-weighted Asset Ratio; CRAR) में वृद्धि हुई है।

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) का GNPA अनुपात बढ़ कर 13.5% हो गया है तथा उनके तनावग्रस्त अग्रिम अनुपात (SA) में भी वृद्धि हुई हैं। बहुत से PSBs ने मार्च 2016 से ऋणात्मक लाभानुपात दर्ज़ किया है।

ऋण (क्रेडिट) वृद्धि

- बैंकों के ऋण प्रदान करने संबंधी काम-काज में पुनः तेजी आयी है। सेवाओं तथा निजी ऋण (पर्सनल लोन) खंड को बैंकों द्वारा दिए गए ऋण उधार, समग्र गैर-खाद्य ऋण (NFC) वृद्धि में बड़े भागीदार रहे।
- अंततः, औद्योगिक क्षेत्र में भी ऋण वृद्धि की दर में बढ़ोतरी हुई। यद्यपि मध्यम उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण में वृद्धि ऋणात्मक रही तथा अभी भी उसका उबरना शेष है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र (NBFC)

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां (NBFCs) वित्तीय क्षेत्र में विविधता तथा कार्य दक्षता लाती हैं और इसे ग्राहकों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनाती है।
- समग्र रूप में NBFCs क्षेत्र के पास 30 सितम्बर, 2017 को सम्पूर्ण बैंक आस्तियों का 17% तथा सम्पूर्ण बैंक जमाराशि का 0.26% था। NBFCs को अपने तुलन पत्रों के वित्तपोषण हेतु सार्वजनिक निधि पर निर्भर रहना पड़ता है।
- RBI ने छोटे ऋणदाताओं तथा छोटे कर्जदारों के बीच प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए **NBFC-P2P (NBFC-पीयर टु पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म)** नामक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को आरम्भ किया है। NBFC के एक और प्रकार NBFC-अकाउंट एग्रीगेटर्स की भी घोषणा की गयी है।

पूँजी बाज़ार

- **प्राथमिक बाज़ार खंड** में बहुत से IPO का शुभारम्भ किए जाने के बाद संसाधन जुटाने के कार्य में स्थायी वृद्धि दर्ज़ की गयी है। भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग में भी सशक्त वृद्धि देखी गयी है।
- कॉर्पोरेट बांड्स निर्गत (सार्वजनिक निर्गम तथा निजी नियोजन) कर संसाधन जुटाने के कार्य में भी तीव्रता आयी है। यद्यपि यह बैंक ऋण का विकल्प नहीं हो सकता। नकारात्मक पक्ष यह है कि बैंक ऋण की तुलना में बांड्स की परिपक्वता अवधि बहुत कम होती है। इसके अतिरिक्त बैंकों द्वारा कॉर्पोरेट बांड्स का अभिदान (सब्सक्राइब) किए जाने की स्थिति में दोहरी गणना होने की संभावना रहती है।
- **BSE) तथा NSE द्वारा निरूपित द्वितीयक बाज़ार खंड** में भी निवेशकों के विश्वास में बढ़ोतरी के कारण अच्छी वृद्धि देखी गयी।

बीमा क्षेत्र

- वित्तीय क्षेत्र का अभिन्न अंग होने के कारण बीमा क्षेत्र का भी भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बीमा क्षेत्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन दो मानदंडों के आधार पर किया जाता है, यथा बीमा पहुँच (Insurance penetration) और बीमा सघनता (insurance density)।
  - भारत में बीमा पहुँच 2001 में 2.71% थी जो 2016 में बढ़ कर 3.49% हो गयी है (जीवन बीमा 2.72% तथा सामान्य बीमा 0.77%)।
  - भारत में बीमा सघनता 2001 में 11.5 US$ थी तथा यह 2016 में बढ़ कर 59.7 US$ (जीवन बीमा 46.5 US$ तथा सामान्य बीमा 13.2 US$) हो गयी है।
  - 2016 में, वैश्विक स्तर पर बीमा पहुँच और बीमा सघनता क्रमशः जीवन बीमा खंड में 3.47% और 353 US$ तथा गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में 2.81% और 285.3 US$ थी।

बीमा पहुँच का तात्पर्य किसी दिए गए वर्ष में प्रीमियम तथा GDP के अनुपात से है।

बीमा सघनता को कुल जनसंख्या (अंतर्राष्ट्रीय तुलना की दृष्टि से US$ में मापित) से एक विशेष वर्ष में प्रीमियम के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है।

नवीन शोधन अक्षमता तथा दिवालियापन संहिता का पुनर्मूल्यांकन

शोधन-अक्षमता तथा दिवालियापन संहिता, 2016 (IBC) को मई 2016 में पारित किया गया। तब से लेकर इसमें आगे उल्लेखनीय प्रगति दर्ज़ की गयी है:

VISION IAS

- कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP) का सम्पूर्ण कार्यतंत्र तैयार किया गया है। इस प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु आवश्यक संस्थाओं तथा पेशेवरों के सृजन के लिए नियमों तथा विनियमों को अधिसूचित किया गया है।
- इस नयी संहिता की प्रभाविता के लिए उत्तरदायी एक महत्वपूर्ण कारक न्यायपालिका के द्वारा अधिनिर्णयन रहा है।
  - सम्पूर्ण भारत में NCLAT खंडपीठों ने संहिता द्वारा निर्देशित समय-सीमा का पालन किया गया है।
  - इसके अतिरिक्त, NCLAT, उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय समेत सभी अपील न्यायालयों ने शीघ्रता पूर्वक तथा निर्णयात्मक रूप से अपीलों का निपटारा किया है।
- **शोधन अक्षमता तथा दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017** को हाल ही में पारित किया गया है। इसके कारण कुछ लोग, यथा अमुक्त दिवालिया, स्वेच्छाचारी दिवालिया, निदेशक के रूप में अयोग्य करार किया गया दिवालिया, क़ानून द्वारा दोषी करार दिया गये व्यक्ति इत्यादि समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने में अयोग्य करार दे दिए गए हैं।
  - इसका लक्ष्य ऋण हेतु बोली लगाने से विभिन्न प्रकार के अवांछित व्यक्तियों को रोकना है। इससे स्वयं प्रवर्तकों (promoters) को अपनी कंपनियों के लिए बोली लगाने से रोका जा सकेगा।
  - एक समाधान योजना में वित्तीय तथा परिचालनात्मक ऋणदाताओं पर उल्लेखनीय कटौतियां (haircuts) विशिष्ट रूप से सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार, बिना किसी पाबन्दी के किसी प्रवर्तक को बोली लगाने की अनुमति देना ऐसी स्थिति को आमंत्रण देना होगा जहां एक मालिक अपनी कंपनियों को दिवालियापन की ओर धकेल कर पुनः इसे वापस डिस्काउंट पर खरीद सकने में समर्थ होगा। यह नैतिक संकट को ऐसी स्थिति की ओर ले जा सकती है जिसमें अक्षम अथवा धोखेबाज़ प्रवर्तकों को अपनी कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में ले कर ऋण दाताओं को अपने प्रदत्त ऋण से हाथ धो लेने को विवश कर सकेंगे।

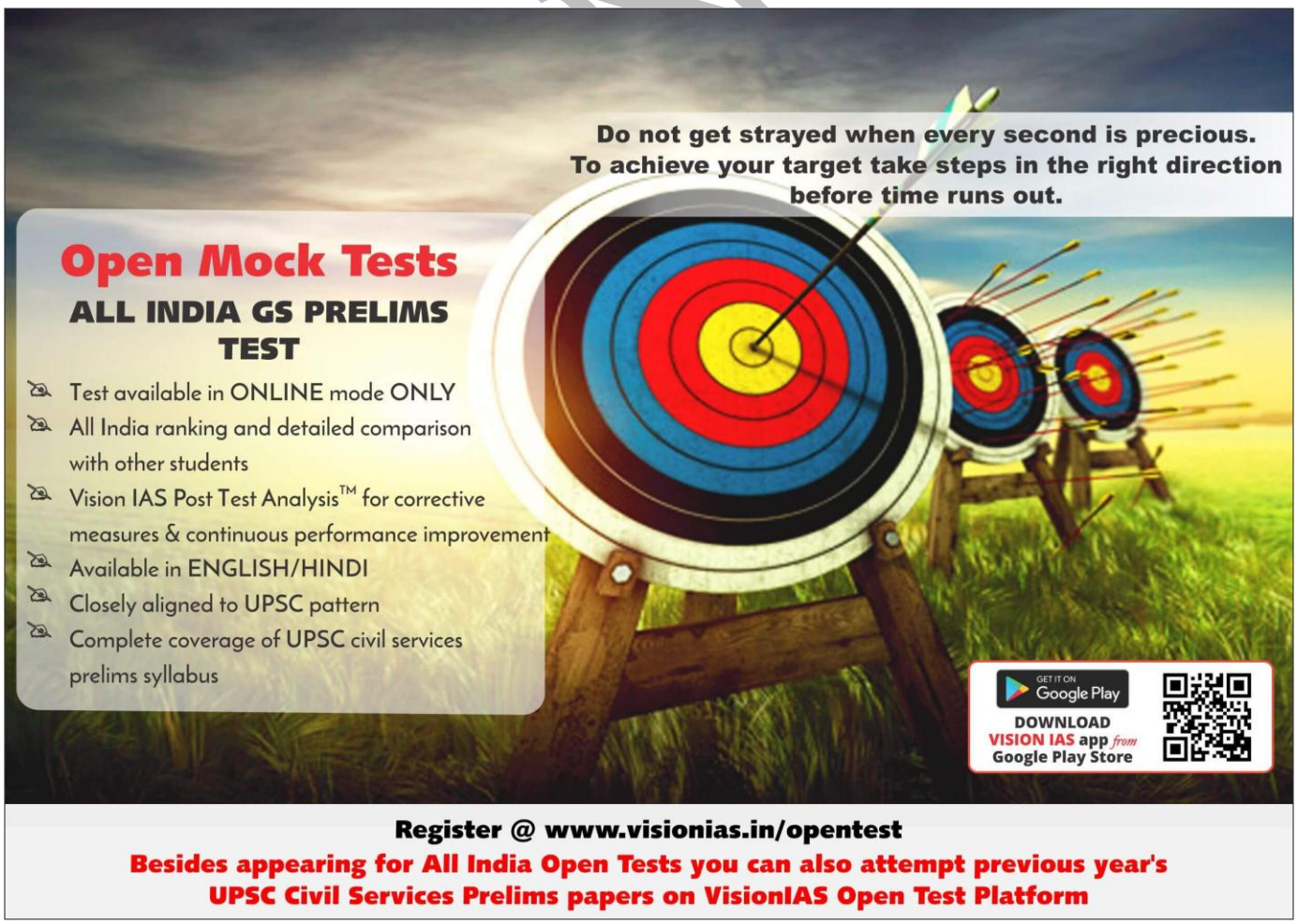

अध्याय 04 : कीमतें और मुद्रास्फीति

भारत में मुद्रास्फीति के संबंध में तथ्य:

- 2017-18 के दौरान देश में मुद्रास्फीति निरंतर कम हो रही है।
- अप्रैल-दिसंबर 2017-18 के दौरान CPI आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति का औसत 3.3% था, जो पिछले छह वित्तीय वर्षों में न्यूनतम था।
- अप्रैल-दिसंबर 2017-18 के दौरान औसत खाद्य मुद्रास्फीति कम होकर 1.2% पर आ गई।

मुद्रास्फीति के कारक

- वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान CPI - मिश्रित और CPI - ग्रामीण मुद्रास्फीति मुख्य रूप से खाद्यान्नों के कारण थी। विविध समूहों (जिसमें घरेलू वस्तुएं एवं सेवाएं, स्वास्थ्य, परिवहन एवं संचार, अमोद-प्रमोद और मनोरंजन, शिक्षा और व्यक्तिगत देखभाल तथा संपत्ति सम्मिलित है) ने चालू वित्त वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति को सर्वाधिक प्रभावित किया है।
- शहरी क्षेत्रों में पिछले वर्ष मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण खाद्यान्न था, जबकि चालू वित्त वर्ष में आवास क्षेत्र ने सबसे अधिक योगदान दिया है।

परिचय

अर्थव्यवस्था में पिछले चार वर्षों के दौरान उच्च और अस्थिर मुद्रास्फीति से उत्तरोत्तर स्थिर कीमतों की ओर परिवर्तन हुआ है। इस अध्याय में विभिन्न सूचकांकों, मुद्रास्फीति के कारकों और मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए उठाए गए सरकारी कदमों के माध्यम से मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया है।

वैश्विक वस्तु कीमतों के रुझान (Trends in Global Commodity Prices)

- विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित वस्तु कीमतों के अनुसार, ऊर्जा से जुड़ी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है। अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (WPI) पर आधारित 'ईंधन और ऊर्जा' मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव विश्व बैंक ऊर्जा मूल्य सूचकांक का अनुसरण करता है।
- विश्व बैंक के खाद्य मूल्य सूचकांक में 2017-18 में गिरावट आई जो खाद्य कीमतों में कमी को दर्शाता है।
- WPI की 'बेसिक मेटल' की कीमतें भी विश्व बैंक की 'बेस मेटल' की कीमतों का अनुगमन करती हैं। WPI के अनुसार 'बेसिक मेटल' की मुद्रास्फीति विश्व बैंक की बेस मेटल मुद्रास्फीति से कम है।

मुद्रास्फीति में प्रवृत्तियां

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) द्वारा मापी गई **हेडलाइन मुद्रास्फीति** नियंत्रण में रही है। यह अनुकूल खाद्य मुद्रास्फीति का सूचक थी।
- उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) पर आधारित **खाद्य मुद्रास्फीति** में कमी आई है। सरकार द्वारा कीमतों पर नियमित निगरानी के साथ-साथ अच्छे कृषि उत्पादन ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने में सहायता की है। **हाल के महीनों में खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि** मुख्यत: सब्जियों और फलों की बढ़ती कीमतों के कारण है। हालांकि खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट व्यापक आधार युक्त है, इसमें प्रमुख कारक मांस और मछली, तेल और चर्बी, मसाले और दालें हैं।
- **मुख्य (कोर) मुद्रास्फीति:** पिछले चार वित्त वर्षों के दौरान CPI आधारित कोर मुद्रास्फीति (अर्थात्, खाद्य और ईंधन समूह को छोड़कर CPI) **4%** से अधिक रही है। रिफाइन्ड कोर (खाद्य और ईंधन समूह, पेट्रोल और डीजल को छोड़कर CPI) कोर मुद्रास्फीति के अनुरूप है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-समिश्र (CPI-C) और इसके खाद्य घटकों में मौसमी उच्चावचन

- मुद्रास्फीति का मौसमी उच्चावचन वर्ष की कुछ निश्चित अवधि के दौरान आपूर्ति में कमी होने से वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तनशीलता/उतार-चढ़ाव को संदर्भित करता है।

VISION IAS

- कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी परिवर्तन के कारण मुख्य (कोर) मुद्रास्फीति की तुलना में सामान्य (हेडलाइन) मुद्रास्फीति अधिक अस्थिर होती है जो आपूर्ति में होने वाली कमी के प्रति सुभेद्य होते हैं। उदाहरण के लिए दलहन, फल और सब्जियां।
- मूल्य सूचकांकों की मौसमी प्रकृति का विश्लेषण दर्शाता है कि CPI-C (सभी समूह) के लिए मौसमी प्रकृति जुलाई में आरंभ होकर नवंबर में समाप्त होती है,और CFPI और सब्जियों के लिए अगस्त माह में मौसमी कारक की अधिकतम सीमा देखने को मिलती है।
- CPI-C के खाद्य समूहों में मौसमी प्रकृति की उपस्थिति के विपरीत, इसके गैर-खाद्य समूहों में नगण्य मौसमी प्रकृति देखने को मिलती है।

मुद्रास्फीति रोकने के लिए प्रयास

मुद्रास्फीति, विशेषकर खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं:

- जमाखोरी और कालाबाजारी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए **राज्य सरकारों को परामर्शिकाएं जारी की गयी।**
- खाद्य पदार्थों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए **उच्च MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की घोषणा** की गई है और इस प्रकार खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता में वृद्धि की जा सके, जिससे कीमतें कम करने में सहायता मिलेगी।
- दाल, प्याज आदि जैसे कृषि वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए **मूल्य स्थिरीकरण निधि (PSF)।**
- **दालों के बफर स्टॉक में वृद्धि** ताकि खुदरा कीमतों के नियंत्रण के लिए प्रभावी बाजार हस्तक्षेप किया जा सकें।
- **तेल के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए** पाम ऑइल, सरसों के तेल और सूरजमुखी तेल को छोड़कर अन्य तेलों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है।
- चीनी के स्टॉकिस्टों/डीलरों पर स्टॉक होल्डिंग की सीमा तय कर दी गई है और चीनी के निर्यात पर शुल्क आरोपित किया गया है।
- प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर सीमाएं।

नए सूचकांकों का विकास

उत्पादक मूल्य सूचकांक

उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में औसत परिवर्तन को दर्शाता है। यह उत्पादन स्थल से बाहर **आउटपुट PPI** तथा उत्पादन प्रक्रिया में प्रवेश करने पर **इनपुट PPI** कहलाता है।

- PPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) जैसे अन्य सूचकांकों के साथ विरोधाभासी है, जो खरीदारों या उपभोक्ताओं के परिप्रेक्ष्य से कीमतों में परिवर्तन को दर्शाता है।
- **WPI की तुलना में PPI को अपनाने का लाभ** यह है कि यह **सभी वस्तुओं और सेवाओं** के थोक लेनदेन को सम्मिलित करता है, जिससे WPI में अंतर्निहित दोहरी गणना की कमी को दूर करना और उन सूचकांकों को संकलित करना जो अपस्फीतिकारक के रूप में उपयोग के लिए अवधारणात्मक रूप से राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (NAS) के संगत हो, हो सके।

प्रोफेसर बी.एन. गोलदार की अध्यक्षता में कार्यदल की अनुशंसा: 2014 में गठित इस समिति ने 2017 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रमुख अनुशंसाएं इस प्रकार हैं:

- **इनपुट PPI के दो अलग-अलग समूह संकलित किए जा सकते हैं –** एक समूह में सेवा सम्मिलित होगी और दूसरे में नहीं।
- PPI का संकलन आरंभ में प्रयोगात्मक आधार पर किया जा सकता है और **PPI श्रृंखला के स्थिर होने के बाद ही WPI से PPI की ओर अग्रसर होना चाहिए।**
- प्रायोगिक PPI को आधार वर्ष 2011-12 के साथ मासिक आधार पर जारी किया जाएगा।
- आरंभ में **PPI** समूह में **15** सेवाओं को शामिल किया जाएगा।

VISION IAS

आवास मूल्य सूचकांक

आवास मूल्य सूचकांक (HPI) एक भौगोलिक सीमा के भीतर आवासीय संपत्ति की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का मापन करने का एक व्यापक उपाय है।

NHB RESIDEX: यह राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) द्वारा 2007 में आरंभ किया गया पहला सरकारी आवास मूल्य सूचकांक है। आधार वर्ष संशोधित करके **वित्त वर्ष 2012-13 कर दिया गया** ताकि अद्यतन सूचना प्राप्त हो सकें और देश में वर्तमान आर्थिक स्थिति की वास्तविक छवि प्रस्तुत की जा सकें।

- वर्तमान में, राष्ट्रीय आवास बैंक त्रैमासिक आधार पर 50 शहरों के लिए NHB RESIDEX प्रकाशित कर रहा है।
- NHB समग्र स्तर पर अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक की गणना नहीं कर रहा है।
- हालांकि, भारित औसत के रूप में जनसंख्या अनुपात का उपयोग करते हुए, शहरों के भारित औसत के रूप में अखिल भारतीय सूचकांक की गणना की गई है। अखिल भारतीय स्तर पर आवास की कीमतों में वृद्धि की दर में दिसंबर, 2016 को समाप्त तिमाही से गिरावट शुरू हो गई है।

अध्याय 05 : धारणीय विकास, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन

राष्ट्रीय स्वैच्छिक समीक्षा (VNR) रिपोर्ट, देश में विभिन्न कार्यक्रमों और प्रयासों के अंतर्गत की गई प्रगति के विश्लेषण पर आधारित है। VNR रिपोर्ट 7 धारणीय या सतत विकास लक्ष्यों (SDG) पर केंद्रित है: 1 (गरीबी समाप्त करने); 2 (शून्य भूखमरी); 3 (बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण); 5 (लैंगिक समानता); 9 (उद्योग, नवाचार और अवसंरचना), 14 (जलीय जीवन) और 17 (लक्ष्यों के लिए साझेदारी)

परिचय

पिछले कुछ वर्षों के दौरान, भारत ने जलवायु परिवर्तन, धारणीय विकास और ऊर्जा पहुँच के लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

इस अध्याय में भारत द्वारा उपर्युक्त क्षेत्रों में की गई प्रगति का विश्लेषण किया गया है।

सतत विकास लक्ष्य (SDG)

- 2015 में अंगीकृत संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों को व्यापक रूप से सम्मिलित किया गया है। उदाहरण के लिए - चरम गरीबी सहित सभी प्रकार की और सभी रूपों में व्याप्त गरीबी को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक समझौता।
- भारत ने **उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (HLPF)**-2017 की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (VNR) में स्वैच्छिक रूप से भाग लिया था। भारत ने जुलाई, 2017 में संयुक्त राष्ट्र, न्यूयॉर्क में HLPF में SDG के कार्यान्वयन पर अपनी पहली VNR रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
- संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा स्वीकृत वैश्विक SDG संकेतकों के आलोक में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय SDG संकेतक मसौदा विकसित किया जा रहा है ताकि 2016 के आधार वर्ष के आधार पर SDG की प्रगति को ट्रैक किया जा सके।

शहरी धारणीयता के आधार स्तंभ: विश्व आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण **2013** के अनुसार, शहरों की धारणीयता चार आधार स्तंभों यथा - सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पर्यावरण प्रबंधन और प्रभावी शहरी प्रशासन के मध्य समन्वय पर टिकी हुई है।

शहरी भारत और धारणीय विकास

- भारत तेजी के साथ ग्रामीण से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है, इसलिए 2031 तक भारत की शहरी आबादी लगभग 600 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। भारतीय शहर कई बुनियादी सेवाओं के वितरण सहित अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस प्रकार, सरकार ने SDG-11 की प्राप्ति हेतु स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति जैसे विभिन्न उपायों को आरंभ किया हैं। SDG-11 के अंतर्गत यह वर्णित है कि "शहरों को समावेशी, सुरक्षित, प्रत्यास्थ (रिज़िल्यन्ट) और धारणीय बनाना"।
- हालांकि, कई चुनौतियां अभी शेष है जैसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति के अनुमान के अनुसार अगले 20 वर्षों के दौरान शहरी अवसंरचना के निर्माण के लिए लगभग 39 लाख करोड़ रुपए (2009-10 की कीमतों के आधार पर) और प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए लगभग 20 लाख करोड़ रूपए की आवश्यकता होगी। अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों (ULB) में लागत वसूली का औसत 50% से भी कम रहने के कारण प्रयोक्ता शुल्क वसूलने की आवश्यकता होगी।
- इस प्रकार, ULB को शहरी परियोजनाओं में परिचालन दक्षता और वित्तीय व्यवहार्यता लाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जैसे **म्युनिसिपल बांड, PPP, क्रेडिट रिस्क गारंटी** आदि जैसे विभिन्न नवाचारी वित्तीय साधनों के माध्यम से संसाधनों को बढ़ावा देना। उदाहरण के लिए जुलाई 2015 में, भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड (SEBI) ने भारत में म्युनिसिपल बांड जारी करने हेतु एक नई विनियामक रूपरेखा अधिसूचित की थी। इसमें नगर निकायों को प्राइवेट प्लेसमेंट या लोक निर्गम (public issue) के माध्यम से म्युनिसिपल बांड जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है।

VISION IAS

कुछ राज्यों द्वारा विद्युत क्रय करार पर पुनर्समझौता (Renegotiation of PPAs by certain states):

PPA (पॉवर परचेज एग्रीमेंट) क्रेता और उत्पादक के मध्य किया गया एक अनुबंध होता हैं जो विद्युत आपूर्ति के लिए शर्तें और कीमतें निर्धारित करता है। नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में, राज्य विद्युत नियामक आयोग इन स्रोतों से विद्युत के क्रय के लिए फ़ीड-इन टैरिफ निर्धारित करता है। PPA पर हस्ताक्षर कुछ वर्षों के लिए इन पूर्व निर्धारित कीमतों के आधार पर किए गए थे।

वर्तमान समस्याएं: सौर/पवन ऊर्जा खरीद के लिए हाल ही की नीलामी ने बहुत ही कम प्रशुल्कों की एक नई व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया है। इसे देखते हुए कुछ डिस्कॉम कम्पनियों ने पूर्व के विद्युत क्रय करारों के पुनर्समझौते की संभावनाओं को व्यक्त किया हैं। इस पुनर्समझौते के परिणामस्वरूप 48000 करोड़ रुपए की निवेश राशि का जोखिम हो सकता है। इससे कानूनी विवाद उत्पन्न होने की संभावना है जो इस क्षेत्र के लिए अनिश्चितताओं को उत्पन्न करेगा, परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा वित्तपोषण में कमी आएगी।

आगे की राह: सरकार ने पहले से नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता-प्राप्त ऋण क्षेत्र (PSLs) के अंतर्गत सम्मिलित किया है। वहनीय वित्तपोषण व्यवस्था, संधारणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए महत्वपूर्ण होती है। विकासकर्ताओं के लिए उपलब्ध भुगतान गारंटी निधि या विदेशी मुद्रा निधि जैसे जोखिम शमन उपकरण लाभकारी हो सकते हैं। सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी और प्रोत्साहनों पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

धारणीय ऊर्जा तक पहुंच

- वहनीय, विश्वसनीय, धारणीय और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच, SDG को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अन्य सभी लक्ष्यों के साथ गहरा अंतर-संबंध होता हैं।
- उदाहरण के लिए - भारत की लगभग 64% (विश्व औसत - 38%) जनसंख्या के लिए स्वच्छ ईंधन तक पहुंच की कमी, परिवार की महिला सदस्यों पर जलावन के लिए लकड़ी एकत्रित करने का बोझ बढ़ा देता है। इस प्रकार के ईंधनों के उपयोग के कारण इनडोर वायु प्रदूषण से अधिक संपर्क के कारण उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इस प्रकार, स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित कर जलावन की लकड़ी को एकत्रित करने में लगने वाले समय को कम किया जा सकता है, परिणामस्वरूप बालिकाओं की शिक्षा एवं रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है
- इसलिए स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने विभिन्न पहलों को प्रारंभ किया हैं
    - **BPL** परिवारों को **LPG** कनेक्शन प्रदान करने के लिए **प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना।**
    - सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC)- 2011 के अंतर्गत नहीं आने वाले वंचित लोगों की रसोई संबंधी आवश्यकताओं को पूरी करने हेतु **"उज्ज्वला प्लस"** योजना।
    - **100%** ग्राम विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए **दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)** और सभी परिवारों तक विद्युत उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए **सौभाग्य योजना।**
    - **धारणीय स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित करना। 30 नवंबर 2017 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 18% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त हुआ था।** हालांकि, इससे विद्युत क्रय करार (PPAs) के पुनर्सझौतों से संबंधित विवाद भी उत्पन्न हुए हैं।
    - **उर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग के लिए, भवन ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम** (बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम; BEEP) के अंतर्गत सम्पूर्ण भारत में केंद्र सरकार के सभी भवनों में ऊर्जा कुशल उपकरणों की अनिवार्य स्थापना के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिसका कार्यान्वयन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड (**EESL**) द्वारा किया जा रहा है।

इंटरनेशनल सोलर एलायंस (ISA) का प्रभावी होना

ISA, पूर्णत: या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के मध्य स्थित देशों का एक संघ है जो **6** दिसंबर, **2017** को प्रभावी हुआ था। **ISA** पहला अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संधि आधारित संगठन है जिसका मुख्यालय भारत (गुरुग्राम, हरियाणा) में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र (अपनी विभिन्न एजेंसियों सहित) **ISA** का रणनीतिक साझेदार है।

VISION IAS

- भारत ने ISA निधि कोष के लिए 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है और 2020-21 तक प्रति वर्ष 15 करोड़ रूपए इसके व्यय के लिए उपलब्ध कराएगा। भारत ने सौर और संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अफ्रीकी देशों के लिए लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) नियत की है।
- वर्तमान में ISA के अंतर्गत तीन कार्यक्रम हैं: कृषि उपयोग हेतु सौर ऊर्जा के अनुप्रयोगों का मापन, वहनीय वित्तीय सहायता और सौर ऊर्जा के लिए लघु ग्रिड। इसके अतिरिक्त, ISA स्केलिंग सोलर रूफटॉप्स और स्केलिंग ई-मोबिलिटी एंड स्टोरेज नामक दो अन्य कार्यक्रमों को आरंभ करने की योजना बना रहा है।
- ISA की प्रमुख पहलों में सौर परियोजनाओं के जोखिम को दूर करने और वित्तीय लागत को कम करने के लिए "सामान्य जोखिम निवारण तंत्र" (CRMM) का विकास भी किया जा रहा है तथा डिजिटल इन्फोपीडिया की स्थापना करना, जो एक दूसरे के साथ अंत:क्रिया, संपर्क, संचार और सहयोग करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा।

भारत और जलवायु परिवर्तन

- भारत ने यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के अंतर्गत सदैव रचनात्मक रूप से सहयोग प्रदान किया है तथा वर्तमान में जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों को तैयार करने के प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
- भारत ने घरेलू स्तर पर, अपने कार्यों को आगे बढ़ाने हेतु कई नीतियां आरंभ की हैं तथा संस्थागत तंत्र स्थापित किया है।
    - **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना और जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना**, इसके अंतर्गत विभिन्न अन्य पहलों के अतिरिक्त आठ राष्ट्रीय मिशन जिनमें सौर, ऊर्जा दक्षता, कृषि, जल, धारणीय अधिवास, वानिकी, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और ज्ञान सम्मिलित हैं।
    - **जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर मिशन**, भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी, उन्नत कोयला प्रौद्योगिकी, परिष्कृत ऊर्जा दक्षता, हरित वन, धारणीय अधिवास, जल, धारणीय कृषि और विनिर्माण के क्षेत्रों में 8 वैश्विक प्रौद्योगिकी जांच समूहों की स्थापना की है।
    - **क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम (CCAP)**, इसकी स्थापना केंद्रीय और राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण और सहायता करने, जलवायु परिवर्तन का मूल्यांकन करने संबंधी वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता को सुदृढ़ करने, उपयुक्त संस्थागत ढांचा स्थापित करने और जलवायु से संबंधित कार्यों को कार्यान्वित करने हेतु की गई है।
    - केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के माध्यम से चल रहे कार्यों के अंतर्गत न आने वाली अनुकूलन गतिविधियों (adaptation activities) की सहायता हेतु **जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि।**
    - **वन और वनावरण में वृद्धि** ने देश के वनों को नेट कार्बन सिंक के रूप में परिवर्तित किया है।
    - सिंचाई के क्षेत्र में विस्तार करने और जल उपयोग दक्षता में सुधार लाने हेतु **प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना।**
    - **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs)** क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता और संसाधन दक्षता में वृद्धि करने हेतु **शून्य प्रभाव,शून्य दोष (जीरो इफेक्ट,जीरो डिफेक्ट; ZED)।**
    - गंगा नदी का पुनरुद्धार करने हेतु **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन।**
    - भारतीय वित्तीय बाजार भी हरित गतिविधियों की दिशा में आगे बढ़ रहा है **SEBI** ने मई, **2017** को **हरित ऋण प्रतिभूतियां** जारी करने और उन्हें सूचीबद्ध करने हेतु प्रकटन की आवश्यकता पर परिपत्र जारी किया है।

VISION IAS

निष्कर्ष

ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स-2018 में भारत को विश्व के छह सर्वाधिक सुभेद्य देशों की श्रेणी में रखा गया है। इस रिपोर्ट में यह वर्णित किया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली एक बड़ी जनसंख्या ऐसे क्षेत्रों में निवास करती है जिनमें जलवायु परिवर्तन की अधिक संभावना है तथा उनके व्यवसाय भी अत्यधिक जलवायु-संवेदी होते हैं, भावी जलवायु परिवर्तनों का जीवन स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में, भारत को व्यक्तिगत, परिवारों और समुदायों की बुनियादी अनुकूलनीय क्षमताओं (inherent adaptive capacities) को विकसित करने की आवश्यकता है।

दिल्ली में वायु प्रदूषण - संभावित समाधान

हाल ही के वर्षों में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में सर्दियों के मौसम के दौरान अत्यंत ख़राब वायु गुणवत्ता का अनुभव किया गया। दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी **4** मुख्य कारणों का समाधान करना अनिवार्य है:

- **फसल अवशेष, बायोमास का जलाया जाना**
- **वाहनों द्वारा उत्सर्जन और धूलकण**
- **बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधियाँ, विद्युत संयंत्र, उद्योग आदि**
- **शीतकालीन तापीय उत्क्रमणीयता, आर्द्रता और पवन प्रवाह की अनुपस्थिति।**

प्रभावी कार्रवाई हेतु कई सुझाव दिए गए हैं (राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय), जिनमें से कुछ पर कार्य आरंभ हो चुका हैं:

अल्पावधिक आपात योजना (जब 24 घंटों के दौरान PM2.5, 300-400 मिलीग्राम/घनमीटर से अधिक हो जाए): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आग लगने की घटनाओं का पता लगाने वाले उपग्रह आधारित उपकरणों और मोबाइल आधारित एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए कृषि अपशिष्ट को जलाने का पता लगाकर, उनपर भारी अर्थदण्ड आरोपित कर कठोर कार्रवाई और राज्यों एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के किसानों को अपशिष्ट नहीं जलाने के लिये समन्वित प्रोत्साहन भुगतान करना।

मध्यम और दीर्घकालिक कार्रवाइयां: वाहनों के लिए कन्जेस्चन प्राइसिंग निर्धारण का कार्यान्वयन, निजी वाहनों के उपयोग में कमी लाने तथा मेट्रो तक एवं मेट्रो से इतर कनेक्टिविटी के लिए सार्वजनिक बसों का तेजी से विस्तार और संवर्धन करना। पुराने वाहनों को चलन से बाहर करना, BS-VI (पहले से अधिसूचित और 2020 से आंरभ होने वाला) को अपनाने में तेजी लाना और आधुनिक तकनीक से निर्मित बसों का विस्तार करना।

कृषि अपशिष्ट को उपयोगी चारे या जैव-ईंधन में रूपान्तरित करने के लिए प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना, निजी क्षेत्र और समुदायों के साथ व्यापार मॉडल विकास और कार्यान्वयन करना और गैर-धान फसलों की कृषि को प्रोत्साहित करना।

VISION IAS

अध्याय 06 : वैदेशिक (बाह्य) क्षेत्र

- **शीर्ष 5 देश जिनके साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार संतुलन नकारात्मक है**- चीन, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, इराक और दक्षिण कोरिया। ऐसे **शीर्ष 5 देश जिनके साथ भारत का व्यापार संतुलन अधिशेष में है**- संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, नेपाल और ब्रिटेन।
- चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा सर्वाधिक है। भारत के कुल व्यापार घाटे में इसकी भागीदारी 2012-13 में 20.3% से बढ़कर 2017-18 (अप्रैल-सितंबर) में 43.2% हो गई है।
- स्विट्जरलैंड के मामले में, व्यापार घाटा मुख्य रूप से स्वर्ण के आयात के कारण है। पिछले दो वर्षों में यह घाटा कम हुआ है। इसके अतिरिक्त, इसका एक भाग निर्यात में प्रयोग किया जाता है।
- सऊदी अरब और इराक के मामले में, घाटे का कारण कच्चे तेल का आयात है, जबकि दक्षिण कोरिया के लिए यह विद्युत मशीनरी तथा लौह-इस्पात के आयात के कारण है।

परिचय

भारत का बाह्य क्षेत्रक अब तक लचीला और मजबूत रहा है। भुगतान संतुलन की स्थिति आरामदायक स्थिति में रही है। वस्तु निर्यात तथा निवल सेवा प्राप्तियों में भी वृद्धि हुई है। इसके साथ ही निवल विदेशी निवेश बढ़ा है और बाह्य ऋण संकेतकों में भी सुधार हुआ है।

वैश्विक आर्थिक वातावरण

- वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2016 में 3.2% की अपेक्षा 2017 में 3.6% और 2018 में 3.7% तक की तेज़ी आने की संभावना है।
- 2017 की पहली छमाही में यूरो क्षेत्र, जापान, उभरते हुए एशिया और रूस में बेहतर परिणामों के कारण वैश्विक विकास में उर्ध्वगामी सुधार देखने को मिला भले ही संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में ये परिवर्तन अधोगामी रहे हों ।
- विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि का अनुमान किया गया है। पिछले वर्ष हुई गिरावट के विपरीत वर्तमान समय में वस्तुओं की कीमतों (तेल और गैर ईंधन) के बढ़ने की भी आशा है।

भारत के भुगतान संतुलन संबंधी प्रगति

- **भारत की भुगतान संतुलन स्थिति** 2013-14 के बाद से काफी मज़बूत हुई है और 2017-18 की प्रथम छमाही में भी इसके रुझान सकारात्मक रहे।
- कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के साथ स्वर्ण आयातों में हुई तीव्र वृद्धि के कारण होने वाले उच्च व्यापार घाटे के फलस्वरूप भारत का **चालू खाता घाटा बढ़ा है।**
- मुख्यतः सेवाओं के निवल (नेट) अर्जनों एवं निजी अंतरण प्राप्तियों में वृद्धि के कारण **अदृश्य मदों में निवल प्राप्तियाँ उच्च थी**।
  - सेवाओं की निवल आय मुख्य रूप से पर्यटन एवं दूरसंचार, कंप्यूटर एवं सूचना सेवाओं में निवल आय में होने वाली वृद्धि के कारण बढ़ी।
  - मुख्य रूप से विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा किए जाने वाले विप्रेषणों (रेमिटेंस) को दर्शाने वाली निजी अंतरण प्राप्तियाँ (प्राइवेट ट्रांसफर रिसीट्स) भी बढ़ीं। किन्तु, संरचनात्मक कारक अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी कामगारों की भर्ती के कड़े मानदंड, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) देशों में श्रम बाजार समायोजन एवं कई देशों में बढ़ती आव्रजन विरोधी भावनाओं का भविष्य में इन विप्रेषणों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने का भी जोखिम विद्यमान है।
- **व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है**, किन्तु अदृश्य मदों के संतुलन में सुधार तथा विदेशी निवेश एवं बैंकिंग पूँजी के कारण बढ़ा हुआ निवल पूंजी प्रवाह चालू खाता घाटे को वित्तपोषित करने में सक्षम थे। इसके परिणामस्वरुप **विदेशी मुद्रा भंडार में अभिवृद्धि** हुई।

VISION IAS

भारतीय व्यापार का संघटन

2017-18 में (अप्रैल-नवंबर) प्रमुख क्षेत्रों के मध्य, अभियांत्रिकी वस्तुओं और अपरिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गयी थी। रसायन तथा संबंधित उत्पादों एवं वस्त्र व संबद्ध उत्पादों में मध्यम स्तर की वृद्धि, किन्तु रत्नों और गहनों में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गयी थी।

निर्यातों का क्षेत्रवार अंश

Rank		Share (per cent)		
		2015-16	2016-17	2017-18 (Apr-Nov) (P)
1	Engineering goods	23.1	24.4	25.9
2	Gems and Jewellery	15.0	15.7	14.4
3	Chemicals and related products **	14.7	14.2	14.5
	of which			
	Drug & pharmaceutical	6.2	5.8	5.4
4	Textiles & allied products	13.7	13.0	11.8
	of which			
	Textiles	5.6	5.2	4.9
	Clothing	8.1	7.8	6.9
5	Petroleum crude & products	11.7	11.4	11.8
6	Agriculture and allied products *	9.9	9.5	9.7
7	Electronic goods	2.2	2.1	2.0
8	Marine products	1.8	2.1	2.7
9	Ores and minerals	0.8	1.2	1.0
10	Leather & leather products	2.1	1.9	1.9
	Total exports including others	100.0	100.0	100.0

आयातों का क्षेत्रवार अंश

Rank	Sector	Share (per cent)		
		2015-16	2016-17	2017-1 (Apr-Nov) (P
1	Petroleum Oil and Lubricants	21.8	22.6	22.0
2	Capital goods	21.1	20.9	19.2
	of which			
	Machinery	8.7	8.5	8.3
	Base metals	6.5	5.6	6.0
	Transport equipment	4.0	5.1	3.3
3	Gems and Jewellery	14.8	14.0	16.8
	of which			
	Gold	8.3	7.2	7.8
	Pearls and semi precious stones	5.3	6.2	7.6
	Silver	1.0	0.5	0.8
4	Chemicals and related products **	13.3	12.4	12.7
	of which			
	Organic chemicals	2.5	2.6	2.6
	Fertilizers	2.1	1.3	1.3
5	Electronic goods	10.5	10.9	11.4
6	Agriculture & allied Products*	5.7	6.3	5.6
7	Ores and minerals	5.4	5.6	6.6
	of which			
	Coal, Coke & Briquettes, etc.	3.6	4.1	4.8
	Total imports including others	100.0	100.0	100.0

व्यापार नीति के सम्बन्ध में हुई प्रगति

विदेश व्यापार नीति (FTP) की मध्यावधि समीक्षा एवं दिसंबर 2017 में आयोजित विश्व व्यापार संगठन (WTO) की बहुपक्षीय वार्ताओं को व्यापार नीति के सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के रूप में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, व्यापार लॉजिस्टिक्स एवं डंपिंग रोधी उपायों के सम्बन्ध में भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए।

विदेश व्यापार नीति की मध्यावधिक समीक्षा के मुख्य बिंदु एवं परवर्ती व्यापार सम्बन्धी नीतियाँ

- भारत से वस्तु निर्यात योजना (मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम: MEIS) के अंतर्गत वस्त्र उद्योग के दो उपक्षेत्रों अर्थात् रेडीमेड गार्मेंट और मेड अप गार्मेंट वाले क्षेत्रकों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन (इंसेंटिव) में वृद्धि।
- MEIS की मौजूदा व्यवस्था में समग्र रूप से 2% की वृद्धि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों (MSMEs)/श्रम गहन उद्योगों द्वारा निर्यातों हेतु प्रोत्साहन प्रदान करती है।

- सेवाओं के व्यापार हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, भारत से सेवा निर्यात योजना (सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया :SEIS) के तहत प्रदान किये जाने वाले प्रोत्साहनों (incentives) में व्यापार, विधिक, लेखा, वास्तु सम्बन्धी, इंजीनियरिंग, शैक्षिक, अस्पताल, होटल और रेस्तरां जैसी अधिसूचित सेवाओं के लिए 2% की वृद्धि की गई है।
- शुल्क छूट योजना के अंतर्गत स्व-घोषणा के साथ निर्यात उत्पादन के लिए शुल्क मुक्त आदानों (इनपुट्स) की अनुमति देने हेतु विश्वास पर आधारित **स्व-अनुसमर्थन योजना (सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम)** का आरम्भ किया गया।
- लॉजिस्टिक क्षेत्रक के एकीकृत विकास हेतु कार्य योजना का विकास करने और कार्यान्वयन का समन्वय करने के लिए **वाणिज्य विभाग में नए लॉजिस्टिक** संभाग का किया गया।
- **अधिक स्पष्टता के लिए ऐसी पूंजीगत वस्तुओं की नकारात्मक सूची** बनाई गई है जिन्हें पूंजीगत वस्तुओं पर निर्यात संवर्धन (EPCG) योजना के अंतर्गत अनुमति नहीं दी जाती है।
- रिपेयर/री-कंडीशनिंग या री-इंजीनियरिंग के लिए आयात की जाने वाली उन वस्तुओं को शुल्क मुक्त किया गया है जिनका इस्तेमाल किया जा चुका है। इसके फलस्वरूप रिपेयर सर्विस के क्षेत्रक में रोजगार का सृजन करने में सहायता मिलेगी।
- **चमड़े और फुटवियर क्षेत्रक में रोजगार सृजन के लिए विशेष पैकेज** की घोषणा की गई थी। इस पैकेज में 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्ष से अधिक समय तक केंद्रीय क्षेत्रक योजना "भारतीय फुटवेयर, चमड़ा एवं सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम" का कार्यान्वयन शामिल है।

चमड़ा और फुटवियर क्षेत्रक के लिए विशेष पैकेज: इस योजना से चमड़ा क्षेत्रक हेतु अवसंरचना का विकास होगा, चमड़ा क्षेत्रक की विशिष्ट पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान होगा तथा अतिरिक्त निवेश, रोजगार सृजन और उत्पादन में वृद्धि सुसाध्य होगी। यह विशेष पैकेज फुटवियर, चमड़ा एवं सहायक सामग्री क्षेत्रक में संचयी प्रभाव के रूप में 3 वर्ष में 3.24 लाख नयी नौकरियाँ सृजित करने एवं 2 लाख नौकरियों को औपचारिक स्वरूप प्रदान करने में सहयोग प्रदान करेगा।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) बहुपक्षीय वार्ता

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) का ग्यारहवाँ मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन (MC11), किसी भी प्रकार की मन्त्रिस्तरीय घोषणा या किसी अनुवर्ती परिणाम के बिना ही समाप्त हो गया।
- मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन (MC11) के दौरान, भारत WTO के मूलभूत सिद्धांतों के सम्बन्ध में अपने पूर्व-निश्चित निर्णय पर दृढ़ बना रहा। इन सिद्धांतों में निम्नलिखित शामिल हैं-
  - सभी विकासशील देशों के लिए विशेष और विभेदीकृत उपचार
  - बहुपक्षीयता
  - नियम के आधार पर सर्वसम्मति से निर्णय लेना,
  - स्वतंत्र और विश्वसनीय विवाद समाधान और अपीलीय प्रक्रिया एवं
  - विकास का केंद्रीय भाव या सार (जो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा का आधार है) इत्यादि ।
- किन्तु, खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए भण्डारण, कृषि संबंधी विशेष सुरक्षा तंत्र एवं कृषि संबंधी घरेलू समर्थन-सहयोग जैसे मुद्दों पर कार्य जारी रखने की आवश्यकता है।

व्यापार संबंधित संभार तंत्र (लॉजिस्टिक्स)

- ऐसा अनुमान है कि भारतीय लॉजिस्टिक्स उद्योग 2016-17 में संभवतः लगभग 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का था। यह पिछले पाँच वर्षों में 7.8 की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से विकसित हुआ है।
- वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए 2019-20 में इसके लगभग 215 बिलियन डॉलर के स्तर तक पहुँच जाने का अनुमान है।
- निर्यात बढ़ाने के सन्दर्भ में उन्नत लॉजिस्टिक्स का महत्वपूर्ण निहितार्थ होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में 10% की कमी निर्यात को लगभग 5-8% तक बढ़ा सकती है। "लॉजिस्टिक्स परफॉरमेंस इंडेक्स" में भारत ने अपने स्थान में सुधार किया है, किन्तु सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान और चीन जैसे देशों की तुलना में भारत को अभी भी लम्बी दूरी तय करनी है।

VISION IAS

डंपिंग-रोधी उपाय

- वैश्विक मंदी के बाद से डंपिंग की शिकायतें बढ़ती रही हैं। घरेलू उद्योग पर डंपिंग का बुरा प्रभाव पड़ता है।
- 2016 में, सभी देशों द्वारा 300 एंटी डंपिंग जाँच अभियान आरम्भ किये गए थे। इनमें से जाँच अभियानों में सर्वाधिक अभियान भारत (69) के और तत्पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका (37) के थे ।
- रसायन एवं पेट्रो रसायन उत्पाद, इस्पात एवं अन्य धातुओं के उत्पाद एवं रबर या प्लास्टिक उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी अधिरोपित की जाती है।
- अधिकांश उत्पादों की डंपिंग के लिए चीन को ज़िम्मेदार पाया गया।

विदेशी मुद्रा भंडार

- दिसंबर 2017 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 409.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुँच गया।
- भुगतान संतुलन के कारण मुद्रा भंडार में होने वाले बदलाव और साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा धारित परिसंपत्ति के मूल्यांकन में होने वाले परिवर्तनों का विदेशी मुद्रा भण्डार पर प्रभाव पड़ सकता है ।
- सितंबर 2017 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 11.1 महीने के आयात के लिए पर्याप्त था जबकि मार्च 2017 में यह 11.3 महीने के स्तर पर था।
- चालू खाता घाटे में चल रही प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में, भारत सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भण्डार रखने वाला तथा विश्व के सभी देशों के बीच छठाँ सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भण्डार धारक है।

मुद्रा विनिमय दर

- 2017-18 के दौरान (दिसंबर 2017 तक), विदेशी पोर्टफोलियो अन्तर्वाहों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि के कारण सामान्यतः रुपये के मूल्य में वृद्धि देखी गयी ।

वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (व्यापार भारित) अर्थात REER के संदर्भ में, 36 करेंसियों की बास्केट के सापेक्ष, रुपये के मूल्य में वृद्धि हुई। हालांकि रुपया बड़े पैमाने पर स्थिर रहा फिर भी REER का अधिमूल्यन यह संकेत करता है कि संभवतः भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता कम हुई है।

विदेशी ऋण

सितंबर 2017 के अंत में भारत पर बाह्य ऋण 495.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुँच गया।

- दीर्घावधिक ऋण में भी वृद्धि हुई यद्यपि इसका भाग पहले की ही भाँति 81.3% ही रहा। यह वृद्धि मुख्यतः ऋण संभाग में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में हुई वृद्धि के कारण हुई थी। व्यापार संबंधित ऋणों में वृद्धि के कारण अल्पावधिक ऋण में भी वृद्धि हुई।
- सकल ऋण में सावरेन ऋण (sovereign debt) का अंश सितंबर 2017 के अंत तक 21.6% तक बढ़ गया। ऐसा मुख्यत: सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में वृद्धि के कारण हुआ।
- कुल बाह्य ऋण के सापेक्ष फॉरेन एक्सचेंज कवर के अनुपात में भी सुधार हुआ और यह 80.7% के स्तर पर पहुँच गया ।

विश्व बैंक के आंकड़ों के आधार पर बाह्य ऋण के परिप्रेक्ष्य में **अंतरराष्ट्रीय तुलना** यह दर्शाती है कि -

- 2016 में शीर्ष 20 विकासशील ऋणी देशों में, भारत की सकल राष्ट्रीय आय (GNI) और बाह्य ऋण भण्डार का अनुपात 20.4% था। चीन के मामले में यह अनुपात सबसे कम (12.8) था, तत्पश्चात् भारत का दूसरा स्थान था।
- विदेशी ऋण के सापेक्ष फॉरेन एक्सचेंज कवर के संदर्भ में, भारत का पाँचवाँ स्थान है और भारत की ऋण सेवा दर (डेब्ट सर्विस रेट) आठवीं सबसे कम दर है।
- विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, हालांकि भारत विकासशील देशों के बीच (चीन और ब्राजील के बाद) तीसरा सबसे बड़ा देनदार देश है, किन्तु भारत के कुल ऋण में अल्पावधिक ऋण (18.6%) चीन के 59.0%. की तुलना में से कहीं ज़्यादा कम है।
- भारत विश्व में शीर्ष देनदार देशों (विकसित और विकासशील देशों सहित) में शामिल नहीं है। जून 2017 के अंत तक सर्वाधिक ऋणी देशों की सूची में भारत 26वें स्थान पर था।

VISION IAS

अध्याय 07 : कृषि और खाद्य प्रबंधन

भारत में कृषि के द्वारा आजीविका प्रदान करने, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने, निर्धनता को कम करने और विकास को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है।

भारत में कृषि क्षेत्र का सिंहावलोकन

- **कृषि और सकल मूल्य वर्धन:** भारत में सकल मूल्य वर्धन (GVA) में कृषि की हिस्सेदारी में सामान्य गिरावट देखी जा रही है। हालांकि, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की विकास दर में उतार-चढ़ाव होता रहा है जो 2012-13 में 1.5%, 2014-15 में (–)0.2% और 2016-17 में 4.9% रहा है। इसका मुख्य कारण भारत में 50% से अधिक कृषि का **वर्षा पर आश्रित** होना तथा **निजी निवेश में गिरावट आना है।**

Figure 1 : Share of Agriculture and allied sectors in Gross Value Added (in %)

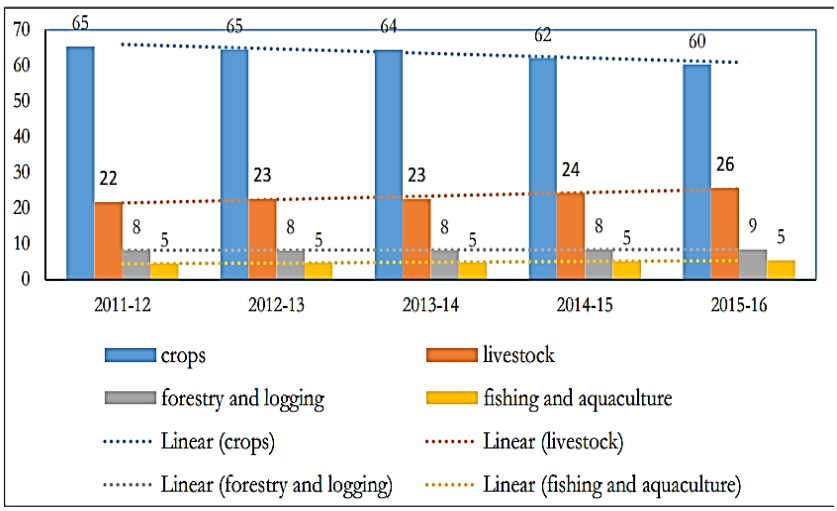

Source: National Accounts Statistics 2017

- **फसल उत्पादन:** वर्ष 2016-17 के दौरान अच्छी वर्षा और सरकार द्वारा की गई नीतिगत पहलों के कारण खाद्य उत्पादन में समग्र वृद्धि हुई है।
- **क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन:** भारतीय कृषि क्षेत्र में एक क्रमिक बदलाव देखा जा सकता है, जहां GVA में पशुधन के हिस्से में वृद्धि हुई है और फसल क्षेत्र के हिस्से में कमी आई है (चित्र)। साथ ही इसने कृषक परिवारों की **आय के स्त्रोतों को भी प्रभावित** किया है।
- **कृषि का नारीकरण:** पुरुषों द्वारा गाँवों से शहरों की ओर प्रवास में वृद्धि के कारण खेतिहरों, उद्यमियों और श्रमिकों के रूप में महिलाओं की भूमिका बढ़ गयी है। जनगणना 2011 के अनुसार, कुल प्रमुख महिला कामगारों में, 55% कृषि-श्रमिक और 24% खेतिहर थी। हालांकि, कृषि में जोत क्षेत्रों के स्वामित्व में लैंगिक असमानता व्याप्त है; जहाँ एक ओर महिलाओं का स्वामित्व कृषि जोत क्षेत्रों में कम है(मात्र 12.8%), वहीं दूसरी ओर महिलाओं का सीमांत और छोटी जोत क्षेत्रों के प्रचालनरत जोत क्षेत्रों में (25.7%) संकेन्द्रण है।

ग्रामीण परिवर्तन में महिलाओं को सक्रिय अभिकर्ताओं (Active agents) के रूप में एकीकृत करने के लिए **कृषिक्षेत्र में** निम्नलिखित **लिंग-विशिष्ट हस्तक्षेप** किये जाने चाहिए:

- सभी चालू योजनाओं/कार्यक्रमों तथा विकास कार्यकलापों में बजट आवंटन का कम से कम 30% महिला लाभार्थियों हेतु अलग रखना चाहिए।
- महिलाओं तक विभिन्न लाभार्थी-उन्मुख कार्यक्रम/योजनाओं के लाभों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए महिला केंद्रित क्रियाकलापों का प्रारम्भ किया जाना चाहिए।
- महिला स्वयं-सहायता समूह (SHG) पर ध्यान केंद्रित करना ताकि क्षमता निर्माण क्रियाकलापों के माध्यम से उन्हें सूक्ष्म-ऋण के साथ जोड़ा जा सके, सूचना प्रदान की जा सके और विभिन्न निर्णय-निर्माता निकायों में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।

VISION

- **फसल विविधीकरण कार्यक्रम:** सरकार, हरित क्रांति वाले राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसे लागू कर रही है, ताकि धान वाले क्षेत्रों को कम जल की आवश्यकता वाली फसलों जैसे तिलहन, दलहन, मोटे अनाज तथा कृषि वानिकी की ओर ले जाया जा सके।
- यह मूल्य आघातों और उत्पादन/पैदावार से जुड़ी हानियों के संदर्भ में किसानों द्वारा उठाये जाने वाले जोखिमों को कम करने में भी सहायक होगा।

आगत प्रबंधन में सुधार करने के लिए उठाए गए कदम:

- **उर्वरक क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:** मृदा स्वास्थ्य कार्ड, आधार और भूमि रिकार्डों के संयुक्त उपयोग से बेहतर मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग और बेहतर उत्पादकता में सहायता मिलेगी।
- **'कृषि फसलों में बीज उत्पादन' प्रोजेक्ट**: इसके तहत, **बीज प्रतिस्थापन दर (SRR) और उर्ध्वाधर प्रतिस्थापन दर (VRR)** को बढ़ावा देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन किया जाता है।

- **फसल-प्रतिरूप:** भारत में 179.8 मिलियन हेक्टेयर (वैश्विक NCA का 9.6%) क्षेत्र के साथ सबसे ज्यादा निवल कृषि भूमि क्षेत्र (NCA:net cropland area) है। हालांकि, **फसल विविधीकरण सूचकांक** के अनुसार, अधिकांश राज्यों में (हिमाचल प्रदेश और झारखंड को छोड़कर) फसल विविधीकरण में अंतर-कालिक व्यवहार में गिरावट देखी गयी है। **एकल कृषि की ये प्रथाएं**, उत्पादकता में कमी, उर्वरक के प्रति कम प्रतिक्रिया, मृदा स्वास्थ्य में गिरावट और कृषि की लाभप्रदता में गिरावट का कारण रही हैं।
- **कृषि में आगत प्रबंधन**: सिंचाई, बीज, उर्वरक, ऋण, मशीन, विस्तार सेवाओं आदि आगतों के संधारणीय उपयोग से मृदा उर्वरता में ह्रास के बिना तथा बिना किसी पर्यावरणीय क्षति के उत्पादकता में सुधार करने में सहायता प्राप्त होती है। हालांकि, किसानों के **शैक्षिक स्तर की कमी** ने खेती और आगत प्रबंधन की नई पद्धतियों को अपनाने और अंतर्विष्ट करने की उनकी क्षमता को प्रभावित किया है।
    - **सिंचाई**: भारत में कुल फसली क्षेत्र का केवल 34.5% हिस्सा ही सिंचित है। सिंचाई सुविधा में सुधार करने के लिए, सरकार द्वारा **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना** आरंभ की गई थी।
    - **कृषि का मशीनीकरण**: चूँकि 2050 तक भारतीय आबादी का 50% हिस्सा शहरी हो जाएगा (विश्व बैंक), अतः यह अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक कुल श्रम-बल में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत 2001 के 58.2% से गिरकर 25.7% तक हो जायेगा। इस प्रकार, देश में कृषि मशीनीकरण के स्तर को बढ़ाकर, बढ़ती खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता है। कृषि के मशीनीकरण के द्वारा **उत्पादकता में 30 % तक वृद्धि तथा कृषि की लागत में 20 % तक कमी की जा सकती है।**

कम बीमा कवरेज का कारण: जागरूकता की कमी, अनुचित कवरेज और पहुंच, जटिल प्रक्रियाएं और संसाधनों की कमी इत्यादि।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के घटक:

- किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए 2 %, सभी रबी फसलों के लिए 1.5 % तथा वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5 % की दर से एक समान आधार पर प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा।
- सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है और राशि पर कोई कैपिंग नहीं है। साथ ही किसानों को कोई कटौती किये बिना पूर्ण बीमा राशि के निमित्त मुआवज़े की रकम मिल जाएगी।

ब्याज सहायता योजना

- इसके तहत किसान प्रभावी रूप से एक वर्ष के भीतर केवल 4 % प्रति वर्ष ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक अल्पावधि फसल ऋण का लाभ उठा सकते हैं।
- मंदी के दौरान की जाने वाली बिक्री को रोकने के उपाय के रूप में इसके अंतर्गत उत्पादन के पश्चात् 6 महीने तक भंडारण विकास नियामक प्राधिकरण (WDRA) द्वारा मान्यता प्राप्त भण्डार गृहों में भंडारण के लिए, 7 % की रियायती दर पर ऋण भी प्रदान किया जाता है।

VISION IAS

इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM): इसका उद्देश्य एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से अलग-अलग स्थान की मंडियों (APMC) को एकीकृत करना और प्रतिस्पर्धी तरीके से मूल्य की जानकारी प्राप्त करना है।

- **फसल बीमा और फसल हानि: NSSO की रिपोर्ट** (जुलाई 2012-जून 2013) के अनुसार, फसल उत्पादन क्रियाकलापों में संलग्न कृषि परिवारों का बहुत छोटा हिस्सा अपनी फसलों का बीमा करवा रहा है। अतः सरकार द्वारा **PMFBY** का प्रारम्भ किया गया जो बुआई के पूर्व से लेकर उत्पादन के पश्चात् तक प्राकृतिक गैर-निरोध्य जोखिमों के विरुद्ध व्यापक कवरेज मुहैया कराती है।
- **कृषि ऋण और विपणन पहलें**
  - कृषि क्षेत्र में उच्च उत्पादकता और समग्र उत्पादन को प्राप्त करने में ऋण एक महत्वपूर्ण आगत है। संस्थागत ऋण, किसानों को ऋण के गैर-संस्थागत स्रोतों से पृथक करने में सहायता करता है और वित्तीय समावेशन में वृद्धि करता है।
  - किसानों के लिए बाज़ार में उनकी उपज की लाभदायी कीमतें सुनिश्चित करने हेतु विपणन सुधार किये गये हैं। उदाहरण के लिए **इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM)।**
- **कृषि अनुसंधान और विकास**
  - यह नवाचार का मुख्य स्रोत है, जो दीर्घावधि में कृषि उत्पादकता वृद्धि को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
  - इसके लिए आवंटन में वृद्धि भी की गयी है जो अनाज, दलहन, तिलहन, वाणिज्यिक और चारा फसलों हेतु कुल 209 किस्मों/संकरों के विकास में परिलक्षित होती है। ये फसलें बढ़ी हुई गुणवत्ता के साथ जैविक और अजैविक दबावों को सहन कर सकती हैं।
- **खाद्य प्रबंधन**
  - भारत में, केंद्रीय और राज्य सरकार, दोनों, खरीद की केंद्रीकृत और विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया **(MSP)** के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों के आवंटन एवं वितरण में **(PDS)** और आपातकाल व मूल्य स्थिरीकरण के लिए बफर स्टॉक के रखरखाव **(OMS योजना)** में संलग्न हैं।

जलवायु-स्मार्ट कृषि (CSA)

यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जोकि कृषि प्रणालियों के परिवर्तन और पुनर्विन्यासन के लिए आवश्यक कदमों हेतु मार्गदर्शन में सहायता करता है, ताकि बदलते वातावरण में प्रभावी रूप से विकास का समर्थन किया जा सके और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

उद्देश्य

- कृषि उत्पादकता और आय में सतत वृद्धि करने के लिए।
- जलवायु परिवर्तन हेतु अनुकूलता एवं लोचशीलता के लिए।
- जहाँ भी संभव हो, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और/या हटाने के लिए।

खुली बाज़ार बिक्री (OMS) योजना: **भारतीय खाद्य निगम,** समय-समय पर खुले बाजार में केंद्रीय पूल में से अतिरेक स्टॉक को पूर्वनिर्धारित कीमतों पर विक्रय करता है। इसके उद्देश्य हैं:

- ख़राब मौसम और कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य अनाजों की आपूर्ति को बढ़ाना।
- खुली बाज़ार कीमतों को सरल बनाना।
- अतिरेक स्टॉक में कमी लाना।
- खाद्य अनाजों की वहन लागत को कम करना।

आगे की राह

कृषि पद्धतियों में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों के चलते, किसानों को जलवायु स्मार्ट कृषि को अपनाने के साथ-साथ अपने आय सृजन स्रोतों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, सरकार को कृषि मशीनीकरण, संविदा खेती आदि के लाभ उठाने के लिए भूमि को समेकित करना चाहिए।

VISION IAS

अध्याय 08 : उद्योग और अवसंरचना

उद्योग

- **परिचय:** उद्योग किसी भी आधुनिक देश का आधार होता है, इसलिए इसकी स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने अनेक आर्थिक और संस्थागत सुधार किए हैं, जैसे कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) का कार्यान्वयन, दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), ई-बिज पोर्टल का शुभारंभ, विमुद्रीकरण, मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण व्यवस्था, इत्यादि, जिससे विश्व बैंक की **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट** 2018 में भारत की रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है तथा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की **सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को Baa3 से बढ़ाकर Baa2** कर दिया है।

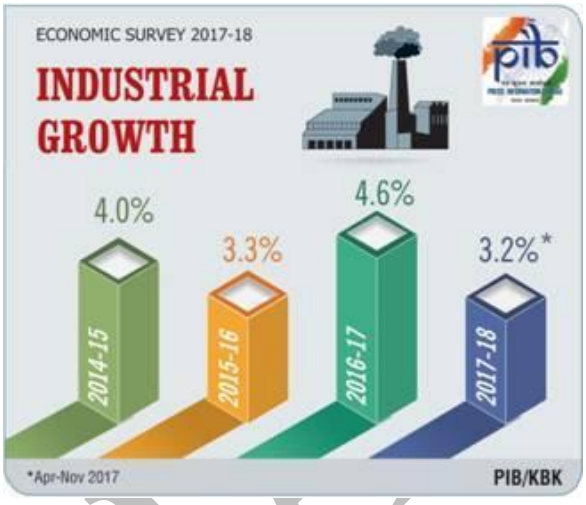

- **चुनौतियां और समाधान:** कॉरपोरेट और बैंकिंग प्रणाली की दोहरी तुलन पत्र की समस्या ने उद्योगों की क्षमता उपयोग को कम किया है, जो 2017-18 में निम्न औद्योगिक संवृद्धि में परिलक्षित होता है। हालांकि, हाल ही में सरकार ने PSB के तुलन पत्र में सुधार लाने के लिए बैंकों का पुन:पूंजीकरण तथा औद्योगिक क्षेत्र के पुनरुत्थान हेतु निवेश के वैकल्पिक स्रोतों को प्रोत्साहित करने के लिए सरल FDI व्यवस्था, कॉर्पोरेट बांड बाजार, आदि जैसे अनेक सुधार कदम उठाए हैं।

औद्योगिक निष्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **मेक इन इंडिया:** इसका उद्देश्य भारत को विनिर्माण, अनुसंधान एवं नव प्रवर्तन का वैश्विक केंद्र और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न अंग बनाना है।
  - सरकार ने **मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत दस 'वैश्विक क्षेत्रों'** का पता लगाया है, जिनमें वैश्विक चैंपियन बनने, विनिर्माण क्षेत्र में दो अंकों की वृद्धि और रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने की क्षमता है।

वैश्विक (चैंपियंस) क्षेत्रों में पूंजीगत वस्तुएं, मोटर वाहन और मोटर वाहनों के पुर्जे, रक्षा एवं एयरोस्पेस, जैवप्रौद्योगिकी, भेषजी और चिकित्सा उपकरण, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिज़ाइन एवं विनिर्माण (ESDM), चमड़ा एवं फुटवियर, वस्त्र एवं परिधान, खाद्य प्रसंस्करण, रत्न एवं आभूषण, नवीकरणीय ऊर्जा, निर्माण, पोत परिवहन तथा रेलवे सम्मिलित हैं।

- **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति, 2016:** इसका उद्देश्य भारतीय बौद्धिक संपदा पारितंत्र में सुधार लाना और देश में अभिनव परिवर्तनों के अभियान का निर्माण करना तथा **"रचनात्मक भारत; अभिनव भारत"** की दिशा में अग्रसर होना है।
- **स्टार्ट-अप इंडिया:** इसका उद्देश्य स्टार्टअप के विकास के अनुकूल पारितंत्र को सृजित करना है।
  - इसके अंतर्गत, स्टार्टअप पर विनियामकारी बोझ कम किया गया है जैसे कि सरकार ने उन्हें 3 श्रम कानूनों और 6 पर्यावरण कानूनों के अंतर्गत स्व-प्रमणित अनुपालन की अनुमति प्रदान की है।

- **स्टार्टअप इंडिया केंद्र:** समस्त स्टार्टअप पारितंत्र के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में विकसित किया गया है और ज्ञान विनिमय को सक्षम बनता है।
- वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की संचित निधि के साथ SIDBI द्वारा प्रबंधित **स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स** (FFS) का गठन किया गया है। **जैव-प्रौद्योगिकी से जुड़े स्टार्टअप** को प्रारंभिक पूंजी और इक्विटी वित्तपोषण की सहायता भी प्रदान की जा रही है।

VISION IAS

उद्योगों का क्षेत्रवार विश्लेषण

- **इस्पात क्षेत्र: विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी और इस्पात उत्पादन में अधिक क्षमता** के कारण चीन, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन जैसे देशों से भारत में **सस्ते इस्पात का आयात बढ़ रहा है,** जिसका घरेलू उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हालांकि, **एंटी डंपिंग शुल्क, न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) और आयात पर प्रतिकारी शुल्क** के आरोपण साथ-साथ **नई इस्पात नीति 2017** की शुरुआत और घरेलू विनिर्मित चयनित लौह एवं इस्पात उत्पादों को **वरीयता देने की नीति** के कार्यान्वयन के कारण इस क्षेत्र की संवृद्धि में पुनरुद्धार देखा गया है।
- **MSME क्षेत्र: राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSS: 2015-16)** के अनुसार देश में 633.8 लाख असमायोजित गैर-कृषि MSME (**ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण** में सहायता करते है) हैं, जो विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं तथा **11.10 करोड़ श्रमिकों को रोजगार** प्रदान करते हैं। भारत के GVA में MSME का हिस्सा लगभग 32% है। हालांकि, इस क्षेत्र को व्यापार गतिविधियों के विस्तार के लिए **पर्याप्त ऋण** (कुल ऋण बकाया में से केवल 17.4%) **प्राप्त करने में चुनौती का सामना** करना पड़ता है।

MSME क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं

- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम** (PMEGP) का उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म-उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व- रोज़गार के अवसर उत्पन्न करना है।
- **MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना** - इसमें अर्ह वित्तीय संस्थानों द्वारा विस्तारित संपार्श्विक रहित ऋण सुविधा सम्मिलित है।
- **क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना** (CLCSS) का उद्देश्य MSME क्षेत्र के प्रौद्योगिकी उन्नयन को सुगम बनाना है।
- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना**: गैर-कॉरपोरेट लघु व्यापार क्षेत्र को वित्तपोषण प्रदान करना है।

- **वस्त्र और परिधान:** इस क्षेत्र में निर्यात और रोजगार, विशेषकर महिला रोजगार में वृद्धि की अत्यधिक संभावना है। यह क्षेत्र, श्रम लागत बढ़ने के कारण चीन के कपड़ा निर्यात में अपनी बाजार हिस्सेदारी में कमी के कारण **ऐतिहासिक अवसर** का गवाह बना है। हालांकि, भारत को मानव निर्मित रेशों पर उच्च घरेलू करों, कड़े श्रम कानूनों और उच्च संभार (लॉजिस्टिक) लागत के कारण वैश्विक बाजार में बांग्लादेश, वियतनाम, इथियोपिया से **कड़ी प्रतिस्पर्धा** का सामना करना पड़ रहा है।
- **चमड़ा क्षेत्र:** चमड़ा क्षेत्र भी **अत्यधिक श्रम गहन क्षेत्र** है। भारतीय कर नीति चमड़ा फुटवियर उत्पादन का समर्थन करती है लेकिन यह क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है जैसे कि फुटवियर की वैश्विक मांग गैर-चमड़ा फुटवियर की ओर उन्मुख है, भारत को कई विकसित देशों के बाजारों में उच्च टैरिफों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार ने इस स्थिति में सुधार लाने के लिए, अवसंरचना के विकास, पर्यावरण संबंधी चिंताओं के समाधान, अधिक कर प्रोत्साहनों द्वारा अतिरिक्त निवेश को सुगम बनाने, रोजगार क्षमता में सुधार लाने और बेहतर प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए **चमड़े और फुटवियर क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए योजना, 2017** को प्रारंभ किया है।
- **रत्न और आभूषण:** यह सर्वाधिक तीव्र वृद्धि वाले क्षेत्रों में से एक तथा निर्यात उन्मुख क्षेत्र है। NSSO के अनुसार इस क्षेत्र में 2011-12 में 20.8 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में इस क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित अनुशंसाए की गई हैं:
  - आभूषण डिजाइनिंग में प्रशिक्षण के लिए **सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल का लाभ** उठाया जा सकता हैं। आभूषण प्रशिक्षण संस्थान को रत्न और आभूषण क्षेत्र कौशल परिषद से संबद्ध किया जा सकता है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में आभूषण विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए रिफाइनरी, हॉलमार्किंग केंद्र आदि जैसी **अवसंरचना की स्थापना किया जाना**।
  - **बहुस्तरीय आभूषण पार्कों की स्थापना** (निर्माताओं, साझा सेवाओं, परीक्षण, बैंकिंग, लाजिस्टिक सहायता इत्यादि को समायोजित करना) जिससे कि अधिक संगठित वातावरण में उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा सके।

VISION IAS

भारत में वस्त्र और परिधान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- मशीनरी के रियायती आयात के लिए **संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना** के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान किया जाना।
- नए श्रमिकों के लिए नियोक्ताओं के सम्पूर्ण EPFS अंशदान का 12% सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
- ILO मानदंडों की तर्ज पर समयोपरि (overtime) सीमा में बढ़ोतरी और नियतकालिक रोजगार की शुरुआत।
- वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना (SCBTS), 2017 - इसमें राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुरूप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सम्मिलित है।

अवसंरचना

- कुशल अवसंरचना **उच्च और धारणीय संवृद्धि** बनाए रखने में सहायता करती है; इसलिए परिवहन, ऊर्जा, संचार, आवास और स्वच्छता और शहरी अवसंरचना क्षेत्र में पर्याप्त निवेश हुआ है।
- **अल्प-निवेश: ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर आउटलुक** के अनुसार, वर्ष 2040 तक अपेक्षित अवसंरचना निवेश और निवेश की वर्तमान प्रवृत्ति के बीच का अंतर US$ 526 बिलियन तक बढ़ने की संभावना है।

अवसंरचना क्षेत्र में अल्पनिवेश के कारण

- विशेषकर विद्युत और दूरसंचार परियोजनाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) में कमी
- निजी कंपनियों का तनावग्रस्त तुलन पत्र

सड़क क्षेत्र

- भारत का 56.17 लाख किलोमीटर (ग्रामीण सड़क = 61%) से अधिक बड़ा सड़क नेटवर्क है तथा यह अंतर्देशीय माल ढुलाई के मामले में सर्वाधिक योगदान देता है। साथ ही सड़क परिवहन देश के सभी क्षेत्रों के संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- भारत का सड़क घनत्व 1.66 प्रति वर्ग कि.मी. है, जो BRIC देशों में सर्वाधिक है।
    - राष्ट्रीय राजमार्गों का घनत्व भारतीय राज्यों में GSDP के % के रूप में प्रति व्यक्ति GSDP (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) और अंतरराज्यीय व्यापार (निर्यात + आयात) के अनुपात में है।
- **चुनौतियां और समाधान:** मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण में समस्या, सुविधाओं के परिवर्तन, ठेकेदारों का घटिया प्रदर्शन, पर्यावरण/वन/वन्यजीव स्वीकृतियों, ठेकेदारों के साथ विवाचन/संविदात्मक विवादों के कारण सड़क क्षेत्र में रूकी हुई परियोजनाएं और NPA का बढ़ाना है। हालांकि, NHAI द्वारा एकबारगी निधियों के निवेश, अधिग्रहण और स्वीकृतियों को सुचारू बनाने, संकर वार्षिकी मॉडल (HAM) अपनाने तथा वैकल्पिक वित्तपोषण तंत्र जैसे अवसंरचना निवेश ट्रस्ट, LIC, दीर्घावधिक पेन्शन निधि आदि के बाद 88% रूकी हुई परियोजनाओं में पुनरुद्धार देखा गया है।

- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)**: यह बस्तियों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने वाली केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **भारतमाला परियोजना:** भारतमाला परियोजना राजमार्ग क्षेत्र के लिए नया अंब्रेला कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य आर्थिक कॉरिडोर, अंतर कॉरिडोर और फीडर मार्गों के विकास, राष्ट्रीय कॉरिडोर दक्षता सुधार जैसे प्रभावी हस्तक्षेपों के माध्यम से महत्वपूर्ण अवसंरचना अंतराल को दूर करके समग्र राजमार्ग विकास के लिए इष्टतम संसाधन आवंटन प्राप्त करना है।

रेलवे

- गैर-प्रतिस्पर्धी टैरिफ संरचना और परिवहन के अन्य साधनों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण मुख्य रूप से माल भाड़ा आवाजाही में भारतीय रेल की हिस्सेदारी में समय के साथ कमी आ रही है।
- रेल परिवहन को आकर्षक बनाने और अधोगामी प्रवृत्ति रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जैसे कि टैरिफ यौक्तिकरण, लौह अयस्क के निर्यात के लिए दोहरी माल-भाड़ा नीति वापस लेना, मैरी गो राउंड (MGR) सिस्टम के नीतिगत दिशानिर्देश, रोल-ऑन रोल-ऑफ (रो-रो) सेवाओं आदि जैसे नए वितरण मॉडल। सरकार ने रेलवे के अवसंरचना विकास पर भी बल दिया है जैसे कि ब्रॉड गेज लाइनों को पूरा करना, अवसरंचना स्थिति से स्टेशन पुनर्विकास आदि।

VISION IAS

मेट्रो रेल प्रणाली

- दिल्ली मेट्रो की सफलता के बाद, इसे शहरी परिवहन की समस्या के समाधान के रूप में देखा जा रहा है।
- मेट्रो रेल परियोजनाएं **अत्यधिक पूंजी गहन** होती है, इसलिए मेट्रो रेल परियोजनाओं का वित्तपोषण केवल सरकारी कोष से करना कठिन है। इस संदर्भ में, भारत सरकार ने **मेट्रो रेल नीति 2017 को अधिसूचित** किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों से सीखने पर केंद्रित है और आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य से मेट्रो रेल परियोजनाओं की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए अंतराल को कम करती है।

क्षेत्रीय संपर्क योजना - 'उड़े देश का आम नागरिक' (RCS-UDAN): यह बाजार-आधारित तंत्र के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्क को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व स्तर पर अपनी तरह की पहली योजना है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय रूप से महत्वपूर्ण शहरों में आम जनता के लिए विमान सेवाओं को सुलभ और सस्ता बनाना है।

नागर विमानन

- भारत विक्रय किये गए घरेलू टिकटों की संख्या की दृष्टि से **विश्व में तीसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता घरेलू विमानन** बाजार है।
- सरकार अनेक योजनाओं के माध्यम से विमानन को बढ़ावा दे रही है, जैसे UDAN, देश में **18 ग्रीनफ़ील्ड विमानपत्तन** बनाने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति, **50 असेवित** और अल्पसेवित विमानपत्तनों / हवाई पट्टियों का पुनरुद्धार और **वायु सेवाओं का उदारीकरण** जैसे भारत-अफगानिस्तान विमान माल ढुलाई गलियारा आदि।

पोत परिवहन

- भारत के कुल व्यापार का मात्रा के संदर्भ में 95% और मूल्य के संदर्भ में 68% समुद्र के माध्यम से होता है।
- **पोत निर्माण और पोत-मरम्मत उद्योग**
  - पोत निर्माण उद्योग 30,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और लाखों लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। भारत में 27 शिपयार्ड्स हैं, जिनमें 6 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत, 2 राज्य सरकारों के अंतर्गत और 19 निजी क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन हैं।
  - **भावी संभावनाएं:** भारत की भू-सामरिक अवस्थिति, श्रम बल की प्रचुरता आदि भारतीय पोत-मरम्मत व्यवसाय का महत्वपूर्ण आधार है, जिसे उद्योग की क्षमता का दोहन करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।
- **पत्तन विकास:** देश की **7,500** किलोमीटर लंबी तट रेखा**, 14,500** किलोमीटर लंबे संभाव्य रूप से परिवहन योग्य जलमार्गों और महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर सामरिक अवस्थिति का लाभ उठाया जाना चाहिए। प्रमुख पत्तनों के निष्पादन में सुधार के लिए उठाए गए कदम:
  - प्रमुख पत्तनों की संस्थागत संरचना का आधुनिकीकरण करने के लिए प्रमुख पत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2016 प्रस्तुत किया गया।
  - जहाजों के रूकने के समय, कार्य संपादन के समय और भीड़भाड़ को कम करने के लिए 9 प्रमुख पत्तनों में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेसन सिस्टम (RFID) का प्रचलन।
  - एक्जिम कंटेनरों के लिए प्रमुख पत्तनों पर प्रत्यक्ष पत्तन सुपुर्दगी और प्रत्यक्ष पत्तन प्रवेश की सुविधा आरंभ की गई है।
  - **अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन** (IWT): अंतर्देशीय जलमार्ग को बढ़ावा देने के लिए**, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016** के माध्यम से **106** अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जल मार्ग (NW) घोषित किए जाने के **साथ जल मार्ग विकास परियोजना** का शुभारंभ किया गया। संस्थागत वित्तपोषण प्रदान करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास और रखरखाव के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से **2.5%** प्राप्तियां आवंटित करने का प्रस्ताव किया हैं।

VISION IAS

सागरमाला कार्यक्रम देश में **पत्तन आधारित विकास** को बढ़ावा देने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य न्यूनतम अवसंरचना निवेश के साथ अंतरराष्ट्रीय और घरेलू व्यापार के लिए संभारिकी (लॉजिस्टिक) लागत को कम करना है।

भारत नेट परियोजना: यह विश्व में अपनी तरह की सबसे बड़ी ग्रामीण कनेक्टिविटी परियोजना है और यह डिजिटल भारत कार्यक्रम का प्रथम स्तंभ है। इसका लक्ष्य ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से भारत की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना है। यह ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-गवर्नेंस और ई-कॉमर्स सहित विभिन्न ई-सेवाओं और अनुप्रयोगों के वितरण की सुविधा प्रदान करेगा।

दूरसंचार क्षेत्र

- मोबाइल उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 4 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है, सितंबर 2017 में भारत में कुल दूरसंचार घनत्व 93.42% (ग्रामीण क्षेत्रों में 56.78% और शहरी क्षेत्रों में 172.86%) था।
- **चुनौतियां:** दूरसंचार क्षेत्र बढ़ते घाटों, ऋण भार, नए प्रवेशकों के कारण कीमत युद्ध, कम राजस्व और अतार्किक स्पेक्ट्रम लागतों के चलते दबाव की स्थिति में है।
- **सरकार द्वारा किए गए सुधार -** स्पेक्ट्रम प्रबंधन, भारतनेट कार्यक्रम और भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था और ज्ञान आधारित समाज में रूपान्तरित करने के लिए डिजिटल भारत योजना। डाटा सेवाओं में भेदभावपूर्ण प्रशुल्क प्रतिबंधित करने के लिए TRAI ने नेट न्यूट्रैलिटी पर नई नीति की अनुशंसा की है।
- **प्रतीक्षित सुधार -** विनियमन, लाइसेंसिंग, कनेक्टिविटी, सेवा की गुणवत्ता, नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने (5G आदि) जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए नई टेलीकॉम नीति का निर्माण।

- **सौभाग्य (प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना):** इसमें मार्च **2019** तक विद्युत कनेक्शन से वंचित **4** करोड़ परिवारों के विद्युतीकरण पर विचार किया गया है। इसके अंतर्गत लाभार्थी परिवारों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (SECC) **2011** के माध्यम से की जाएगी।
- स्मार्ट ग्रिड गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की आयोजना और निगरानी करने के लिए **विद्युत क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन** की स्थापना।

विद्युत क्षेत्र

- भारत में **विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर** 330860.6 मेगावाट (नवंबर, 2017) हो गई और **कम चरम अभाव** (Reduced Peak Deficit) अर्थात चरम समयावधि विद्युत की मांग की तुलना में चरम विद्युत आपूर्ति में प्रतिशत कमी के साथ विद्युत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास देखा है।
- हालांकि, **विद्युत आपूर्ति के कुशल वितरण की चुनौती** अभी भी विद्यमान है, जिसके लिए 2019 तक सभी को विद्युत उपलब्ध कराने के **लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY)** जैसी विभिन्न पहलें शुरू की गई है।
- **ऊर्जा संरक्षण:** भारत में प्रकाश की व्यवस्था करने में ही कुल विद्युत उपभोग का लगभग 20% खर्च हो जाता है, इसलिए ऊर्जा दक्षता महत्वपूर्ण है, जिसके लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जैसे कि
- **राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम**: सस्ती दरों पर कुशल प्रकाश प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। इसके दो घटक है:
  - **77** करोड़ तापदीप्त बल्ब को **LED** बल्बों से प्रतिस्थापित करने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को **LED** बल्ब उपलब्ध कराने के लिए **सभी के लिए सस्ते** LED **द्वारा उन्नत ज्योति (UJALA)**।
  - मार्च **2019** तक **1.34** करोड़ पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट और ऊर्जा दक्ष LED स्ट्रीट लाइटों से प्रतिस्थापित करने के लिए **राष्ट्रीय स्ट्रीट प्रकाश व्यवस्था कार्यक्रम** (SLNP)।

VISION IAS

संभार तंत्र क्षेत्र (लॉजिस्टिक्स क्षेत्र)

- भारतीय संभार तंत्र उद्योग 22 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है और इसका मूल्य लगभग 160 बिलियन अमरीकी डॉलर है। GST के कार्यान्वयन के साथ यह क्षेत्र 2020 में 215 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। विश्व बैंक के 2016 के **लॉजिस्टिक्स कार्य निष्पादन सूचकांक** में भारत 35 वें स्थान पर है।

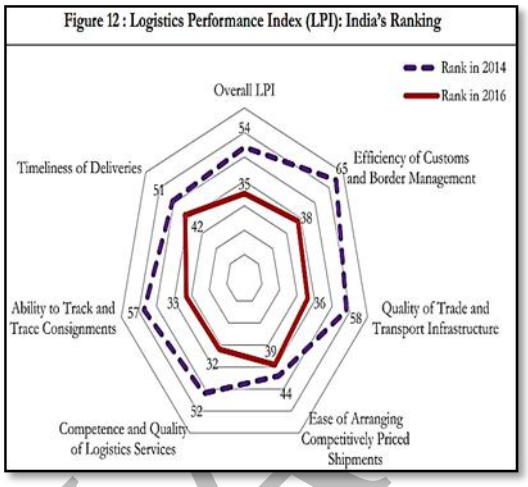

कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां

- वर्तमान में यह एक बड़े पैमाने पर असंगठित बाजार है।
- संभार तंत्र की उच्च लागत - जिससे घरेलू और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव पड़ रहा है।
- प्रतिकूल मॉडल मिक्स (सड़क 60%, रेलवे 30%) और अक्षम फ्लीट मिक्स।
- अल्प विकसित सामग्री हैंडलिंग संबंधी अवसंरचना और खंडित वेयरहाउसिंग।
- बोझिल और डुप्लिकेट प्रक्रियाओं सहित प्रक्रियात्मक जटिलताओं वाले बहुविध विनियामक/नीति निर्माता निकाय।
- उच्च ठहराव समय और विभिन्न पद्धतियों से सामान की निर्बाध आवाजाही का अभाव।

संभार तंत्र में परिवहन, भण्डार प्रबंधन, वेयर हाउसिंग, सामग्री हैंडलिंग एवं पैकेजिंग और सूचना का समेकन सम्मिलित है। यह वस्तुओं के मूल स्थान और उपभोग के स्थान के बीच वस्तुओं के प्रबंधन से संबंधित है।

HMLIS में संभार तंत्र क्षेत्र के समावेश के लाभ:

- दीर्घावधिक और युक्तिसंगत ब्याज दरों से इस क्षेत्र में क्रेडिट प्रवाह की सुविधा।
- बहुरूपी संभार तंत्र (पार्क) सुविधाओं के निर्माण के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया का सरलीकरण।
- विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से बाजार की जवाबदेही को प्रोत्साहित करना और ऋण और पेंशन निधि से मान्यता प्राप्त परियोजनाओं में निवेश को आकर्षित करना।

प्रस्तावित कार्य योजना

- संभार तंत्र परिचालनों में अधिक पारदर्शिता लाने और दक्षता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय एकीकृत संभार तंत्र नीति का निर्माण।
- समस्त संभार तंत्र संबंधित मामलों के लिए एकल खिड़की के रूप में एकीकृत IT प्लेटफार्म विकसित करना। इस पोर्टल का रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग, पोत परिवहन, नागरिक उड्डयन, CBEC, राज्य परिवहन विभाग आदि की IT प्रणालियों के साथ लिंकेज होगा और एक संभार तंत्र बाजार के रूप में कार्य करेगा।
- प्रलेखन में आसानी, त्वरित निकासी, डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाना।
- संभार तंत्र की लागत को 2022 तक कम करके GDP के 10% तक लाना।
- मल्टी- मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP), कंटेनर फ्रेट स्टेशन (CFS), एयर फ्रेट स्टेशन (AFS) और इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD) जैसी संभार तंत्र अवसंरचना की स्थापना के लिए तीव्र मंजूरी।
- सेवा प्रदाताओं के लिए पेशेवर मानकों और प्रमाणीकरण की शुरुआत ।
- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के प्रचलन को बढ़ावा देना जैसे कि उच्च तकनीक वाले स्कैनिंग उपकरण, RFID, GPS, EDI, समस्त संभार तंत्र नेटवर्क में ऑनलाइन ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम।
- देश में संभार तंत्र कौशल में सुधार लाना और 2022 तक संभार तंत्र क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाकर 40 लाख तक किया जाना।
- **उठाए गए कदम:** सुमेलित अवसंरचना उपक्षेत्र मास्टर सूची (the Harmonized Master List of Infrastructure Subsector; **HMLIS)** में संभार तंत्र क्षेत्र को सम्मिलित करना, इस क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए वाणिज्य विभाग में नए लॉजिस्टिक्स डिवीजन का गठन करना।

VISION IAS

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

- पुराने और सीमांतक फील्डों से उत्पादन में गिरावट, पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में कुछ परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब, कुओं को अनियोजित तरीके से बंद करने, प्रसंस्करण प्लेटफार्म/संयंत्रों और पाइपलाइनों का कार्य अपूर्ण रहने के कारण भारतीय कंपनियां 2017-18 के दौरान अपने कच्चे तेल के उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ रही है।
- सरकार ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के रूपांतरण के लिए **कुछ नए कदम उठाए** हैं:
  - **अवसादी जलक्षेत्रों का मानचित्रण:** इससे भावी अन्वेषण और उत्पादन (E&P) गतिविधियां प्रारंभ करने और तेल एवं गैस के घरेलू उत्पादन में निवेश बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
  - **बढ़ती परिशोधन क्षमता:** भारत मांग से अधिक परिशोधन क्षमता के साथ रिफाइनरी हब (एशिया में दूसरा सबसे बड़ा) के रूप में उभर रहा है।
  - **राष्ट्रीय गैस ग्रिड:** औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरेलू और परिवहन क्षेत्र के लिए स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल ईंधन, प्राकृतिक गैस की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। उदाहरण: पूर्वी भारत की प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना।
  - **प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ** (PAHAL): LPG उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी वितरण की सुलक्षित प्रणाली
  - **प्रधानमंत्री उज्जवला योजना** (PMUY): इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में प्रयोग होने वाले अपरिष्कृत कुकिंग ईंधन को स्वच्छ और अधिक परिष्कृत LPG से प्रतिस्थापित करना है।

आवास क्षेत्र

- 2022 तक सभी के लिए आवास सरकार की प्राथमिकता है जिसके लिए ऐसी आवास नीति की आवश्यकता है जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता को सक्षम बनाकर तेजी से बढ़ रही भारतीय जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करे सके। यह किरायेदारी आवासन (रेंटल हाउसिंग) को बढ़ावा देकर और खाली आवासों के मुद्दों का समाधान कर सकता है।
- **किरायेदारी आवासन का महत्व**
  - **किरायेदारी आवासन में प्रवृति :**
    - भारतीय शहरों में इसकी हिस्सेदारी 1961 में 54% से कम होकर 2011 में 28% रह गई। हालांकि, यह एक समान नहीं है क्योंकि उत्तरी राज्यों में तेज कमी (पहाड़ी राज्यों को छोड़कर) आई है।
    - ग्रामीण क्षेत्रों (केवल 5%) - जनगणना 2011 की तुलना में शहरी क्षेत्रों (31%) में अधिक प्रचलन।
    - छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहरों में अधिक।
  - किरायेदारी बाजार शहरी पारितंत्र का महत्वपूर्ण भाग है, हालांकि **किराया नियंत्रण, अस्पष्ट संपत्ति का अधिकार और अनुबंध प्रवर्तन में कठिनाइयों** जैसे कुछ मुद्दों का समाधान करना आवश्यक है।

किरायेदारी आवासन: यह लोगों को वास्तव में खरीद के बिना उचित आवास तक पहुंच प्रदान करता है। यह शहर में आने वाले नए लोगों विशेष रूप से ग्रामीण प्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है।

- **खाली मकानों की समस्या:** जनगणना के अनुसार, कुल शहरी आवासों में खाली मकानों की हिस्सेदारी **12%** हैं, ऐसा मुख्यतः किरायेदारी आवासन में उल्लिखित कठिनाइयों के कारण है।
  - **खाली पड़े मकानों की प्रवृति:**
    - देश के पश्चिमी भाग में विशेषकर महाराष्ट्र में खाली पड़े मकानों की संख्या सबसे अधिक है।
    - सामान्यत: यह सघन शहरी कोर से दूरी के साथ बढ़ता है।

VISION IAS

अध्याय 09 : सेवा क्षेत्रक

भारत ने सेवा क्षेत्रक के प्रोन्नयन हेतु तथा भारत को आकर्षक निवेश गंतव्य बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सेवाओं में कई पहलें की गयी हैं। कुछ पहलें निम्नलिखित हैं:

- **इज ऑफ डूइंग बिजनेस:** FIPB (विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड) को समाप्त कर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिस कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह का 90% से अधिक स्वचालित मार्ग से आता है।
- सेवा निर्यातों विशेषकर रेस्तराओं, अस्पतालों, शैक्षिक सेवाएं इत्यादि को सहायता प्रदान करने के लिये विदेशी व्यापार नीति के मध्यावधि मूल्यांकन 2015-2010 के अंतर्गत **भारत से सेवा निर्यात योजना (SEIS)** के अंतर्गत प्रोत्साहनों में 2% की वृद्धि करना।
- डिजिटाइज़ेशन, ई-वीजा,लोजिस्टिक्स को अवसंरचना का दर्जा प्रदान करना, स्टार्ट-अप इंडिया, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति की घोषणा, GST लागू करने इत्यादि से भी इस क्षेत्रक को बढ़ावा मिला है।

परिचय

- सेवा क्षेत्रक भारत की आर्थिक प्रगति का मुख्य संचालक बना हुआ है। इसने आबादी के 30% भाग को रोज़गार प्रदान करने (आइ.एल.ओ. आकलन, 2016) के साथ-साथ 2017-18 में सकल मूल्यवर्द्धन वृद्धि में 72.5% का योगदान किया। सरकार ने इस क्षेत्रक को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बहुत से सुधार आरंभ किए है। वर्ष 2017-18 में इसके 8.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है।

भारत का सेवा क्षेत्रक

- **राज्यवार आकलन:** इसने 15 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में **सकल राज्य मूल्यवर्द्धन (GSVA)** में आधे से अधिक का योगदान किया। यद्यपि, सेवा- GSVA साझेदारी में **क्षेत्रीय भिन्नता** परिलक्षित होता है। दिल्ली और चंडीगढ़ 80% की साझेदारी के साथ शीर्ष पर हैं, जबकि 31.7% की साझेदारी के साथ सिक्किम सबसे निचले पायदान पर है।
- **भारत के सेवा क्षेत्रक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश:** FDI इक्विटी अंतर्वाह में सेवा क्षेत्रक की कुल हिस्सेदारी वर्ष 2017-18 (अप्रैल-अक्टूबर) के दौरान 69.6% रही। दो क्षेत्रकों, दूरसंचार तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर, में इसका अंतर्वाह अपेक्षाकृत अधिक रहा।
- **भारत का सेवा व्यापार:** भारत विश्व में वर्ष 2016 में 3.4% के हिस्से के साथ **वाणिज्यिक सेवाओं का आठवाँ सबसे बड़ा निर्यातक** (WTO, 2017) रहा है जो भारत के पण्य निर्यात (merchandise exports) के 1.7% की हिस्सेदारी से दुगना है। इससे निम्नलिखित बातें प्रदर्शित होती हैं:
  - **भारत के निर्यात में सेवा क्षेत्रक का बढ़ता महत्व:** चूँकि इसने 2017-18 के पूर्वार्ध में भारत के **पण्य निर्यात घाटे के 49% के वित्तपोषण** में सहायता की, और इस प्रकार **चालू खाता घाटे (CAD) के आघात को झेलने में मदद की थी।**
  - **बाल्टिक ड्राइ इंडेक्स** में सुधार, यह एक माल भाड़ा (फ्रैट) सूचकांक है तथा यह व्यापार तथा जहाजरानी सेवा की सशक्तता और अच्छे निष्पादन को मापने का एक प्रमुख सूचक है।

क्षेत्रकवार निष्पादन

- **पर्यटन क्षेत्रक:** विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या (फॉरेन टूरिस्ट अराइवल; FTA), विदेश (बाह्य) पर्यटक तथा घरेलू पर्यटन के साथ इसमें समग्र सुधार परिलक्षित हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्न हैं:
  - पर्यटन मंत्रालय के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, FTA बढ़ कर 8.8 मिलियन हो गया है तथा पर्यटन से विदेशी मुद्रा में होने वाली आय (FEE) बढ़ कर 2017 में 27.7 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुँच गई है।
  - भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों की संख्या भारत में FTA के दोगुने से अधिक है।
  - घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में की संख्या के मामले में तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक 5 शीर्ष गंतव्य राज्य रहे।

VISION IAS

भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल

- 163 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटन, चिकित्सा, तथा व्यावसाय के तीन वर्गों में **ई-वीज़ा सुविधा**।
- **पर्यटन पर्व** का आयोजन :
  - भारतीयों को उनके स्वयं के देश को देखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु **'देखो अपना देश'**।
  - 'देश के सभी राज्यों में स्थित पर्यटन स्थलों पर पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों के साथ **'टुरिज्म फॉर ऑल'।**
  - विभिन्न मसलों पर हितधारकों के साथ "पर्यटन एवं शासन" पर परिचर्चात्मक सत्रों तथा कार्यशालाओं का आयोजन आदि।
- अन्य कदम जैसे विभिन्न चैनलों पर 2017-18 के लिए **ग्लोबल मीडिया अभियान** का शुभारम्भ तथा भारत में विश्व विरासत स्थलों को लोकप्रिय बनाने के लिए 'दि हेरिटेज ट्रेल' की शुरुआत।

IT-BPM क्षेत्रक के प्रोन्नयन हेतु पहलें

- **BPO प्रोत्साहन तथा सामान्य सेवा केंद्र**: डिजिटल समावेशन तथा समतापूर्ण वृद्धि प्राप्त करना और अधिकांशतः छोटे शहरों में 1.45 लाख व्यक्तियों को रोज़गार प्रदान करना।
- 5000 सीटों वाले तथा 15,000 लोगों को रोज़गार दे सकने की क्षमता युक्त पृथक पूर्वोत्तर बी.पी.ओ. प्रोत्साहन योजना की स्थापना।
- ओपन डेटा प्रोटेक्शन नीति क़ानून के प्रारूप को तैयार करना।

- **भारत: सूचना प्रौद्योगिकी –** बिज़नेस प्रॉसेस मैनेजमेंट (IT-BPM) सेवाएं: इसमें 39 लाख व्यक्तियों को रोज़गार मिलने, तथा 2016-17 में इसका मूल्य 139.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर (ई-कॉमर्स तथा हार्डवेयर को छोड़ कर) होने का आकलन है।
  - **चुनौतियां**: कुछ देशों में संरक्षणवादी रवैये तथा चीन, ब्राजील, रूस, फिलीपिंस, इज़रायल तथा युक्रेन जैसे देशों से मिल रही प्रतिस्पर्द्धा के कारण (2006 से 2016) के दशक के दौरान भारत के लिए कुल सेवा निर्यात में ITC की हिस्सेदारी में गिरावट आयी है।
  - **नवीन अवसर**: एशिया-प्रशांत, दक्षिण अमेरिका तथा मध्य-पूर्व एशिया में एक नया बाज़ार उभर रहा है।

'2022 तक महत्वाकांक्षी सब के लिए आवास अभियान' को बढ़ावा देने हेतु सस्ते आवास निर्माण क्षेत्रक के लिए PPP नीति।
प्रधान मंत्री आवास योजना (PMSY): सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में वहनीय आवास निर्माण क्षेत्रक के लिए 31 लाख घरों के निर्माण की अनुमति प्रदान करना।
मध्य आय समूह (MIG) को PMSY के तहत ऋण संयोजित अनुदान योजना (CLSS) का विस्तार।
'स्थावर संपदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2016' का लागू किया जाना: पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अनिवार्य प्रकटन तथा पंजीकरण, जबकि उच्चतर जवाबदेही के कारण पूरे स्थावर संपदा मूल्य श्रृंखला में उच्च मूल्य वृद्धि की संभावना है।

- **स्थावर संपदा और आवासन:** स्थावर संपदा तथा निर्माण, कृषि के बाद देश में द्वितीय सबसे बड़े रोज़गार प्रदाता हैं। इन में से 80% अत्यंत कम कौशल युक्त कार्यबल हैं।
  - **रोज़गार प्रदान करने की क्षमता:** राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद् के अनुसार, इस क्षेत्रक में 2022 तक 6 करोड़ 60 लाख लोगों की आवश्यकता होगी।
  - **चुनौतियां**: सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों में गैर-निष्पादक आस्तियों के बढ़ने के कारण क्षेत्रक को पूर्ण क्षमता के अनुकूल ऋण प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इन गैर-निष्पादक आस्तियों में वृद्धि के कारण स्थावर संपदा क्षेत्रक में संगठित निधियन के लिए बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराए जाने सबंधी हिस्सेदारी में अच्छी-ख़ासी कमी आयी है। यह 2013 में 68% से घट कर 2016 में 17% हो गया है। यद्यपि, निजी इक्विटी (पी.ई.) फंड तथा पेंशन फंड और संप्रभु धन निधियों जैसी वित्तीय संस्थाओं ने इस क्षेत्रक को ऋण उपलब्ध कराने वाले सबसे बड़े स्रोत के रूप में बैंकों का स्थान ले लिया है।
  - **बढ़ती हुई पारदर्शिता तथा जवाबदेही:** सरकार की हालिया नीतिगत पहलों (बॉक्स देखें) ने निवेशकों में सकारात्मक भावनाओं का संचार किया है। यह स्थावर संपदा क्षेत्रक में निजी इक्विटी (पी.ई.) निवेश के 2013 में 0.9 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ कर 2016 में 5.9 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर हो जाने में परिलक्षित हुआ है।

VISION IAS

- **अनुसंधान और विकास:** भारत स्थित अनुसंधान तथा विकास सेवा कम्पनियों का विश्व बाज़ार में लगभग 22% की हिस्सेदारी है। इनमें 2015-16 में 12.7% की दर से वृद्धि हुई। भारत का अनुसंधान तथा विकास पर सकल व्यय अपेक्षाकृत कम (GDP का लगभग 1%) रहा है, तथा वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक (GII) 2017 में भारत की रैंक 127 में से 60वीं है।
    - **भावी संभावना**: भारत, पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका वैश्विक अभियांत्रिकी अनुसंधान तथा विकास बाज़ार के 75% पर काबिज़ हैं। एक कंसल्टिंग कंपनी ज़िन्नोव के अनुसार, भारत के लिए इसके 14% CAGR से बढ़ कर 2020 तक 42 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुँच जाने की संभावना है। भारत में कृषि तथा औषधि निर्माण क्षेत्रों में सशक्त वृद्धि देखे जाने का अनुमान है।
- **अंतरिक्ष सेवाएं:** भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम सामाजिक विकास तथा रणनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संचार, नौवहन तथा भू-प्रक्षेपण सहित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान देता है।
    - 2016-17 में उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के निर्यात से भारत की विदेशी मुद्रा आय (FEE) 394 करोड़ रुपए थी, जबकी वैश्विक उपग्रह प्रक्षेपण राजस्व में इसकी हिस्सेदारी 2014-15 में 0.3% से बढ़ कर 2015-16 में 1.1% हो गयी है।

निष्कर्ष

- Nikkei/IHS बाज़ार सेवा क्रय प्रबन्धक सूचकांक (PMI) के आकलन के अनुसार, 2017-18 में भारतीय सेवा क्षेत्रक के विकास दर के बढ़ने की संभावना है। पर्यटन, उड्डयन, तथा दूरसंचार जैसे उप-क्षेत्रों के अच्छे निष्पादन के साथ उज्जवल संभावनाएं दिखाई देती हैं। यद्यपि सॉफ्टवेयर तथा कारोबारी सेवाओं के लिए वैदेशिक वातावरण में ह्रास का जोखिम बना रहता है।

अध्याय 10 : सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास

परिचय

सरकार ने योजनाओं के अभिसरण (कन्वर्जेन्स) के माध्यम से मानव पूंजी पर किए गए व्यय की दक्षता का संवर्धन कर संधारणीय संवृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। पांच प्रमुख क्षेत्र जहां सरकार ने अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं उनकी चर्चा नीचे की गई है।

1. सभी के लिये शिक्षा:

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE, 2009) पारित होने के बाद मात्रात्मक संकेतकों जैसे नामांकन स्तरों, शिक्षा पूर्ण करने की दरों एवं अन्य भौतिक अवसंरचना जैसे शौचालय, स्कूल भवन इत्यादि में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- इसके अतिरिक्त सीखने (अधिगम) के परिणामों में **गुणात्मक संकेतकों** को सुधारने करने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय नियमों को 2017 में संशोधित किया गया था और इनमें कक्षा अनुसार, विषय वार सीखने (अधिगम) के परिभाषित परिणामों को सम्मिलित किया गया था।

सीखने संबंधी (अधिगम) परिणाम- वे मूल्यांकन मानक हैं जो विशिष्ट कक्षा हेतु अधिगम के स्तर के विषय में किसी छात्र से अपेक्षित स्तरों को इंगित करते हैं।

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित संकेतक इस प्रकार हैं -
  - **छात्र कक्षा अनुपात (स्टूडेंट क्लासरूम रेशो; SCR)** को दिए गए स्कूल वर्ष में एक स्कूल में प्रति कक्षा विद्यार्थियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। आदर्श SCR 30 छात्र/कक्षा होना चाहिए। भारत में 30 से अधिक SCR वाले स्कूलों की संख्या 2009-10 में 43% थी जो 2015-16 में घटकर 25.7% हो गई, इस प्रकार लगभग सभी राज्यों में सुधार हुआ हैं, फिर भी राज्यों में सुधार में भिन्नता मौजूद है।
  - प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर पर **छात्र शिक्षक अनुपात** क्रमश: 30:1 एवं 35:1 होना चाहिए। प्राथमिक स्कूलों के लिए भारत का राष्ट्रीय स्तर छात्र शिक्षक अनुपात (PTR) 2015-16 में सुधरकर 23:1 हो गया है, जो इसके समान सामाजिक-आर्थिक संकेतकों वाले देशों के समतुल्य है।
  - लेकिन, अभी भी बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश जैसे अनेक राज्यों में **छात्र शिक्षक अनुपात** (PTR) >30 वाले स्कूल का उच्च प्रतिशत है। केंद्र सरकार अपने विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों (जैसे सर्व शिक्षा अभियान) के माध्यम से राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है, जो शिक्षकों की भर्ती, सेवा की स्थितियों और पुन:परिनियोजन जैसे पहलुओं का प्रबंधन करती है।
  - शिक्षा में **लैंगिक समानता सूचकांक** शिक्षा के अवसरों की उपलब्धता के विषय में बालिकाओं के साथ भेदभाव को दर्शाता है। यद्यपि उच्च शिक्षा में लैंगिक असमानता अब भी व्याप्त है, तथापि प्राथमिक स्तरों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) जैसे उपायों के माध्यम से सरकार ने इसमें उल्लेखनीय सुधार किया है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

यह बालिकाओं की जीवन रक्षा, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की गई त्रि-मंत्रालयी योजना है; जिसका लक्ष्य इस मुद्दे की विचारणीयता के विषय में मानसिकता को परिवर्तित करना और जागरूकता उत्पन्न करना है।

इसे 2 चरणों में 161 जिलों में आरम्भ किया गया है और आगे देश में सभी 640 जिलों को इसके अंतर्गत सम्मिलित करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

VISION IAS

2. श्रम सुधारों में प्रगति:

- परिभाषाओं और प्राधिकारणों की बहुलता को दूर करने के लिए, सरकार 38 केंद्रीय श्रम अधिनियमों को युक्तिसंगत बनाने की कार्रवाई कर रही है, इस हेतु यह 4 प्रमुख संहिताओं के अंतर्गत उनके प्रासंगिक प्रावधानों को तैयार कर रही है, ये संहिताएं हैं:
  - मजदूरी संहिता
  - सुरक्षा एवं कार्य दशाएं संहिता
  - औद्योगिक संबंध संहिता
  - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संहिता
- **सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम इस प्रकार हैं -**
  - प्रौद्योगिकी सक्षम पहल जैसे श्रम सुविधा पोर्टल
  - पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के उद्देश्य से सार्वभौमिक खाता संख्या का उपयोग प्रभावी किया गया है।
  - ऑनलाइन पंजीकरण, रोजगार की खोज, कैरियर परामर्श आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल।
  - अधिक जिलों और क्षेत्रों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का विस्तार।
- भारत में श्रम बल भागीदारी में 50% का लिंग अंतराल है, जो देश की विकास क्षमता पर जिसका प्रतिकूल प्रभाव डालता है। महिला कामगारों की सुविधा वंचित स्थिति उनके कौशल के निम्न स्तर एवं कम उत्पादकता और कम भुगतान वाले कार्यों में संलग्न होने के कारण है।
- बेहतर लैंगिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक मनरेगा (MGNREGA) है, जबकि अन्य योजनाएँ हैं -
  - **महिला ई-हाट -** महिलाओं के बीच स्व रोजगार उपक्रम को बढ़ावा देने वाली।
  - **मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 -** 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश एवं शिशु सदन (क्रेच) सुविधाओं (50 से अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों द्वारा) का प्रावधान करता है।

देश में, कुल ग्राम पंचायतों में लगभग 43% महिला सरपंच हैं।
महिला विधानसभा सदस्यों का सर्वाधिक प्रतिशत बिहार, हरियाणा और राजस्थान (14%) से तथा उसके बाद पश्चिम बंगाल व मध्य प्रदेश (13%) एवं और पंजाब (12%) का स्थान आता है।

3. महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण:

- संसद एवं सार्वजनिक क्षेत्रक में निर्णय लेने की भूमिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सशक्तिकरण के प्रमुख संकेतकों में से एक है। लेकिन, भारत में लोकसभा में 11.8% तथा राज्यसभा में 11% महिला जनप्रतिनिधि थे (2016 की स्थिति के अनुसार)। जबकि देश भर में केवल 9% महिला विधान सभा सदस्य (MLAs) हैं।
- इस सन्दर्भ में, भारतीय संविधान निम्नलिखित का प्रावधान करता है -
  - **अनुच्छेद 243 D (3)-** 1 हर पंचायत में कुल सीटों की संख्या का एक तिहाई भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए।
  - **अनुच्छेद 243 D (4)-** पंचायत में अध्यक्ष के पद की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएँ।
- उनके नेतृत्व विकास और महिलाओं के मुद्दों को संबोधित करने के लिए, गांव स्तर पर महिला शक्ति केंद्र एवं नई रौशनी जैसी योजनाओं को लांच किया गया है।

4. सर्वजन स्वास्थ्य:

- भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 संधारणीय विकास लक्ष्य (3) प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन अभी ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें और अधिक सुधार की आवश्यकता है, जैसे -
  - **निजी स्वास्थ्य देख-रेख की प्रमुखता** क्योंकि सरकारी स्वास्थ्य देख-रेख प्रदाता वर्तमान स्वास्थ्य देखभाल व्यय के केवल 23% की भागीदारी करते हैं।

VISION IAS

- **व्यय क्षमता से अतिरिक्त व्यय (Out of Pocket Expenditure; OoPE)** यह लगभग 62% तक है तथा अत्यधिक उच्च है। यह निर्धन लोगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है और असमानता को बढ़ाता है। जबकि **व्यय क्षमता से अतिरिक्त व्यय (OoPE)** का मात्र 10% नैदानिकी पर व्यय किया जाता है, जो उपयुक्त गुणवत्ता आश्वासन ढांचे एवं विनियामक तंत्र के माध्यम से मानकीकृत दरों की आवश्यकता को उजागर करता है।

- **भारत में रोगों का भार** - विकलांगता समायोजित जीवन वर्षों (DALYs) एवं जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (LEB) में व्युत्क्रम रूप से संबंधित है।
- जोखिम और चोट के कारकों के रूप में निर्दिष्ट विभिन्न जोखिम कारक इस प्रकार हैं -
  - **कुपोषण** - नवजात विकार और पोषक तत्वों की कमी मातृ एवं शिशु कुपोषण की अभिव्यक्ति हैं जिनके लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं निर्धारित की हैं।

महिलाओं एवं बच्चों के लिए सरकारी कार्यक्रम

- **एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS)**- इस योजना का उद्देश्य 5 वर्ष की आयु तक के शिशुओं एवं गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं का समग्र विकास करना है। सरकार द्वारा पोषित पोषण संबंधी योजनाओं में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों से खाद्य वस्तुओं के फोर्टिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है।
- **प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना**- यह योजना पहले मातृत्व लाभ कार्यक्रम, के रूप में जानी जाती थी। यह नकद प्रोत्साहन के संदर्भ में पारिश्रमिक हानि हेतु आंशिक क्षतिपूर्ति का प्रावधान करती है।
- **राष्ट्रीय पोषण मिशन-** विभिन्न मंत्रालयों में लक्ष्यों की निगरानी करेगा, पर्यवेक्षण करेगा, लक्ष्य तय करेगा एवं पोषण संबंधी हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करेगा। यह लक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तालमेल को बेहतर करेगा साथ ही बेहतर निगरानी सुनिश्चित करेगा, लक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय पर कार्रवाई के लिए चेतावनी जारी करेगा।
- **प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना**- निर्धनता रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों से संबंधित 5 करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए है, ताकि स्वच्छ ईंधन प्रदान करके उनकी रक्षा की जा सके।

- **प्रदूषण,** मुख्य रूप से गैर-संचरणीय और संक्रामक रोगों का कारण बनता है, जिनमें हृदय रोगों, दीर्घकालिक श्वसन संक्रमण प्रमुख हैं।
- देश में जीवनशैली में बदलाव के कारण **व्यवहारगत और उपापचयी** जोखिम उत्पन्न होते हैं और गैर संचरणीय रोगों के बढ़ते बोझ का कारण बनते हैं।
- **जल, स्वच्छता एवं हाथ धुलाई की असुरक्षा** 5% स्वास्थ्य हानि का कारण बनती है। लेकिन, जोखिम कारक के रूप में इसका स्थान 1990 में दूसरे स्थान से कम होकर में सातवाँ (2014 में) हो गया है।
- स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ने के अतिरिक्त (राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के सुझाव के अनुसार राज्य सरकार के बजट का 8%), यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि बढ़े हुए व्यय से बेहतर स्वास्थ्य परिणामों की उपलब्धि करने के लिए निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल के साथ संसाधनों के उपयोग में वह दक्षता आवश्यक है।
- दो अन्य कारक जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है उनमें एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग एवं स्वच्छता व सुरक्षित पेयजल की बेहतर उपलब्धता सम्मिलित हैं।

5. स्वच्छ भारत मिशन (SBM)

- **स्वास्थ्य एवं स्वच्छता -** जनसंख्या का स्वास्थ्य स्वच्छता व सुरक्षित पेयजल की गुणवत्ता से अत्यधिक संबंधित है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन **(SBM)** लॉन्च किया। यह पाया गया है कि भारत में खुले में शौच की प्रथा से मुक्त (ODF) गांवों के घर परिवारों के स्वास्थ्य संकेतक उल्लेखनीय ऐसे गांवों के घर परिवारों की तुलना में बेहतर हैं जो इस प्रथा से मुक्त नहीं हैं। खुले में शौच की प्रथा से गैर-मुक्त गांवों की तुलना में इस प्रथा से मुक्त (ODF) क्षेत्रों में न केवल बच्चे बल्कि उनकी माताएं भी अधिक स्वस्थ थी।
- **शिक्षा एवं स्वच्छता -** यह भी पाया गया था कि खुले में शौच की प्रथा से मुक्त गांवों में उच्चतर शिक्षा प्राप्त जनसंख्या अधिक थी जबकि इस प्रथा से गैर मुक्त गाँवों में उच्चतर शिक्षा प्राप्त जनसंख्या कम थी।

VISION IAS

- **अर्थव्यवस्था एवं स्वच्छता –** विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत के लिए स्वच्छता सुविधाओं के अभाव की लागत सकल घरेलू उत्पाद के 6% से अधिक की आती है। जबकि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) का अनुमान है कि खुले में शौच की प्रथा से मुक्त गांव लगभग ₹50000 बचाते हैं।

8 राज्यों एवं दो संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, दमन एवं दीव, और चंडीगढ़ को खुले में शौच की प्रथा से मुक्त घोषित किया गया है।

औषधियों और निदानों की कीमतों को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

- सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में आवश्यक नैदानिक सेवाएं प्रदान करने के लिए **राष्ट्रीय निशुल्क निदान सेवा पहल**।
- सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में नि:शुल्क दवा की उपलब्धता के विस्तार के लिए **राष्ट्रीय निशुल्क औषध पहल।**
- **नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम**, 2010 **एवं नैदानिक प्रतिष्ठान नियमावली, 2012, के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय निशुल्क औषध पहल** के अंतर्गत नैदानिक प्रतिष्ठान राज्य सरकारों के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों को प्रभारित करेंगे।
- सभी पंजीकृत पेशेवर चिकित्सकों को भारतीय **आयुर्विज्ञान परिषद** द्वारा जेनेरिक दवाओं के तर्कसंगत निर्धारित औषधि परामर्श प्रदान करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रति सूक्ष्मजीवी (एंटीमाइक्रोबीयल) प्रतिरोधकता (AMR) **की रोकथाम**

- प्रतिरोध (जीवाणु, विषाणु, कवक, आदि में) प्राकृतिक रूप से हो सकता है, लेकिन औषधियों के अनुपयुक्त उपयोग से इसे बढ़ने का अवसर मिलता है।
- भारत का जीवाणु संबंधी रोगों का भार विश्व में सर्वाधिक है जो इस मुद्दे को और अधिक महत्वपूर्ण बना देता है।
- सरकार ने संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) और अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को समाविष्ट कर समग्र और सहयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु वैश्विक कार्य योजना के आधार पर राष्ट्रीय कार्य योजना को अंतिम रूप दिया है।
- उठाए गए अन्य कदमों में- प्रतिसूक्ष्मजीवी प्रतिरोधकता (AMR) के लिए राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली की स्थापना करना, एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री को विनियमित करने के लिए विनियमन (अनुसूची-एच-1) अधिनियमित किया जाना, एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश आदि सम्मिलित हैं।

विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष (**DALYs)** असमय मृत्यु दर एवं विकलांगता के कारण खोए उत्पादक जीवन के वर्षों का कुल योग हैं। एक विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष (DALY) पूर्ण स्वास्थ्ययुक्त एक वर्ष की हानि का प्रतिनिधित्व करता है।

- विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष (DALY) दर के रूप में मापे गए प्रति व्यक्ति रोग भार में 1990 से 2016 तक 36% की कमी हुई।
- संचरणीय, मातृ, नवजात, एवं पोषण रोगों के कारण भारत में कुल रोग भार 61% (1990) से कम होकर (2016) में 33% रह गया।
- जबकि गैर संचरणीय रोगों का योगदान 30% से बढ़कर 55% हो गया।
- सर्वोच्च विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष (**DALYs)** दर वृद्धि मधुमेह (80%) एवं स्थानिक-अरक्तता संबंधी हृदय रोग (34%) के लिए देखी गई।

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.